खण्ड-410, अंक-6
सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(21 मार्च, 1994 ई0)

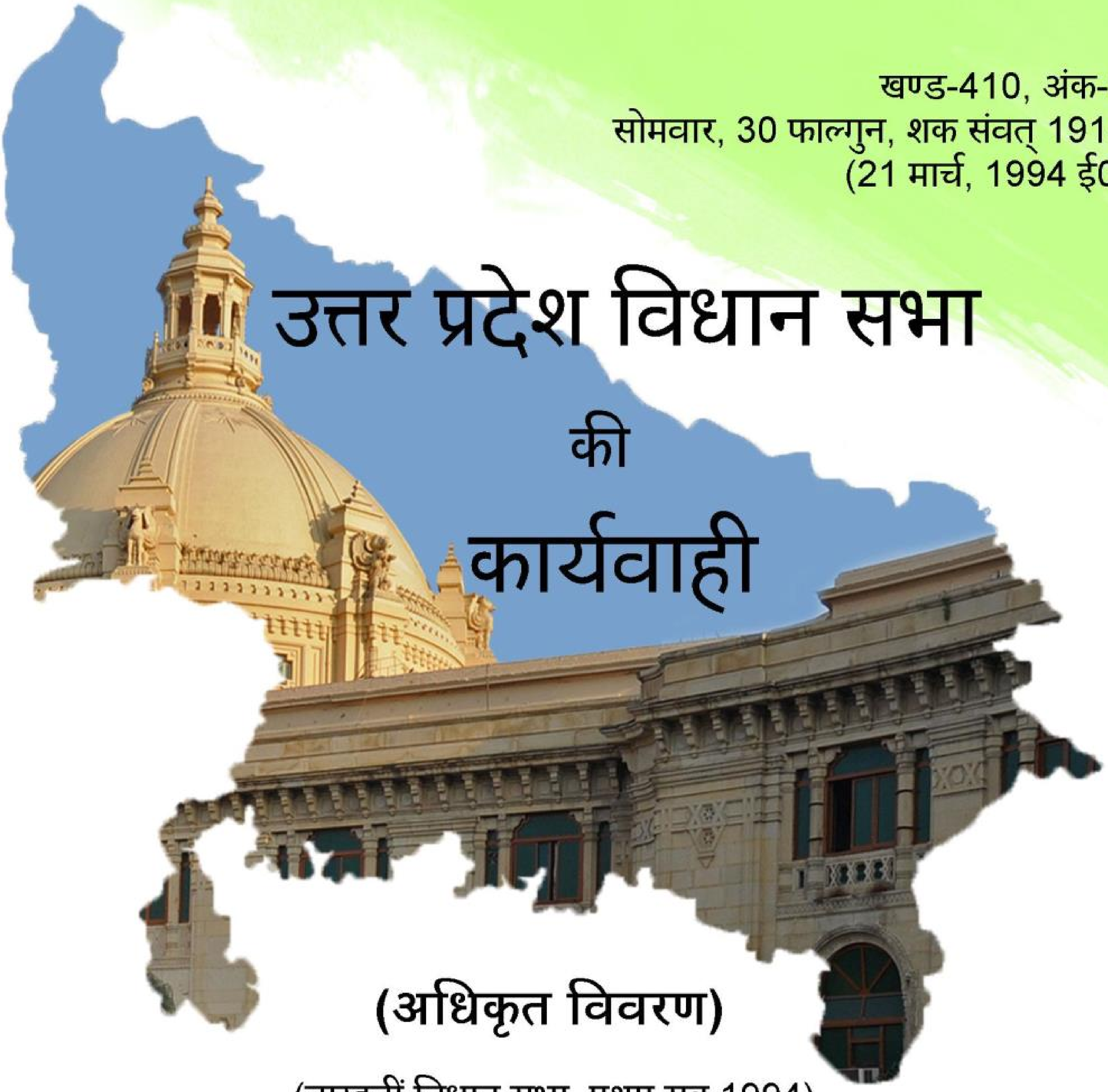

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
सचिवालय परिसर में लाश मिलने से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	104
जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत व भिकियासैण को मिलाकर नया जिला बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
सीतापुर नगर में बिजली की अघोषित कटौती तथा उपकरणों के अभाव में बिजली उपभोक्ता के समक्ष व्याप्त गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
आगरा के गोकुलपुरा से कालबन्द चौराहे तक नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	106
चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त आरक्षित पद भरने हेतु चयनित सूची को प्राथमिकता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्बल वर्ग के लागों द्वारा लिये गये ऋण के मूलधन वसूलने तथा उस पर लगे ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद चमोली गढ़वाल के कतिपय ग्रामों के रामगंगा के कटाव द्वारा हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
वाराणसी नगर में मुख्य मार्ग पर स्थित कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	109
लखनऊ स्थित मुख्य सचिवालय के परिसर में पन्द्रह वर्षीय किशोर का शव बरामद होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)...	109–111
विभिन्न दलों के नेताओं के बोलने के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	111–116
लखनऊ स्थित मुख्य सचिवालय के परिसर में पन्द्रह वर्षीय किशोर का शव बरामद होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	116–126
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	126–128
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, स० वि० स० की बुन्देलखण्ड इलाके में बदमाश गिरोहों के जत्थे बन्द होने तथा उनके द्वारा आतंकित करने विषयक सूचना सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	128–129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	129–139

विषय	पृष्ठ संख्या

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... 139–145

विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पूर्व बजट साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 145

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा 145–154

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 154–155

जनपद बहराइच के थाना रामगांव के ग्राम बेहटागया में अनुसूचित जाति के परिवारों के घर जलाकर उन्हें गांव से भगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य 156

जनपद देवरिया में अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान न होने के कारण विधान सभा के समक्ष आत्मदाह करने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य 156–158

नत्थियां 158–177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश, श्री	महराजगंज
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर, श्री	गाजीपुर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
जुगेन्द्र सिह, श्री	बदायूं
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दीनानाथ भाष्कर, श्री	वाराणसी
रिक्त	उन्नाव
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
दौलत राम, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
फ्रेन्सिस डब्लू० मूर नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय	
बचनू राम पटेल, श्री	वाराणसी
बशीर, श्री	हमीरपुर
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
यश पाल सिंह चौधरी, श्री	सहारनपुर
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश कुमार, श्री	बदायूं
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया, श्री	गोण्डा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिवदानी, श्री	इलाहाबाद
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर

शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	हिटरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
सन्दीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर देहात
समई, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुशीला सरोज, श्रीमती	हरदोई
स्वयम्बर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरीशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

सचिवालय परिसर में लाश मिलने से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को लिये जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त गम्भीर घटना हो गयी है .....

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य एक साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम 311 में हम लोगों ने एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुनूंगा, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिये ।

श्री रंगनाथ

मान्यवर, सचिवालय के अन्दर लड़के की लाश बरामद हुई है । यह बहुत गम्भीर घटना है । प्रश्नकाल को निलम्बित करके इस मामले पर पहले सुना जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें । प्रश्नकाल के तुरन्त बाद मैं इस मामले पर सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप स्पष्ट निर्देश दे दें कि क्या आप करेंगे ? नियम 311 में जो महत्वपूर्ण सूचना दी गयी है, उस पर आपने का निर्देशित किया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैंने माननीय सदन से यह अनुरोध कर लिया है कि पहले प्रश्न प्रहर व्यतीत हो जाने दीजिये, उसके बाद तुरन्त मैं इसे ले लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते का राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किये जाने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों का फरवरी माह, 94 में बढ़े हुए महंगाई भत्ता को प्रदेश सरकार भी देगी ? सरकार किस तिथि से महंगाई भत्ता को बढ़ाने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

केन्द्र सरकार में माह फरवरी, 1994 में महंगाई भत्ता की स्वीकृत संबंधी आदेश राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्र सरकार का आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि जब केन्द्र ने माह फरवरी में महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किश्त देने की घोषणा कर दी है तो शासन ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी इस किश्त को देने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? उत्तर दिया गया है कि निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र के महंगाई भत्ता की माह फरवरी किश्त देने की घोषणा के बाद, उस निर्णय को लागू करने के संबंध में, उस निर्णय को प्राप्त करने की दिशा में अग्रेतर क्या कार्यवाही की है । दूसरी बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश का मूल्य सूचकांक क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जो केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है वह समाचार-पत्रों में आया है, लेकिन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार को प्राप्त होने के बाद उसके अनुरूप हमें देना है लेकिन अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह निर्णय करना होगा कि कितना पैसा जी० पी० एफ० में जमा करवा दिया जाय और कितना पैसा कैश दिया जाय ? श्रीमन्, दूसरा जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि मूल्य सूचकांक सन् 60 में 100 और 86 में 608 के अनुपात से चल रहा है ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, पहले से ही निश्चित हो चुका है कि यदि केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते की किश्त देती है तो फिर सुनिश्चित ही है, जैसा कि राज्य सरकार का कहना है इस संबंध में तय हो चुका है कि समस्त नीति जैसी केन्द्र में है, निश्चित ही उसी अनुरूप बढ़ेगा ।

(माइक पर आवाज साफ न आने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर जो यह सूचनायें हैं उन्हीं के अनुरूप सभी कर्मचारियों को दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तिथि से केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त देगी, उसी तिथि से और उसी के अनुरूप आप भी इसे स्वीकार करेंगे, इतना जानना चाहता हूं कि उस तिथि में परिवर्तन होगा, आप जानकारी देते हैं, आश्वासन देते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी

आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार जिस तिथि से मंहगाई भत्ते की किश्त देगी, उसी तिथि से राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सभी लाभ मिलेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, राज्य सरकार वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते की किश्त अपने कर्मचारियों को देती है, पहली किश्त जनवरी में और दूसरी किश्त जुलाई में । जैसा कि केन्द्र सरकार करती है अर्थात् उसका अनुपालन करना पड़ता है । यह निर्णय उनका है उसी तरीके से यहां भी लागू होता है कि मंहगाई भत्ते की धनराशि का कुछ अंश जी० पी० एफ० में डाल दें और कुछ कैश दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने मंहगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी की है, उसकी दरें क्या हैं ? उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिये वही दरें लागू करेगी, क्या इस पर शासन विचार कर रहा है और वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो यह आ गया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निर्णय तो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, केन्द्र सरकार का निर्णय प्राप्त हो जाने पर उसका अनुपालन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री गुप्त जी, अब तो कोई प्रश्न नहीं है, यह निश्चित ही है, कि केन्द्र सरकार कितना दे रही है वैसा निश्चित हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूर्व में यह जानना चाहता हूं कि जो आपने वेज मीन्स के संबंध में कहा, क्या सरकार ने उस पर विचार किया है कितनी किश्त देगी और किस स्तर के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत तक देगी ? कितना जी० पी० एफ० में जमा करेगी और कितना कैश देगी किस स्तर के कर्मचारियों को ? इसके क्या-क्या नियम हैं अगर राज्य सरकार ने इस पर विचार किया हो तो मान्यवर, बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी तक कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है जब निर्णय प्राप्त हो जायेगा, उसका अनुपालन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में अंतिम प्रश्न .....

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुपूरक मांगों के संबंध में उत्तर जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र से जब निर्णय प्राप्त हो जायेगा तब उत्तर प्रदेश सरकार को उसे लागू करने में कठिनाई नहीं होगी । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के निर्णय जो मंहगाई भत्ता के संबंध में है एवं यह उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लिये कब और किन परिस्थितियों में लागू करने का निर्णय लिया है । दूसरा स्पष्ट सवाल है जो श्री गुप्त जी ने किया है । केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता की किश्त 3500 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों को कैश दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस धनराशि का कुछ अंश जी० पी० एफ० में डाल देंगे और कुछ कैश देंगे । शायद पांच माह की किश्त की धनराशि जी० पी० एफ० में डालेंगे और एक माह की किश्त को कैश देंगे । 3500 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों में भी कैश नगदीकरण दिया जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कैश कितना दिया जायेगा और जी० पी० एफ० में कितना जायेगा, इसका निर्णय तो प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए लिया जाता है । पुनरीक्षित सूत्र 1-7-1986 से लागू हैं ।

प्रदेश में बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वर्ष 1993-94 में गठित समिति की प्राप्त रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

**2–श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रणधीर सिंह, श्री हरपाल सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त कर उसके वैकल्पिक स्वरूप को लागू करने के लिये सरकार ने वर्ष 1993-94 में जो समिति बनाई थी उसने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ? यदि हां, तो उसके क्या-क्या सुझाव हैं तथा सरकार उन्हें कब तक लागू कर देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रदेश के राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ।

यह सूचना उपलब्ध कराना जनहित में नहीं होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सूचना उपलब्ध हो गई है परन्तु जनहित में बताना उचित नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी थी, उसके किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया ? क्या सभी बिन्दुओं पर विचार किया या फिर कुछ बिन्दु छूट गये हैं ? दूसरा, जो वैकल्पिक व्यवस्था आप लागू करने जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान व लाभ प्रदेश की आय में होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। राजस्व का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह निर्णय लिया गया कि राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जो चीज आप घुमा-फिरा कर पूछना चाहते हैं, उसे जनहित में बताना इस समय उचित नहीं है।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ख) पर प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर स्पष्ट आ चुका है और दूसरे भाग के बारे में कह दिया गया है कि जनहित में बताना उचित नहीं है। इसलिये अब कोई अन्य प्रश्न पूछने का औचित्य इस पर नहीं रह जाता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस प्रकार समय बरबाद करके आप दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों को न छीनें। जो कुछ आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदक को पुनः निर्देशित किया गया कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[x x x]

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री रणधीर सिंह सदन त्यागकर चले गये)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य मनोविज्ञान ब्यूरो द्वारा राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर किये गये कथित शोध कार्य की जानकारी की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार के मनोविज्ञान ब्यूरो द्वारा राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर किये गये विस्तृत शोध के उपरान्त प्रस्तुत अद्यतन रिपोर्ट

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में उल्लिखित तथ्य क्या हैं ? सुधार हेतु दिये गये सुझाव क्या हैं और इन पर अमल हेतु सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

राज्य मनोविज्ञान ब्यूरो द्वारा प्रश्न में संदर्भित प्रयोजन हेतु कोई शोध कार्य नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर के संदर्भ में कहा गया है कि संदर्भित प्रयोजन हेतु कोई शोध कार्य नहीं किया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि यह जो मनोविज्ञान ब्यूरो है इसका कार्य क्या है । इसमें संदर्भित कार्य नहीं किया तो किस विषय पर कार्य किया है और उसकी क्या स्थिति है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने उत्तर में कहा है कि इस संबंध में कोई शोध कार्य नहीं किया गया । यह बात सही भी है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह अध्ययन से संबंधित है आपको जानना चाहिये कि शोध कार्य और अध्ययन दोनों में अन्तर है । आपका मूल प्रश्न जो है वह शोध से संबंधित है न कि अध्ययन से ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि प्रश्न में जिनका संदर्भ लिया गया है उसके संदर्भ में शोध कार्य नहीं कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि किस संदर्भ में शोध कार्य हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या प्रश्न से हटकर जो वह पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे सकेंगे ? यदि दे सकते हैं तो दे दीजिये ।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का प्रश्न था उसके संदर्भ में मैंने बता दिया उससे हटकर सवाल कर रहे हैं जिसके संबंध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि बी० जे० पी० की जब सरकार थी उस समय हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी संभवतः हो सकता है कुछ तनाव में, स्ट्रेन में काम कर रहे हों । लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जबसे हमारी सरकार आई है शिक्षा से संबंधित कोई भी अधिकारी तनाव में काम नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने जो अब प्रश्न का उत्तर दिया उससे स्थिति और जटिल बना दी है । राज्य सरकार का मनोविज्ञान ब्यूरो क्या है और उसने भाजपा के शासन काल में क्या काम किया और सपा शासन में क्या काम कर रहा है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि भाजपा के शासन काल में आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि शिक्षा से संबंधित जो अधिकारी हैं वह तनाव में काम कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

डा० मसूद अहमद–

पहले मेरा जवाब सुन लें । आपके समय में मैंने कहा 1992 में ऐसा अध्ययन कराया गया था उसकी रिपोर्ट भी आई थी उसका निराकरण कैसे होगा वह तरीका भी बता दिया गया था । उसके संबंध में आपने क्या किया मैं नहीं बता सकता । मैंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आपने मुझे समय दिया था (व्यवधान) प्रश्न करने के लिये आपने मुझे कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, समय का ध्यान रखिये । इतने में आगे का प्रश्न हो जाता । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अध्ययन किया गया और शोध नहीं किया गया है । इसलिये उस अध्ययन की रिपोर्ट क्या है और वर्तमान सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मूल प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता है ।

दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिये शासन की योजना

*2–श्री हृदय नारायण, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री बी० आर० वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में नई सरकार की क्या नीति है ? समाप्ति की क्या कोई कार्य योजना नई सरकार ने तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिये शासन कृत संकल्प है । नीति निर्धारण तथा कार्य योजना निश्चित करने के लिये विचार विमर्श किया जा रहा है ।

विचार विमर्श पूर्ण होने पर सुविचारित योजना यथा शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिये नीति निर्धारण तथा कार्य योजना निश्चित करने के लिये विचार विमर्श किया जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि विचार विमर्श चल रहा है तो क्या कोई कमेटी बनी है, यदि बनी है तो कब बनी है और कमेटी में कौन कौन लोग शामिल किये गये हैं और अब तक कितना विचार विमर्श हो चुका है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है और इस संबंध में 1990 में एक कमेटी का गठन किया गया, उसकी बैठकें भी हुई हैं, इसके अलावा सेमिनार भी किये गये हैं । कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष हैं, सचिव, पर्वतीय विकास, सचिव वित्त, सचिव नियोजन, सचिव शिक्षा–I सदस्य हैं और शिक्षा सचिव–II संयोजक हैं ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि यदि कोई कमेटी बनी है तो उसमें कितना विचार विमर्श हो चुका है उसका उत्तर दिलवा दें ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, वर्ष 1990 में इस संबंध में कमेटी गठित हुई थी जिसकी एक-दो बैठकें भी हुई हैं लेकिन उसके बाद मा० मुलायम सिंह यादव जी की सरकार समाप्त हो गयी थी और भाजपा सरकार आ गयी थी तो उस समय यह काम दब गया था किन्तु फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आयी और कमेटी गठित हुई और विचार विमर्श हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करने के लिये 1990 में प्रयास शुरू हुआ और 1990 में कमेटी गठित हुई तो 1990 से लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया और किया होगा तो प्रकाश में नहीं आयी है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस समय दोहरी शिक्षा समाप्त करने की दिशा में मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं, वह बता दें ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, उस पर चिन्तन हो रहा है।

श्री हृदय नारायण–

मंत्री जी ने अभी बताया है कि चिन्तन हो रहा है, पहले यह बताया था कि कोई कमेटी बनाई गई है, तो श्रीमन्, उस चिन्तन के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, प्रश्न का जबाब दे दिया, फिर भी आप कुछ और जानना चाहते हैं, इस संबंध में इतना बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों से अभी विचार कर लिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इस दोहरी शिक्षा नीति के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। मैं बहुत सादा और सरल सवाल करना चाहता हूं, कि केन्द्र सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि परिवार नियोजन के लिये कि जो राजनेता हैं और विधान सभा या पार्लियामेन्ट के सदस्य हैं ....

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न से इसका क्या संबंध है, पहले बता दीजिये, फिर आगे प्रश्न करें।

श्री किरन पाल सिंह–

पहले मेरा पूरा प्रश्न हो जाये। क्या उसी तरह से मंत्री जी आश्वासन देंगे कि दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करते वक्त सबसे पहले यह नियम बना दिया जायगा कि राज नेताओं व विधान सभा में आने वाले सदस्य, मंत्री और बड़े अधिकारी सबसे पहले उस नीति का पालन करते हुए अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर आ गया है, कमेटी बनने की बात आ गई है। अब आपके सामने उक्त कमेटी का निर्णय आ जाये तो प्रश्न पूछियेगा।

जनपद बाराबंकी में भवई ब्लाक के योरा कस्बे में वर्ष 1991 से संचालित विद्यालय में बच्चों के बैठने हेतु अतिरिक्त भवन निर्माण की मांग

*3–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में भवई ब्लाक के योरा कस्बे में जूनियर हाई स्कूल जो गत 100 वर्षों से चल रहा है और जिसमें छठीं, 7वीं तथा 8वीं कक्षायें थीं तथा प्रारम्भ से ही 4 कमरे वर्ष 1954 में उस समय थे जब छात्र संख्या 125 थी वहीं आज छात्र संख्या 800 से ऊपर हो

गयी है ? क्या इस विद्यालय के चारों तरफ 10 किलोमीटर में कोई हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बच्चों के बैठने हेतु अतिरिक्त भवन का निर्माण करायेगी तथा हाई स्कूल तक की कक्षायें खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

विद्यालय वर्ष 1919 से संचालित है ।

छात्र संख्या 416 है ।

विद्यालय के दक्षिण में 10 किलोमीटर की दूरी पर मां गुरु देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मान्यता प्राप्त) है ।

अतिरिक्त कक्षों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्तमान में राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह बहुत अहम् सवाल है । मान्यवर, सौभाग्य से इस जूनियर हाईस्कूल में मैं पढ़ा हूं । आज से 45 साल पहले वहां पर 4 कक्षायें और 100 बच्चे थे । सरकार वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहती है, दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करना चाहती है, एक तरफ कहती है कि अंग्रेजी स्कूलों को खत्म कर देंगे और दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में बिल्डिंग्स तक नहीं हैं । यह स्कूल जो अंग्रेजी के समय का है, अब भी उसकी वही स्थिति है । आज ही वहां पर दो कमरे हैं । तो जब तक ग्रामीण प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों का स्तर ठीक नहीं होगा, तब तक यह दोहरी शिक्षा नीति समाप्त नहीं हो सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक कक्षा में कितने छात्र होने चाहिये ? 104 से ज्यादा हिसाब से यहां आ रहे हैं । मेरा प्रश्न यह है कि बाराबंकी में कितने राजकीय हाईस्कूल हैं, मैं जानता हूं कि पूरे जिले में एक है मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि बाराबंकी जनपद में कितने राजकीय हाईस्कूल हैं ? मान्यवर, मैं जानता हूं वहां पर एक ही स्कूल है । सरकार शिक्षा नीति के तहत वहां पर और स्कूल खोलने पर विचार कर रही है ? पापुलेशन बढ़ी है तो पढ़ाई के लिये स्कूल भी होने चाहिये । और इसी के साथ यह भी मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितनी दूरी तय करके स्कूल खोलने पर विचार कर रही है । 50 वर्षों से यही सुनते आ रहे हैं कि संसाधनों की कमी है । मान्यवर, देहात के स्कूलों के लिये, गरीबों के स्कूल के लिये, पीड़ितों-दलितों के स्कूल के लिये संसाधनों की कमी है तो यह सरकार कब तक वहां पर उनकी शिक्षा के लिये स्कूल खुलवायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप माननीय सदस्य के प्रश्नों का बिन्दुवार उत्तर दे दें। उनका पहला बिन्दु यह है कि बाराबंकी में जो स्कूल 100 वर्षों से चल रहा है, आज वहां पर छात्रों की संख्या के अनुरूप आप कक्ष बनावाने का कार्य करेंगे ? दूसरा यह है कि उसके पास कोई दूसरा स्कूल खोलेंगे जहां छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें। तीसरा बिन्दु यह है कि उसमें हाईस्कूल कक्षायें भी खोलेंगे ? इन तीनों का उत्तर आप दे दें।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको मालूम होगा पहले क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में मैं न कुछ कहना चाहता हूं न उसमें जाना चाहता हूं लेकिन मैं इधर की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारा प्रयास है कि जैसा आपने संख्या 125 की जगह पर 800 बतायी हैं वह 800 नहीं 416 है। कुछ कठिनाइयां हैं। चार कमरों की आवश्यकता अवश्य है। यह आवश्यकता आज ही नहीं बढ़ी है, पहले से रही है। हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। दूसरी बात स्कूल खोले जाने की है, हमारी सरकार इसके लिये दृढ़ संकल्प है हर गांव में प्राइमरी स्कूल और हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाईस्कूल खोलने के प्रयास जारी हैं।

(सत्ता पक्ष में मेजें थपथपाई गईं)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में एक नीति संबंधी प्रश्न करना चाहता हूं। सरकार का लक्ष्य बड़ा पवित्र है लेकिन यदि वह निजी स्रोतों से सहयोग नहीं लेगी तो यह लक्ष्य किस तरह से पूर्ण हो सकेगा ? स्कूल के लिये चार कमरे और वह भी कमरों के साइज 22'x24' के होने चाहिये। यदि कोई पुराने रईस ने अपनी धर्मशाला या बिल्डिंग स्कूल के लिये दान में दिया।

श्री अध्यक्ष–

22x25 साइज है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ठीक है। जो कोई अपनी बिल्डिंग या धर्मशाला दान में दिये होंगे वह कमरे 80x80 से कम के नहीं होंगे। कोई कमरे यदि मानक नाप से 1–2 फीट कम हो जायं तो उसमें क्या आपत्ति है ? मानक में दीवार को भी नाप से बाहर रखते हैं यदि इसमें थोड़ी शिथिलता कर दी जाय, कमरों के साइज में तो मैं समझता हूं कि सरकार को निजी स्रोतों से लाभ मिल सकता है स्कूल खोलने के लिये। मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विस्तार के लिये जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें इस बिन्दु पर भी विचार कर लिया जाय। कमरों के आकार में शिथिलता देकर स्कूल को मान्यता दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, आपके सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्पष्ट कराये दे रहा हूं। मेरी बात सुनें। माननीय मंत्री जी माननीय गुप्त जी का प्रश्न यह है कि जिस तरह से कुछ वर्ष पहले सन् 60 से 75 तक यह रहा है कि किसी ने अपनी बिल्डिंग दान में दे दी है उसके कमरों की साइज 20'x25' नहीं है, कम है।

(शोर)

तो उस पर छात्र संख्या 20-25 भी नहीं बैठ सकती है तो उसको कम दिया जाय। इसी तरह से बिल्डिंग दान कर दी है और छात्रों की संख्या उसमें कम कर देंगे तो क्या मान्यता आप दे सकेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

छात्रों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यवाही पर विचार कर लिया जायेगा।

(शोर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति दे रहा हूं। आप बार-बार खड़े होकर प्रश्नों का समय खराब न करें। आपकी कोई बात नहीं लिखी जाएगी। यह अनुचित है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे ? दोहरी शिक्षा नीति के कारण सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है यह बिना संसाधन जुटाए हुए दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करेंगे या जैसी आज है वैसे ही समाप्त कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर पहले आ गया है। दोहरी शिक्षा को समाप्त करने के लिये समिति का गठन किया गया है इस प्रश्न के साथ उसको पूछना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(शोर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| सोमवार दि० 21-3-94 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न |

प्रदेश में आबकारी एवं मद्य निषेध दोनों विभागों को चलाये जाने का औचित्य

*1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक ओर शराब के ठेकों की नीलामी से राजस्व वृद्धि का प्रयत्न और दूसरी ओर मद्य निषेध का प्रचार करने का क्या औचित्य है ? क्या शासन मद्य निषेध विभाग अथवा आबकारी विभाग में किसी एक को बन्द करने पर विचार करेगा ? यदि हां , तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरुपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है, तद्नुसार मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से समुचित राजस्व प्राप्त किया जाये । मद्य निषेध विभाग मद्य-निषेध संबंधी शिक्षात्मक कार्यकलापों के माध्यम से मादक वस्तुओं के दुरुपयोग के दुष्परिणामों के विरुद्ध जन-जागृति हेतु सतत् प्रचार-प्रसार का कार्य करता है ।

अतः जब तक जनता मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग की बुराइयों और मद्य निषेध की अच्छाइयों से अवगत नहीं हो जाती और नशाबन्दी को स्वतः स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक आबकारी विभाग एवं मद्य निषेध विभाग को अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये बनाये रखना अपरिहार्य आवश्यकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई और कहा गया कि दोनों को बनाये रखना चाहते हैं । इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि "अतः जब तक जनता मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग की बुराइयों और मद्य निषेध की अच्छाइयों से अवगत नहीं हो जाती और नशाबन्दी को स्वतः स्वीकार नहीं कर लेती ।" मैं एक शेर कहना चाहूंगा–

"फिजा को रंग निगाहों को नूर देते हो,
लबों को प्यास दिलों को सुरूर देते हो,
कहा तो करते हो सबसे न पियें शराब,
मगर शराब के छींटे जरूर देते हो ।।"

गुजरात में प्रति वर्ष आय प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये होगी । वहां पूर्ण मद्य निषेध है । क्या गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में भी आप पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे ? अगर ऐसा संभव नहीं है तो जो एडिक्ट लोग हैं–उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर हैं । उनको छोड़कर बाकी लोगों के लिये सामान्य जनता के लिये आप मद्य निषेध लागू करेंगे ? तीन चूंकि आपने संविधान के नीति-निदेशक सिद्धान्तों का हवाला दिया है तो नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 उसमें नागरिकों के लिये समान संहिता और अनुच्छेद 48 में गाय बछड़ों के बध पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, तो क्या सरकार इसे अमल करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सरकार की स्थापित नीति है, मद्य निषेध की । लोग जब तक समझ न लें तब तक इसको पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता । 1977-78 में क्या हुआ था गुप्ता जी को मालूम है । 1977-78 में कई जिलों में नशाबन्दी की गई थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आये । स्थापित नीति मद्य निषेध की है लेकिन लोग जहर न पियें और मरें नहीं इसके लिये प्रचार किया जाता है । गाय बछड़ों के वध पर प्रतिबन्ध लगा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रचार कार्यक्रम भी चल रहा है और शराब की बिक्री भी हो रही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लोग खराब शराब न पियें इसलिये उनको अच्छी शराब उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है । लेकिन स्थापित नीति मद्य निषेध की है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैंने गुजरात सरकार का हवाला दिया । वहां पर मद्य निषेध लागू है और राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है । मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, जब जवाब ही नहीं देंगे तो प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं । आज करोड़ों लोग शराब ग्रस्त होकर अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं । भुखमरी फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, आत्महत्यायें हो रही हैं । एक तरफ राजस्व की बात की जा रही है दूसरी तरफ मद्य निषेध की बात की जा रही है । मंत्री जी के हिसाब से जब बच्चा तैरना सीख जायगा तभी पानी में छोड़ेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री डंग साहब तो सरकार में भी रह चुके हैं । इसमें उनको जानकारी होगी कि सरकार की नीति क्या है वह इससे शायद अच्छी तरह वाकिफ नहीं है । सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि मद्य निषेध और आबकारी दोनों साथ चल रहे हैं । तो क्या इन दोनों में किसी एक विभाग को बन्द करेंगे ? उत्तर बड़ा साफ था कि हम जनता को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह शराब न पिये । आबकारी विभाग की आय एक हजार 350 करोड़ रुपये की है, पिछले वर्ष की । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मद्य निषेध के लिये जो आप अपरिहार्य मान रहे हैं । तो मद्य निषेध विभाग की अपरिहार्यता के लिये, मद्य निषेध के लिये लोगों को प्रेरित करने के लिये कोई प्रभावी काम करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो राजस्व बताया गया है । यह केवल शराब की बात नहीं है दूसरे भी टैक्सों को इसमें जोड़ा गया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मद्य निषेध का बजट आप बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

58 लाख 53 हजार रुपये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इसको आप बढ़ायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसको घटायेंगे नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर जो सरकार की नीति है वह मद्य निषेध की है लेकिन शराब से राजस्व मिलता है इसलिये शराब को प्रोत्साहन भी सरकार देती है । एक तरफ मद्य निषेध की नीति है और दूसरी तरफ प्रोत्साहन भी सरकार की नीति है क्योंकि हर साल दूकानों के लक्ष्य बढ़ाये जाते हैं और जो नीलामी पहले आती है उससे बढ़ोत्तरी पर ठेके उठाने का प्राविधान किया जाता है । शराब से जो तरह तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनको देखते हुए यह जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें फैलायी जा रही हैं उस पर अंकुश लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सरकार की नीति मद्य निषेध की है लेकिन अगर लोग शराब के आदी हैं और अच्छी शराब न मिले और जहर पीकर मरें तो यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि जहर पीने से मना करे और अच्छी शराब दें । हम चाहते हैं कि शराब को लोग स्वतः छोड़ दें । अगर वह नहीं छोड़ते हैं तो वह जहर पीकर न मरें इसलिये अच्छी शराब देना भी हमारा कर्तव्य है ।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों पर अंकुश लगाने के बारे में प्रश्न किया था, गांवों में जो शराब की दुकानों का जाल फैलाया जा रहा है शासन उस पर अंकुश लगाने पर विचार करेगा । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । (शोर)

श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में जो लोग महुये से शराब बनाते हैं तो क्या इस तरह के धंधे को सरकार कुटीर उद्योग का दर्जा देगी ? (हंसी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मद्य निषेध की घोषित नीति है । शराब पीने वालों को मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित करने के लिये शराब की दुकानों पर शराबियों से कोई पत्रक भरवाने की व्यवस्था की जायेगी ताकि लोग शराब न पिये ।

एक सदस्य–

(बैठे हुए) इससे आपको दिक्कत हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप दो प्रश्नों का उत्तर दे दें । एक तो प्रश्न माननीय डंग साहब ने किया कि शराब की दुकानों पर क्या कोई रजिस्टर रखवाया जायगा ताकि जो लोग शराब पीने आयें या लेकर जायें उन लोगों का नाम लिखा जा सके । दूसरा प्रश्न वर्मा जी ने किया है उसका जवाब दे दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् यह हमीं ने किया था, डंग साहब आपने कुछ नहीं किया था । दिनांक 13-4-76 को एक अधिसूचना जारी करके सरकार ने यह जो शराब से संबंधित विज्ञापन थे, इस पर आपत्ति लगा दी गयी थी । शराब के बारे में पहले आप देखते रहे होंगे कि बहुत से विज्ञापन निकलते थे, लेकिन उन विज्ञापनों पर रोक लगा दी गयी थी । दूसरी तरफ यह मद्य निषेध विभाग जो है, पहले से ज्यादा प्रचार कर रहा है, मद्य निषेध का प्रचार कर रहा है और दूसरी तरफ शराब के विज्ञापनों पर रोक लगा कर हतोत्साहित ही कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर व्यवधान)

सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के आदेश पुनः निर्गत किये जाने एवं विभिन्न जनपदों में भारतीय भाषा केन्द्रों की स्थापना किये जाने की मांग

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ''अंग्रेजी हटाओ'' नारे के अन्तर्गत अंग्रेजी हटाने व भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं प्रतिष्ठित कराने के संबंध में नई सरकार की क्या नीति है ?

डा० मसूद अहमद–

अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजकीय कार्य में बन्द करके समस्त सरकार काम-काज राजभाषा हिन्दी में करने की शासन की स्पष्ट नीति है । इस विषय में पूर्व में भी आदेश विद्यमान हैं तथा दिनांक 27 जनवरी, 1994 को एक शासनादेश जारी करके समस्त सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के आदेश पुनः निर्गत किये जा चुके हैं ।

भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं प्रतिष्ठित कराने के उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर, 1990 को लखनऊ, इलाहाबाद तथा देहरादून में भारतीय भाषा केन्द्रों की स्थापना की गयी और उनमें आठ क्षेत्रीय भाषाएं यथा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती तथा बंगला के पठन-पाठन की

व्यवस्था की गयी । वर्ष 1991 के शैक्षिक सत्र से 4 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं यथा–पंजाबी, सिन्धी, असमिया तथा कश्मीरी को भी पठन-पाठन में सम्मिलित कर लिया गया ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, बगैर अंग्रेजी के हटाये प्रदेश और देश का कल्याण सम्भव नहीं है, यह डा० लोहिया की नीति रही है और मैं सरकार को बधाई दे रहा हूं आपके माध्यम से, अंग्रेजी हटाने का और भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं प्रतिष्ठित कराने का सरकार ने निर्णय लिया है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 2 अक्टूबर, 1990 को भारतीय भाषाओं की स्थापना की गयी और क्षेत्रीय भाषाएं जिनका उल्लेख किया गया है उत्तर में, उनके पठन-पाठन की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, यह जो भारतीय भाषा की स्थापना की गयी है, क्या इनका कोई बोर्ड है, इसका जो अध्ययन करके निकलते हैं,क्योंकि भारतीय भाषा की प्रतिष्ठा है, क्या सेवायोजन में उनको प्राथमिकता दी जाती है और अब तक की नीति क्या है ?

(घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का हूं और यह शराब का मामला है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिये मैं सदन छोड़कर जा रहा हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन त्याग कर चले गये)

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने अंग्रेजी भाषा और भारतीय क्षेत्रीय भाषा के संबंध में नई सरकार की नीति जानने की मंशा जाहिर की है, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 27 जनवरी, 1994 को आदेश जारी किया है, जहां भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, चाहे वह आफिस हो, चाहे और दूसरे विभाग हैं, वहां से उनको हटवा कर हिन्दी में लिखने का आदेश दिया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी जानबूझकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसकी चरित्र पंजिका में इस आशय की प्रविष्टि कर दी जायगी ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, जो मैंने अनुपूरक प्रश्न किया है, वह उत्तर नहीं आ रहा है ।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, प्रदेश के तीन और अन्य जनपदों में भारतीय भाषा केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इसके साथ-साथ यह आप इलाहाबाद, लखनऊ तथा देहरादून के महाविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में पठन-पाठन का कार्यक्रम चल रहा है । इसके साथ-साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिये पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री हम उनको फ्री उपलब्ध करा रहे हैं और जो बच्चे सफल होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिये चार सौ रुपये दिये जाते हैं ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया है। उत्तर दिला दें ?

श्री अध्यक्ष–

आपको अवसर दूंगा। उन्हें जो उत्तर देना था, वह दे दिया, संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। यह मेरे संतुष्ट या असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। क्या जो उत्तर आया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं ? आप मेरे प्रश्न को स्वयं सुनने की कृपा करें, मैंने पूछा था कि जो इन केन्द्रों की स्थापना की गई है, क्या वह किसी विश्वविद्यालय के अधीन हैं और इनकी उपलब्धियां क्या हैं और जो बच्चे इन केन्द्रों से निकलते हैं, क्या उनको सेवायोजन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह दूसरा दिया है। अगर आप माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न किया गया है, क्या उसकी पूर्ति हो जाती है, आप बता दें ?

डा० मसूद अहमद–

सभी चीजें सरकार कर रही है और अगर आवश्यकता होगी तो उसके बारे में भी सोचा जायेगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

यह केन्द्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि माननीय दीक्षित जी ने कहा कि इसको प्रोत्साहित करना है तो जो छात्र निकलते हैं, उनको वरीयता दी जानी चाहिए। क्या शासन इस पर विचार कर रहा है और क्या सरकार इनको और अन्य स्थानों पर भी खोलने पर विचार करेगी ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, इस पर विचार किया जायेगा। अभी तक तीन केन्द्र थे और अब तीन और केन्द्र बनाने का शासन में विचाराधीन है।

श्री ऊदल–

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सभी सरकारी विभागों को आदेश दे दिये गये हैं कि हिन्दी में काम काज किया जाये और वाहनों पर भी हिन्दी में लिखा जाये। क्या सरकार राज्य विद्युत परिषद् की जांच करायेगी जो किसानों को इस्टीमेट अंग्रेजी में, बिल अंग्रेजी में देते हैं और वाहनों पर भी अंग्रेजी में लिखा जाता है और गरीब जनता को भड़काया जाता है, क्या सरकार इस पर पाबन्दी लगायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी शिकायत है, जीपों में जो प्लेट नम्बर हैं उनके लिये भी स्पष्ट रूप से आदेश दिये जा चुके हैं, अगर ऐसी कहीं कोई शिकायत हैं तो आप उससे अवगत करायें, सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं किसी एक व्यक्ति की शिकायत नहीं कर रहा हूं पूरे राज्य विद्युत परिषद् की कार्यप्रणाली अंग्रेजी में चल रही है, किसानों को बिल भी अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं, इस्टीमेट भी अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं और वहां पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में हो रहा है। इसलिये मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर सरकार को बताना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे आदेश राज्य विद्युत परिषद् को भी देगी कि वह सारा का सारा कार्यक्रम हिन्दी में शुरू करें ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, कुछ जगह कठिनाइयां हो सकती हैं जैसे सम्प्रति रेडियोग्राम, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर में हिन्दी की सुविधा न होने के कारण उनमें अंग्रेजी में काम हो सकता है, हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि स्पष्ट आदेश दिये जा चुके हैं अगर कहीं ऐसा है तो आप अवगत करायें।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो निजी संस्थाओं के द्वारा हाईस्कूल और इण्टर कालेज चलाये जा रहे हैं, क्या सरकार उनका प्रान्तीयकरण करने के पक्ष में है या नहीं और उसमें पर्वतीय क्षेत्र के जो विद्यालय निजी संस्थाओं से चलाये जा रहे हैं, उनमें कितने स्कूलों का प्रान्तीयकरण करेंगे और क्या यह देखा जायेगा कि इन स्कूलों में हिन्दी में कार्य किया जा रहा है या नहीं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी सरकार दृढ संकल्प है और इसके लिये पहले ही 27 जनवरी, 1994 को हमारी सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को दे दिये हैं। अगर आपके पास और कोई जानकारी है तो अवगत करायें।

स्वामी परमानन्द दण्डी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो यह नीति अपनायी है अंग्रेजी हटाओ तो इस अभियान के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कार्य कर रही है। संस्कृत भाषा जो कि हमारी अपनी भाषा कहलाती है और सभी भाषाओं की जननी है तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पहले सरकार का एक जी० ओ० पास हुआ था जिसके अनुसार उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा के लिये लिपिक, चपरासी और कुछ अन्य सहायकों को सरकार ने पोस्ट किया था। अगर आपने स्थानीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया है तो आज तक संस्कृत भाषा के विद्यालयों को कोई लिपिक, स्टैनो आदि की सुविधा क्यों नहीं दी गयी है ? मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ व्यवस्था करेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

आप प्रश्न से हटकर सवाल कर रहे हैं ?

(कुछ अन्य सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। आपकी जिज्ञासा के अनुरूप उत्तर दिलवा दूंगा।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरे अनुपूरक प्रश्न को सुन लेने की कृपा करें। मान्यवर, जब आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी तो मैंने भारतीय भाषा के संबंध में जानकारी चाही कि इस समय जो तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ आदि के पठन-पाठन की व्यवस्था की है उसकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं, आप सुन लेने की कृपा करें। अगर आप मंत्री जी के सवाल से संतुष्ट हो जायेंगे तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो पठन-पाठन की व्यवस्था हुई है इसकी उपलब्धियां क्या हैं ? इसमें से प्रशिक्षित होकर जो लोग निकलेंगे उनको सेवायोजित करने में सरकार कोई प्राथमिकता देगी ? मान्यवर, दक्षिण के लोगों में इस तरह की भावना बनती है कि देश के एक बड़े सूबे में दक्षिण भारतीय भाषाओं का पठन-पाठन चल रहा है और इससे आपस में समन्वय भी स्थापित होता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, यह जो केन्द्र स्थापित हुए हैं इसका कोर्स तय करने में किसी विश्वविद्यालय से मापदण्ड लिये गये हैं या यह स्वयं तय कर लिये गये हैं और इसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मानीय दीक्षित जी की और हमारे माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उनकी अपने उत्तर से पूर्ति कर दीजिएगा कोई बड़ी जिज्ञासा नहीं है।

(व्यवधान)

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है, तो उर्दू और संस्कृत के बारे में सही मायने में इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी उर्दू और संस्कृत के प्रसार के लिये अकादमी बना दी गयी है, वह देख रही है, सोच रही है। आपने जो क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में पूछा है तो उसके प्रचार प्रसार के लिये हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे-जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती जायेगी उसकी आवश्यकतानुसार कार्य करेंगे।

(व्यवधान)

जनपद बलिया एवं देवरिया को जोड़ने वाला घाघरा सेतु का निर्माण पुनः प्रारम्भ किये जाने की मांग

*3–श्री संग्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया एवं जनपद देवरिया को जोड़ने वाला घाघरा सेतु का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया ? उसका कार्य कब रोक दिया गया ? उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिये उसका कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ? क्या सरकार उक्त घाघरा सेतु का निर्माण तत्काल कराने के लिये योजना के अनुसार धन निर्गत करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद देवरिया एवं बलिया को जोड़ने वाला घाघरा सेतु का निर्माण कार्य माह जनवरी, 1987 में प्रारम्भ किया गया था ।

जून, 1991 से धनाभाव के कारण इस सेतु का कार्य अवरुद्ध है ।

कथित सेतु पर निर्माण पुनः प्रारम्भ कराया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संग्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बलिया जनपद स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जितना आगे रहा, विकास की लड़ाई में पूरे प्रदेश में अगर लिस्ट में देखा जाये तो बलिया लिस्ट में नीचे है । माननीय मंत्री जी ने दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध है तो मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मई, 91 में जब भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार आयी तो उस सेतु को जो संसाधन उपलब्ध थे, मशीनें थी, भाजपा के शासन में आते ही अलीगढ़ में ट्रान्सफर कर दी गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल के इन पिछड़े जनपदों के साथ घोर अन्याय हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेतु के लिये कितना धन खर्च हुआ, कितनी आवश्यकता है तथा कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा जून, 1991 से इस पर काम बन्द है, 52 प्रतिशत काम हो चुका है और पुनरीक्षित जो इसकी लागत है वह अनुमानित है 14 करोड़ 24 लाख 62 हजार । इसको 1996 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री स्वामी नाथ–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है ।

मान्यवर, पुल का जब शिलान्यास हुआ था, उस समय जो धनराशि स्वीकृत हुई थी, उसमें आधे से अधिक काम पूरा हो गया है । लेकिन पिछली सरकार में इस पर काम रुक गया था, मैंने विधायक की हैसियत से इसके संबंध में आमरण अनशन भी किया था । मान्यवर, वह पुल यही सरकार जब पूर्व में थी तब माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, मानीनय बेनी प्रसाद वर्मा जी तथा माननीय अंचल जी के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था । भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस पर काम बन्द हो गया, सामान उठकर वहां से चला गया.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री स्वामी नाथ–

मान्यवर, इस बजट सत्र में ही इस पर पैसा देकर, इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाना चाहिए । मान्यवर, इसके बन जाने से आजमगढ़ से बलिया और उधर इलाहाबाद से बनारस की जनता भी लाभान्वित होगी । मान्यवर, इसका लागत खर्च प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है, जब 8 करोड़, 9 करोड़ की बात आती है तो हमारे अधिकारी सिर पर हाथ रख लेते, वहां की जनता के सामने यह मुख्य प्रश्न बना हुआ है कि यह पुल कब तक बनेगा ? मान्यवर, इसके बनने से इसका रिटर्न सरकार को मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, यातायात के साधान जनता को सुलभ होंगे, क्षेत्र का विकास होगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसमें कोई सन्देश नहीं कि यह पुल बहुत आवश्यक है । जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1996 तक इसको पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । माननीय सदस्य देवरिया को इसकी जितनी चिन्ता है, उससे कम चिन्ता हमको नहीं है, बजट पास होने दें ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न ले लिया है ।

*4–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[नवें बुध में ता० प्र० सं०–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में हाई स्कूल/इण्टर से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को मानक पूरा करने पर, वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिये जाने की मांग

*5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टर से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय, जो वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं हैं, की संख्या क्या है ? क्या इन प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

प्रदेश में प्रश्नगत विद्यालयों की संख्या–53 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप स्वयं भी शिक्षक हैं, आप अवगत हैं कि जो अध्यापक शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, उनका बड़ा शोषण होता है । इसमें 53 विद्यालय हैं, इसमें जो कार्यवाही की बात है, उसमें समय का उल्लेख नहीं है उत्तर में । मान्यवर, यह जो अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम में लेने की बात है, तो प्रबन्ध समिति को वेतन दिया जायेगा या जो शिक्षक हैं उनको डायरेक्ट दिया जायेगा । मान्यवर, यह कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा कि इन सारे विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनिय में ले लिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जो मान्यवर, 333 विद्यालय लिए गये, 53 बाकी हैं । बीच में पता चला कि जो मानक है उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं ? इसलिए उनको नहीं दिया गया, उस पर विचार विमर्श चल रहा है । देखा जायेगा अगर मानक को पूरा करते हैं तो उनको दे दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 53 विद्यालय बाकी बचे हैं, इन विद्यालयों को कब तक वेतन वितरण अधिनियम में लाने पर विचार कर रहे हैं ? क्या रूपरेखा तैयार की गयी है प्राइमरी विद्यालयों जो सम्बद्ध हैं, इण्टर कालेज और हाई स्कूल से उनके अध्यापकों के बारे में कौन सी प्रणाली लागू की गयी है बैंक से भुगतान की व्यवस्था है या प्रबन्ध समिति के माध्यम से भुगतान करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दीजिये, माननीय चौधरी साहब के प्रश्न का उत्तर भी अभी नहीं आया है, आपने कह दिया कि विचार कर रहे हैं उन 53 विद्यालयों के बारे में । लेकिन प्रश्न यह है कि आप प्रबन्ध तन्त्र को पैसा एक मुश्त देंगे या फिर आप अध्यापकों के वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत मासिक वेतन, जैसा कि जूनियर हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट को जो ग्रान्ट दी जाती है उस नियम के तहत देंगे ।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, वेतन का भुगतान शिक्षकों को सीधा बैंकों के माध्यम से किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर के सन्दर्भ में कहा कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, संख्या लगभग 45 होगी, उन पर विचार किया जा रहा है और मानक के अनुसार उनको दिया जायेगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से मानक हैं जिसकी वजह से वेतन संदाय में नहीं आये हैं और उसके संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० मसूद अहमद–

जो मानक हैं वह यह हैं कि संस्था एक हो, कैम्पस एक हो, कक्षा–8 तक मान्यता प्राप्त हो और कक्षा–6 में बगैर टी० सी० के एडमीशन न हो ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, जो मानक की बात कही गयी, जो प्रबन्ध समितियां हैं यह शोषण करने की नीति के कारण अग्रसारित नहीं करती हैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अग्रसारित न करने के कारण वेतन वितरण में लिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में पहले ही कह दिया है कि मानक की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं अतः यह सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

नवसृजित जनपद महराजगंज को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने की मांग

*6–श्री चन्द्र किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नव सृजित जनपद महराजगंज मुख्यालय को किन-किन मुख्य मार्गों से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है ? उन मार्गों के नाम क्या हैं और उन्हें कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सम्प्रति ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है ।।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि महराजगंज मुख्य मार्गों से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, बजट भाषण में यह लिखा है कि वर्ष 1994-95 में एक हजार से कम आबादी वाले 177, एक हजार से अधिक आबादी वाले 205 गांवों को मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महराजगंज को जो नया जिला बनाया गया है तो कितने गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है और उनके नाम क्या हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो बड़ा ही व्यापक प्रश्न है । परन्तु जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर हमने दे दिया है कि महराजगंज पूर्व से ही मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ है ।

उत्तरांचल में राजकीय उ० मा० विद्यालयों एवं राजकीय इण्टमीडिएट कालेजों के एल० टी०/प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

*7–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री बची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में राजकीय उ० मा० विद्यालयों एवं राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में एल० टी० एवं प्रवक्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं ? उपरोक्त सभी पद कब-कब से किस-किस विषय के रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा ? यदि हां, तो किस विधि से और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

उत्तरांचल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कलेजों में एल० टी० वेतनक्रम के 1979 तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के 873 पद रिक्त हैं।

प्रश्नगत पद विगत एक से आठ वर्षों के बीच रिक्त हुए हैं। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 158-159 पर)

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों की चयन प्रक्रिया मण्डल स्तर पर/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तथा प्रवक्ता हेतु अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एक से आठ वर्ष के बीच शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में एल० टी० वेतनक्रम में 1979 तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में 873 पद रिक्त हैं और यह भी कहा है कि उनके चयन की कार्यवाही जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे अभी तक कार्यवाही 8 वर्षों से हो रही थी, क्या उसी तरह की कार्यवाही आगे भी जारी है। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि विगत 2 वर्षों से राजकीय इण्टर कालेज, बारा, राजकीय इण्टर कालेज, भरसाड़ी, राजकीय इण्टर कालेज, केदारूखाल में एक भी प्रवक्ता किसी भी विषय का है ही नहीं और राजकीय हाई स्कूल, गैरेली में एक भी अध्यामक नहीं है। यदि ऐसा है तो इस दिशा में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में गणित, विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के 4-5 वर्षों से अध्यापक नहीं हैं, वहां सरकार ने अध्यापन की क्या व्यवस्था की है और यदि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है तो वहां के छात्रों को किस आधार पर परीक्षा में बैठा रही है?

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो उत्तर स्वतः स्पष्ट है, फिर भी मंत्री जी जवाब दे दीजिये।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पद रिक्त हैं। में आपको बताना चाहता हूं अगले सत्र तक सभी रिक्तियों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर समाप्त होता है।

नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फैजाबाद नगर में निर्माणाधीन बाई-पास का शेष कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

*8–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद नगर में भारी आवागमन के दबाव (ट्राफिक लोड) को देखते हुए कोई बाई-पास विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो वर्तमान में उसकी प्रगति क्या है और कब तक बाई-पास बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

बाई-पास पर प्रथम चरण में मिट्टी एवं पुल/पुलियों का कार्य मार्च, 1990 तक पूर्ण कर लिया गया था । द्वितीय चरण में 3 उपरिगामी सेतुओं सहित मार्ग को पक्का करने की स्वीकृति भारत सरकार से अगस्त, 1993 में प्राप्त हुई जिसके सन्दर्भ में अन्त के 6 कि०मी० भाग में विभागीय पद्धति से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्नगत बाई-पास का पूर्ण होना आगामी चार वर्ष में सम्भावित है परन्तु यह परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय मार्गों हेतु प्राप्त होने वाले अनुदान पर निर्भर करेगा ।

जनपद बस्ती की खलीलाबाद शुगर मिल को पुनः चलाये जाने की मांग

*9–श्री राम प्रकाश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर मिल, बस्ती जो दो वर्षों से बन्द पड़ी है उसके स्थान पर कोई नया मिल लगाने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या पुनः इसी मिल को तत्काल चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

खलीलाबाद शुगर मिल के स्थान पर कोई नई चीनी मिल लगाने के संबंध में कोई कार्यवाही वर्तमान में नहीं चल रही है ।

जी हां ।

पेराई सत्र, 1994-95 में इस चीनी मिल में गन्ना पेराई कार्य किये जाने की सम्भावना है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद महराजगंज के आनन्दनगर की गणेश शुगर मिल्स लि० बन्द होने के उपरान्त कृषकों को गन्ना खरीद की सुविधा एवं कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की मांग

*10–श्री शिवेन्द्र सिंह तथा श्री धनराज यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद की गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर बन्द होने की स्थिति में पहुंच गयी है ? यदि हां, तो किसानों का गन्ना खरीद एवं कर्मचारियों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्द नगर, जनपद महराजगंज में वर्तमान पेराई सत्र का समापन दिनांक 4-2-1994 से हो गया है ।

कृषकों की सुविधा हेतु चीनी मिल बन्द होने के उपरान्त आनन्द नगर चीनी मिल क्षेत्र में उपलब्ध अवशेष गन्ने की खरीद हेतु समीपवर्ती मिलों को उक्त मिल क्षेत्र से गन्ना खरीद करने की अनुमति दे दी गयी है ।

कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी में छोटी गण्डक नदी खनुआ नाले पर प्रस्तावित पक्के पुल का निर्माण

*11–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के विकास खण्ड भटनी में छोटी गण्डक नदी खनुआ नाले पर पक्का पुल निर्माण हेतु सन् 1988-89 में बनकटा शिवघाट व खैरार घाट का प्रस्ताव बनाया गया था ? यदि हां, तो उसके स्वीकृत न होने का कारण क्या है ? क्या प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त सेतुओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी ।

सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

*12–श्री बची सिंह रावत–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया की समस्त चीनी मिलों द्वारा बकाये गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान

*13–श्री विश्वनाथ–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया की किन-किन चीनी मिलों पर गत सत्र का गन्ना किसानों का भुगतान होना शेष है ? क्या सरकार इन गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करायेगी और भुगतान में विलम्ब करने वालों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया की किसी भी चीनी मिल पर गत वर्ष 1992-93 का गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

गन्ना सहकारी विकास समिति बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

*14–श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी विकास समिति, बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर के गन्ना किसानों का कुल कितना गन्ना मूल्य, किन-किन वर्षों का गन्ना समिति एवं चीनी मिलों पर भुगतान बकाया है ? क्या गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें शीघ्र होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बढ़नी पर अंकन रु० 15,17,466.39 एवं चीनी मिलों पर अंकन रु० 9,52,938.47 हैं, जिसकी वर्षवार सूची संलग्न है ।

जी हां ।

ऋण राहत योजना के मद में गन्ना समिति को नाबार्ड में प्राप्त व्यय धनराशि मु० 16,38,681.78 प्राप्त होने तथा संबंधित चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य धनराशि के प्राप्त होने के उपरान्त कृषकों को भुगतान कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

(देखिये सूची नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 160-162 पर)

उ० प्र० में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी स्तर के सरस्वती शिशु मन्दिर एवं मान्टेसरी स्कूलों में पढ़ायी जाने वाली साम्प्रदायिक पाठ्य सामग्री को बदलने की मांग

*15–श्री इरशाद–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में निजी संस्थाओं द्वारा प्राइमरी स्तर के एक लाख से अधिक सरस्वती शिशु मन्दिर, शिशु बिहार, मान्टेसरी स्कूल में इतिहास विषय में कुछ विषयों को साम्प्रदायिकता का आधार लेकर पढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने व अबोध शिशुओं के मानस पटल पर सुविचार अंकित करने के लिए, क्या सरकार उक्त पाठ्यक्रम को बदलने का कार्यक्रम चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

अनौपचारिक रूप से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है ।

शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाने का प्रतिबन्ध है । यदि शिक्षा संस्थाओं में साम्प्रदायिक आधार पर पाठ्य सामग्री का पठन-पाठन कराया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर प्राथमिक पाठशालाओं में बेहतर शिक्षा के लिए संसाधन जुटाये जाने, प्राथमिक विद्यालयों को खोले जाने एवं देवरिया जनपद में शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

*16–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर प्राथमिक पाठशालाओं में बेहतर शिक्षा प्रदान करने, संसाधन सुलभ कराने, भवनों के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत एवं नवनिर्माण, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या नये विद्यालयों के खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक खोले जायेंगे ? क्या देवरिया जनपद को सबसे बड़ा जनपद होने के नाते विशेष सुविधायें देने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में 15 दिसम्बर, 1993 तक प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

डा० मसूद अहमद–

प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में शासन की नीति के अनुसार आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जवाहर रोजगार योजना एवं विश्व बैंक द्वारा सहायतित सबके लिए शिक्षा के अन्तर्गत प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।

जी हां ।

वर्ष 1993-94 में 145 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गयी है ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति निर्णय के पश्चात् ।

जी नहीं ।

सभी जनपदों में संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नये विद्यालय खोलने पर विचार किया जायेगा ।

देवरिया जनपद में 13 अध्यापकों को निलम्बित किया गया । 37 अध्यापकों का वेतन रोका गया । 172 को चेतावनी दी गयी । शेष के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में महिलाओं हेतु संचालित विद्यालयों की संख्या तथा छात्राओं को प्रवेश दिये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

*17–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिलाओं की इण्टर तक की शिक्षा हेतु लखनऊ में कितने शासकीय व अशासकीय विद्यालय संचालित हैं ? क्या जनसंख्या के आधार पर यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो उसका विकल्प शासन ने क्या बनाया है ? वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुए सत्र में, महिला विद्यालयों में कितने प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया गया है ? नियत प्रतिशत से नीचे अंक पाने वाली छात्राओं की शिक्षा हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० मसूद अहमद–

4 शासकीय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त 41 अशासकीय बालिका विद्यालय संचालित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय बालिका विद्यालयों में 33 प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। प्रवेश दिये जाने का प्रतिशत भिन्न-भिन्न रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा वैहकिल मैन्युफैक्चर्स प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने का सुझाव

*18–श्री बदन सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम टेम्पोज चलने से प्रदेश के महानगरों में भारी प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने का कोई विकल्प खोजा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के महानगरों में वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक ऐक्शन प्लान तैयार की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 5 महानगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, (ताज ट्रैपीजियम), वाराणसी तथा इलाहाबाद तथा द्वितीय चरण में मेरठ, बरेली, गोरखपुर व मुरादाबाद आदि में प्रदूषण चेकिंग/नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत महानगरों में सर्वप्रथम टारगेट श्रेणी के वाहन जैसे टैम्पो, थ्री व्हीलर, नगरीय बस सेवा की बसें, सरकारी जीपें तथा टैक्सी आदि लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल चालित वाहनों के उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं। प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के उत्सर्जन की चेकिंग की जाती है तथा मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों का चालान किया जाता है।

प्रदेश सरकार द्वारा वाहन चालकों को जागरूक एवं शिक्षित करने हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश के बड़े महानगरों में गैराजों को प्रदूषण मापने हेतु अधिकृत करने तथा स्वयं परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के प्रदूषण को चेक करने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैहिकल्स मैनुफैक्चरर्स को प्रदूषण नियंत्रण लगवाने हेतु सुझाव देने पर विचार किया जा रहा है।

लागू नहीं।

जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आगरा में हाई कोर्ट पीठ की स्थापना की मांग

*19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की आगरा हाई कोर्ट पीठ को बनाये जाने की सिफारिश पर कब तक अमल कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार ने कतिपय बिन्दुओं पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार का अभिमत चाहा है । माननीय मुख्य न्यायाधीश से उनका अभिमत प्राप्त हो गया है । राज्य सरकार उक्त अभिमत पर निर्णय भारत सरकार से अग्रिम विचार-विमर्श के उपरान्त ही लेगी ।

सांसद एवं विधान मण्डल सदस्यों के साथ शिष्टाचार संबंधी शासन द्वारा निर्गत आदेश

*20–कुंवर अखिलेश सिंह–

क्या संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी है कि विधायकों से शिष्टाचार आदि बरतने के प्रकरण पर प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारी/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक आदि प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार विधायकों और प्रदेश के अधिकारियों/जिलाधिकारी/एस० पी० आदि मध्य प्रोटोकाल की विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । फिर भी शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को शिष्टाचार संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है । शासन द्वारा अन्तिम बार भेजे गये पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1993 की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 163-166 पर)

अतारांकित प्रश्न

श्री राम सिंह उ० मा० विद्यालय, सोनवानी, बलिया के प्रबन्धक द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच अब तक पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या जांच रिपोर्ट व कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ नगर के जीर्णशीर्ण विद्यालयों का जीर्णोद्धार

2–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर में जितने भी बेसिक स्कूल हैं लगभग वे सभी खण्डहर स्थिति में पहुंच चुके हैं ? यदि हां, तो उनका जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी किनकी है ? क्या विद्यालय में भवन न होने तथा गिराऊ होने के कारण स्कूलों में बच्चे नगण्य हैं ? क्या शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन व्यर्थ दिया जा रहा है ? क्या सरकार तुरन्त भवनों का पुनरोद्धार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी भवन स्वामियों की है ।

ऐसे आठ प्राइमरी विद्यालय पूर्व वर्षों से संचालित नहीं है ।

जी नहीं ।

शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अन्य विद्यालय में समायोजित किया गया है ।

जी हां, प्रथम चरण में 5 भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कथित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में अध्यापिकाओं की कमी

3–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फतेहपुर, जिला बराबंकी में विगत आठ वर्षों से प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं ? क्या इण्टरमीडिएट की कक्षाओं के लिए अध्यापिकाओं की भी जगहें रिक्त पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस विद्यालय में प्रधानाचार्य और अध्यापिकाओं की रिक्त पड़ी जगहों पर नियुक्ति के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

फतेहपुर, जिला बाराबंकी में कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के सूरतगंज-हेतमापुर मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

4–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूरतगंज-हेतमापुर मार्ग, विकास खण्ड सूरतगंज, बाराबंकी पर किन कारणों से अभी तक विभाग द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया है ? क्या इसी मार्ग पर

घोघिया पुल बनाये जाने की योजना भी है ? क्या शासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य राज्य योजना में सीमित संसाधनों के कारण अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है ।

जी नहीं । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि प्रश्नगत कार्य अब जिला सेक्टर में हस्तान्तरित है, अतः निर्माण कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, कार्य की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सरसवां से मैरमपुर, जनपद बाराबंकी मार्ग पर घाघरा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

5–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरसवां से मैरमपुर, जनपद बाराबंकी जाने वाले मार्ग, जो घाघरा नदी की छोड़ान पर पुल न होने के कारण लगभग 20 कि०मी० का चक्कर आम जनता को काटना पड़ता है ? क्या शासन द्वारा इस छोड़ान का पुल बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

डी० ए० वी० डिग्री कालेज, कानपुर से सम्बद्ध बन्द छात्रावास को पुनः चलाये जाने की मांग

6–श्री राकेश सचान, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी०ए०वी० डिग्री कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लगभग दो हजार छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त छात्रावास को नवम्बर, 1981 में बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या यह सही है कि छात्रावास की इमारत में कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी अनधिकृत रूप से किराये के आधार पर रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे इसे खाली कराकर पुनः छात्रों के रहने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

छात्र उपद्रव ।

जी हां ।

छात्रावास/भूमि (नजूल) के पुनः ग्रहण की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर को शासन के पत्र दिनांक 4-5-1991 द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं । छात्रावास/भूमि (नजूल) के अधिग्रहण होने के उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

7-प्रीतम सिंह-

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 161 द्वारा उत्तरित]

8-9-श्री हरक सिंह रावत-

[दि० 9-3-94 को अता०प्र०सं०-161-162 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के न्यायालयों में कानून व्यवस्था ठीक न होने के कारण मुकदमों में विलम्ब

10-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के न्यायालयों में मुकदमें लम्बे अर्से से अटके पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि न्याय में अनुचित देरी के कारण कानून व्यवस्था खराब हो रही है ? क्या प्रदेश में जिला जज, अ० जि० जज तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सब्सटेन्टिव्स सैक्सनस में केस निपटाने का कोई मानक निर्धारित है ? क्या मानक के अनुसार केस निर्णीत हो गये हैं ? यदि हां, तो मानक का कितना प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया गया ? मानक की पूर्णरूप से प्राप्ति के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ नगर से अतरौली को जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली क्रासिंग के ऊपर पुल निर्माण की मांग

11-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर से अतरौली को जाने वाला मार्ग (रामघाट रोड) में एक महत्वपूर्ण रेलवे क्रासिंग पड़ती है, जो अलीगढ़ नगर के बराबर दो हिस्सों का प्रमुख सम्पर्क मार्ग है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आये दिन वहां पर हो रही भीषण दुर्घटनाओं के कारण उक्त स्थान खूनी फाटक के नाम से मशहूर हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस फाटक पर पुल का निर्माण कराकर नगर की भारी वाहन समस्या का निराकरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हां ।

ऐसा कोई घोषित नाम इस फाटक का नहीं है ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा रेलवे विभाग के मध्य तकनीकी बिन्दुओं पर विचार विमर्श हो रहा है। अतएव इस पुल का निर्माण रेल विभाग की सहमति पर निर्भर करेगा।

जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय स्थापना की मांग

12–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर से 34 कि०मी० की दूरी पर स्थित तहसील शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय न होने से इस क्षेत्र की जनता को न्याय करने हेतु यातायात के साधन अच्छे न होने के बावजूद भी रामपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को सुलभ न्याय दिलाने हेतु तहसील शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डी०ए०वी० इण्टरमीडिएट कालेज, जनपद बलिया के पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण

13–श्री छोटे लाल यादव–

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी०ए०वी० इण्डरमीडिएट कालेज, विल्थरा रोड, जनपद बलिया में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में इण्टरमीडिएट के पिछड़े वर्ग के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति जिला स्तर से स्वीकृत की गयी थी ? क्या यह सही है कि इण्टरमीडिएट के कुछ पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति होने के बावजूद अब तक छात्रों को नहीं दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अब तक छात्रवृत्ति न दिये जाने के कारण से सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

संदर्भित विद्यालय में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में इण्टरमीडिएट के पिछड़े वर्ग के क्रमशः 47 तथा 64 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 19982-83 में 47 पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक के खाता द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 1983-84 में 64 पिछड़ी जाति के छात्रों में से 61 छात्रों को बैंक के द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। शेष 3 छात्र सर्वश्री बच्चन प्रसाद, प्रेम प्रकाश सिंह तथा सुरेश प्रसाद वर्मा द्वारा खाता न खोले जाने के कारण छात्रवृत्ति उनके खाते में हस्तांतरित नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिन 3 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी है वे विद्यालय छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। उन्हें खाता खोलने के लिए बार-बार निर्देश दिए जाते रहे हैं। जब भी वे अपना खाता खोलेंगे उन्हें तत्काल खाता हस्तान्तरण द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नवयुग कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ की छात्राओं को छात्रवृत्तियों का भुगतान न किये जाने की शिकायत

14–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लगभग 3 वर्षों से नवयुग कन्या इण्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में प्रधानाचार्या के पद पर विवादित नियुक्ति के कारण उक्त कालेज की छात्राओं को वर्ष 1991 से 1993 तक सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृति छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन छात्राओं को छात्रवृत्तियों के भुगतान हेतु शासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छात्राओं को अभी तक लम्बित छात्रवृत्ति के भुगतान न किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

कालेज में दिनांक 30-6-1990 से प्रधानाचार्या के रिक्त पद पर प्रबन्ध तंत्र द्वारा अमान्य प्रधानाचार्या की नियुक्ति कर दिए जाने के फलस्वरूप छात्रकोषों को दुरुपयोग से बचाने के लिए मण्डलीय बालिका निरीक्षिका द्वारा छात्रकोषों से भुगतान पर रोक लगा दिए जाने के कारण छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया जा सका। मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य प्रधानाचार्या द्वारा दिनांक 6-11-93 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है और उनके द्वारा छात्रवृत्तियों की भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रधानाचार्या के पद पर नियुक्ति से संबंधित याचिका मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण छात्रवृत्तियों के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के टीला ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में वर्षवार छात्र संख्या एवं अध्यापकों का विवरण

15–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के टीला ग्राम में आधारिक विद्यालय कब से चल रहा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि विगत 6 वर्षों में वहां पर अलग-अलग सत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की कितनी-कितनी संख्या रही है ? बच्चों की संख्या के

मानक के अनुरूप क्या अध्यापक नियुक्त हैं ? क्या सौ से भी अधिक छात्रों के होने पर मात्र एक ही अध्यापक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

विकास खण्ड थलीसैंण के ग्राम टीला में प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1949 से संचालित हैं।

विगत 5 वर्षों में विद्यालय की वर्षवार छात्र संख्या निम्नवत् रही है :–

1989	1990	1991	1992	1993
56	67	68	74	77

मानक के अनुसार विद्यालय में दो अध्यापक नियुक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में कनहर नदी पर सेतु के शेष भाग को पूर्ण करने के लिए धनराशि का आवंटन

16–श्री विजय सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र दुद्धी–विन्ढमगंज मार्ग पर कनहर सेतु का निर्माण कार्य कब चालू हुआ था ? अब तक उक्त कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त सेतु को पूर्ण कराने हेतु उ० प्र० शासन द्वारा गत वर्ष 72 लाख रुपये (बहत्तर लाख रुपये) स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उसमें से 20 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) किन-किन कार्यों में खर्च किया गया ? क्या बाकी 52 लाख रुपये (बावन लाख रुपये) जनपद मऊ को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़क एवं पुल निर्माण की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद सोनभद्र में प्रश्नगत कनहर नदी पर सेतु के निर्माण का कार्य अक्टूबर, 1994 में प्रारम्भ किया गया था। केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित योजना में धनाभाव के कारण इस सेतु का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है।

जी नहीं। सेतु अंश के शेष भाग को पूरा करने के लिए रु० 52.30 लाख का आवंटन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पालीटेक्निक कालेज, एटा एवं पालीटेक्निक कालेज, फर्रुखाबाद के भवन निर्माण हेतु निर्माण समाग्री परीक्षण की मांग

17–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुगेन्द्र सिंह एण्ड कम्पनी, जनपद एटा द्वारा पालीटेक्निक कालेज, सारों, जनपद एटा व पालीटेक्निक कालेज, फर्रुखाबाद में भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? घटिया किस्म के ईंट, सीमेंट, सरिया आदि लगाकर निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी गुणवत्ता की जांच कराने के बाद ही पेमेन्ट करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि निर्माण सामग्री विधिवत् तकनीकी परीक्षण हो जाने के बाद ही उपयोग में लायी जाती है ।

दस्युग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद एटा जिले में सड़क एवं पुल निर्माण की योजना

18–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत जनपद एटा में कुछ मार्गों को पूरा कराने हेतु पत्र संख्या–7340/10103सी/आ०यो/92/92-93 आगरा/अगस्त, 92 द्वारा स्वीकृत किया गया था ? क्या यह सही है कि आगणन भी शासन को कई बार उपलब्ध कराया जा चुका है ? क्या सरकार प्रस्तावित मार्गों को पूरा करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या–7340/103सी–आ० क्षे०, दिनांक 4-8-92 द्वारा जनपद एटा के कार्यों का पुनरीक्षित आगणन 422.60 लाख रुपये की लागत पर अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति कराने हेतु भेजा गया था, न कि स्वीकृत किया गया था ।

दस्युग्रस्त क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण की योजना के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० से शासन को प्राप्त विभिन्न जनपदों के प्रारम्भिक आगणनों में से जनपद एटा के 8 मार्गों पर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुमोदन 273.43 लाख रुपये की लागत पर प्राप्त हो गया है, किन्तु इस योजना को भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में न चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप उक्त कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । इन्हें पूरा कराया जाना भारत सरकार की सहमति एवं वित्तीय वचनबद्धता पर निर्भर है ।

जनपद सोनभद्र में बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी पर हुयी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किए जाने का मामला

19–श्री विजय सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सोनभद्र में बेसिक शिक्षा विभाग में 40 चपरासियों की नियुक्ति गत वर्ष में की गयी थी, जिसकी रिक्ति का कोई विज्ञापन न तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ और न ही रोजगार दफ्तर से नाम मांगे गये थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नियुक्तियों में से कितने अभ्यर्थी सोनभद्र के हैं और कितने सोनभद्र के बाहर के ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थानीय जिले के ही लोग रखे जाने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो उस शासनादेश का पालन इस प्रकरण में न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए दोषी अधिकारी कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

40 नही, वरन् चपरासियों के 64 पदों पर प्रश्नगत नियुक्तियां की गयीं ।

57 अभ्यर्थी सोनभद्र जनपद तथा 7 अभ्यर्थी अन्य जनपदों के थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनियमित नियुक्तियों के लिये तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी हैं । समस्त नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं । पूरे प्रकरण में जांच चल रही है ।

20–श्री हरक सिंह रावत–

[6ठे बुध में अता०प्र०सं० 124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जनपद गोरखपुर के सहायक अध्यापक पर विद्यालय की कुछ जमीन पर कब्जा करने का आरोप

21–श्री जगदम्बा सिंह तथा श्री बनवारी सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जू०हा०स्कूल), बरहलगंज, जनपद गोरखपुर के काफी हिस्से में उसी विद्यालय के एक सहायक अध्यापक ने कब्जा कर रखा है और गाय भैंस पालकर विद्यालय में गन्दगी फैलायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराकर शासन आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मंसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजकीय इण्टर कालेज, पौड़ी गढ़वाल की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला

22–श्री हरक सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का०, खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल की भूमि पर जो अवैध कब्जा है, उसे हटवाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड, बदलापुर में धनश्यामपुर-जोखापुर मार्ग पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा लेपन कार्य

23–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड, बदलापुर में धनश्यामपुर–जोखापुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 6 कि०मी० है, पर वर्ष 92-93 में 100 मीटर की दूरी तक पिच कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया है ? क्या यह सही है कि शेष-सड़क ऊबड़-खाबड़ एवं बरसात में चलने योग्य नहीं रह पाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में स्टेट सेक्टर द्वारा अथवा जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराकर सड़क को पिच कराकर आवागमन हेतु लायक बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

धनश्यामपुर-जोखपुर मार्ग की लम्बाई 5 कि०मी० है तथा वर्ष 92-93 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 300 मी० लम्बाई में लेपन कार्य कराया गया है ।

जी हां ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यह कार्य जिला योजना की प्रकृति का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

24–श्री तेजभान सिंह–

[दि 2-3-94 को अता० प्र० सं० 124 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के चित्रकूट ब्लाक में शिवरामपुर–सीतापुर मार्ग पर निर्माण की मांग

25–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट ब्लाक में शिवरामपुर–सीतापुर मार्ग आर० ई० एस० विभाग से किस निर्माण स्तर पर और कब लोक निर्माण विभाग इकाई कर्बी को हस्तान्तरित किया गया था ? लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? अब तक उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के राजापुर–कमासिन मार्ग निर्माण के डामरीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की मांग

26–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 से 1993 तक बांदा जिले के राजापुर–कमासिन मार्ग निर्माण के डामरीकरण हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या डामरीकरण कार्य पूरा हो चुका है ? क्या स्वीकृत धनराशि पूरी व्यय की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या शासन के मानक के अनुसार उक्त कार्य सन्तोषजनक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1991 से 1993 तक उक्त मार्ग के निर्माण पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ । अतः धन आवंटन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला मेरठ की सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, मालियाना के कोषाध्यक्ष श्री मामचन्द्र का स्थानान्तरण

27–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ की सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, मलियाना के कोषाध्यक्ष श्री मामचन्द्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के रहते कई बार स्थानान्तरण करके उन्हें कार्यमुक्त किया गया ? यदि हां, तो विगत 25 वर्षों से कार्यरत उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त करके पुनः इसी समिति में उन्हें नियुक्त किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त समिति में उक्त अधिकारी के कार्यकाल में ही उसके विरुद्ध की गयी शिकायतों एवं शिकायतों की जांच रिपोर्टों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या सरकार उक्त अधिकारी का तत्काल स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री मामचन्द्र विषयक समिति में दिनांक 6-5-81 से लगातार कार्यरत हैं परन्तु यह उल्लेखनीय है कि वे कोषाध्यक्ष के पद पर दिनांक 26-3-92 से ही कार्यरत हैं । कार्यहित में श्री मामचन्द्र के स्थानान्तरण को रोका गया ।

शिकायतों का विवरण एवं जांच आख्या (रिपोर्ट) को सदन के पटल पर रखे जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर में रामनगर-कृष्णानगर मार्ग को पिच कराये जाने की मांग

28–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर में रामनगर–कृष्णापुर मार्ग बनकर तैयार हो गया है और अभी पूर्ण पिच नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या जनहित में आवागमन को सुलभ बनाने हेतु उक्त शेष बची हुई सड़क को पिच शीघ्र कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि रामनगर-कृष्णापुर मार्ग के पास सरहदी ग्राम भेलूपुर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामनगर सड़क को और आगे बढ़ाकर लगभग 01 कि०मी० की दूरी तक पिच कराने पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, मार्ग की कुल लम्बाई 1.8 कि०मी० में अभी 1.00 कि०मी० में ही लेपन कार्य हुआ है ।

यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है तथा जिला योजना की प्रकृति का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में सम्भल–अनूपशहर मार्ग निर्माण की मांग

29–श्री सत्य प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में सम्भल–अनूपशहर मार्ग बनाने की स्वीकृति शासन द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? अब तक के कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के तहसील महोबा में एक अन्य बालिका विद्यालय खोलने की मांग

30–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की हर क्षेत्र में शिक्षा देने की योजना है ? यदि हां, तो जनपद हमीरपुर में तहसील महोबा में 80 हजार की आबादी के लिये एक अन्य बालिका विद्यालय कब तक खोला जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

सम्प्रति विद्यालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

चूंकि महोबा तहसील के मुख्यालय पर पहले राजकीय बालिका इण्टर कालेज है ।

राजकीय बेसिक प्राइमरी पाठशाला, पखुआपार, जिला बस्ती के भवन को नवनिर्मित करने की मांग

31–श्री बनवारी सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बेसिक प्रा० पाठशाला, पखुआपार, ब्लाक खलीलाबाद, जिला बस्ती पूर्णरूप से भवन विहीन हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त निर्बल आबादी बाहुल्य विद्यालय के भवन को कब तक नया निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव हर्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती में स्टेनो के पद पर श्री लालता प्रसाद अनु० जाति की नियुक्ति

32–श्री बनवारी सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में शिव हर्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती में स्टेनो के आरक्षित पद को भरने के लिये ली गयी परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संबंधित महाविद्यालय में प्रश्नगत पद को भरने के लिये चयन समिति द्वारा 26-1-1990 को साक्षात्कार सम्पन्न कराया गया जिसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्री लालता प्रसाद का चयन किया गया और श्री प्रसाद को दिनांक 4-4-91 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया जिसके अनुपालन में श्री प्रसाद ने दिनांक 9-4-91 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

अध्यक्ष व महामंत्री, उ० प्र० प्रा० शि० संघ, शाखा सुल्तानपुर द्वारा दिए गए कथित पत्र के संबंध में जांच की मांग

33–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष व महामंत्री, उ० प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा, सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित व प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 12-10-93 को मंत्री जी को प्रदत्त प्रतिवेदन, जिसमें वार्षिक प्रबन्ध में अनियमितता की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

34–श्री तेज भान सिंह–

[दि० 7-3-94 को अता० प्र० सं० 76 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा में सेवानिवृत्त अध्यापकों द्वारा आवेदन-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण पेंशन एवं जीवन बीमा संबंधी प्रकरण

35–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन, अन्य देयकों का भुगतान सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में कुल कितने मामले पेंशन

एवं अन्य देयकों के लम्बित हैं ? उनके भुगतान न कराये जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

सेवा निवृत्त अध्यापकों द्वारा आवेदन-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण पेंशन के दो एवं जीवन बीमा के 49 प्रकरण लम्बित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा पर अनियमित भुगतान का आरोप

36–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभमान, गोण्डा के संयुक्त खाते का पत्रांक मा/14606-10/92-93 दिनांक 30-2-93 एवं पत्रांक 2332-38, दिनांक 8-11-93 द्वारा एकाकी संचालन करके अनियमित भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अश्करी मेंहदी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बाराबंकी से वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण

37–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री अश्करी मेंहदी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बाराबंकी द्वारा राजकीय अनुदान एवं परिषद् के धन में अनेकों वित्तीय अनियमिततायें की गयी थीं, जिसकी जांच भी सितम्बर, 1992 में ही हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त श्री मेंहदी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री अश्करी मेंहदी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं आदि की शिकायतों की जांच कराई गई ।

जांच के आधार पर श्री अश्करी मेंहदी से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी पर स्वीकृति सेतु का निर्माण

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुहदी-लूम्बमां मार्ग को जोड़ने के लिये टाण्डा जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेतु का शिलान्यास वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सेतु का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्वीकृति, शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त की जा चुकी है ।

जी हां ।

चूंकि स्वीकृति निरस्त है,

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

39-40–श्री हरक सिंह रावत–

[6ठे बुध में अता० प्र० सं०–125-126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हापुड़ नगर के बाहर बाईपास हेतु भूमि का अधिग्रहण

41–श्री गजराज सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हापुड़ नगर के बाहर बाई पास शासन से स्वीकृति हो चुका है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ कराकर सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राष्ट्रीय मार्ग–24 पर पड़ने वाले प्रश्नगत हापुड़ बाईपास हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है । बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य अभी स्वीकृति नहीं है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर है ।

जनपद देवरिया व बलिया के जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्यवाही

42–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुये जिले जनपद देवरिया व जनपद बलिया में काफी दिनों से चल रहे जूनियर हाई स्कूलों को सरकार से सहायता दिलाने व मान्यता दिलाने हेतु कार्यवाही सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । शासनादेश दि० 11-5-92 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर आवेदित विद्यालयों को "अ" तथा "ब" श्रेणी की मान्यता प्रदान की जाती है । "अ" श्रेणी के मान्यता प्राप्त जू० हाई स्कूलों

को स्थायी मान्यता तिथि के वरिष्ठताक्रम में निर्धारित शर्तें पूर्ण होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत अनुदान सूची पर लिये जाने का प्राविधान है ।

निर्धारित शर्तें/मानक पूर्ण होने पर मान्यता प्रदान की जायेगी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के भदोही में औराई को जाने वाला बाईपास मार्ग के पुनः निर्माण की मांग

43–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि भदोही जिला वाराणसी में बाई पास मार्ग जो औराई को जाता है बहुत खराब है और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को जल्द से जल्द बनवाने का आदेश करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं पुनः निर्माण का कार्य सीमित संसाधनों के बावजूद भी प्रगति पर है ।

जिला जौनपुर में बसुही नदी पर पुल निर्माण की मांग

44–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बसुही नदी में गोपालापुर के आगे जिला जौनपुर में आज तक पुल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जल्द से जल्द पुल निर्माण की स्वीकृति देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बहेड़ी, जनपद बरेली में केसर इण्टर प्राइजेज लि० कृषि फार्म से उत्पादित गन्ने की पेराई

45–श्री मंजूर अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि बहेड़ी, जनपद बरेली में केसर इण्टर प्राइजेज लि०, बहेड़ी का लगभग 200 एकड़ कृषि फार्म है, जिससे नियमितरूप से गन्ने की फसल पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ने की आपूर्ति किस फैक्टरी को की जाती है ? उसका बेसिक कोटा गन्ना सोसाइटी बहेड़ी या किच्छा में क्या है ? क्या उक्त कार्य में पैदा हुये गन्ने की आपूर्ति गलत तरीके से केसर इण्टर प्राइजेज लि०, बहेड़ी को की जाती है ? यदि हां, तो क्या उस फर्म के खिलाफ शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । बहेड़ी जनपद-बरेली में ग्राम-मुड़िया मुकर्रमपुर में केसर इण्टर प्राइजेज लि०, बहेड़ी का 367.36 एकड़ का निजी कृषि फार्म है, जिसमें गन्ने की भी फसल पैदा होती है ।

यह चीनी मिल का निजी फार्म है, और इस फार्म का गन्ना चीनी मिल बहेड़ी स्वयं पेरती है ।

इस फार्म के गन्ने का गन्ना समिति बहेड़ी या किच्छा में कोई बेसिक कोटा नहीं है ।

इस फार्म का स्वामित्व केसर इण्टर प्राइजेज बहेड़ी में निहित है, तथा चीनी मिल, बहेड़ी के सुरक्षित क्षेत्रान्तर्गत स्थिति है और चीनी मिल स्वयं ही अपने उत्पादित गन्ने को पेरती है ।

प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं है ।

अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के संबंध में शासन का निर्णय

46–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त अशासकीय जू० हाई स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण से मुक्ति करने हेतु सन् 1985 में शिक्षा विभाग ने आवेदन पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपनी संस्तुति के साथ पत्र शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद भेजा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद से (1) पत्रांक संख्या (3) बेसिक/809/15-10-12/92-93 दिनांक 4-9-92 के द्वारा शिक्षा अनुभाग (3) उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक शासन द्वारा निर्णय न लेने का क्या कारण है ? उक्त शिक्षकों की कब तक प्रशिक्षण से मुक्ति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के संबंध में शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 809/15-10/92/93, दिनांक 4-7-92 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो अपूर्ण था । कालान्तर में शिक्षा निदेशक (बे०) द्वारा अपने पत्र दिनांक 8-10-93 द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन को भेजा गया ।

प्रस्ताव का अध्ययन अधिकारियों की समिति द्वारा कराया जा चुका है । इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय विकास खण्डों के प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण

47–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्डों हरिंग्टोन गंज, मिल्कीपुर और खण्डासा में कितने ऐसे प्राइमरी पाठशालाओं के भवन हैं, जिनका निर्माण कार्य अधूरा है? उनके निर्माण कार्य की धनराशि की स्वीकृति किस कार्यदायी संस्था को कब दी गयी है ? उक्त निर्माण कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

हरिंग्टोनगंज	19
मिल्कीपुर	शून्य
खण्डसा	शून्य

(सूची संलग्न है)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद वर्ष 1988-89 में दी गई ।

धन की कमी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 167 पर)

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी के चौकीदार श्री साकिर अली के बकाये वेतन का भुगतान

48–श्री छोटे लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी की किन-किन शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्ष 1974 से वर्ष 1980 तक का प्रत्येक वर्ष का कितना-कितना वेतन बकाया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसके लिये शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, इलाहाबाद से वर्ष 1984 में प्राप्त धन का भुगतान करने हेतु मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने दिनांक 1-1-84 से अब तक कितनी बार, कब-कब और किन-किन अधिकारियों को आदेश दिये हैं ? क्या इन आदेशों तथा पत्रांक व० सं०-2/5104-9/85-86, दि० 16-10-85 तथा पत्र संख्या शि० सं/8568/72/90-91, दिनांक 2-1-91 द्वारा दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत अवधि मे प्रश्नगत विद्यालय के केवल एक कर्मचारी श्री साकिर अली चौकीदार का वेतन रु० 884.10 बकाया था जिसका भुगतान दिनांक 2-5-92 को कर दिया गया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को चार बार दिनांक 16-10-85, दिनांक 5-7-86, दिनांक 2-1-91 व दिनांक 11-3-93 को निर्देश दिये गये ।

जी हां । दिनांक 2-5-92 को बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान से नेशनल इण्टर कालेज, बाराबंकी के कर्मचारियों को बकाये वेतन के भुगतान की मांग

49–श्री छोटे लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1984 में शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान रु० 1,10,493.00 के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के आदेश पत्र लेखा/16117-18/83-84 दिनांक 25-2-84 द्वारा प्रबन्धक, नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी को दिये गये आदेशों का पालन किया गया है ? इस अनुदान के मूलधन पर दिनांक 31-1-94 तक बैंक में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ और अब तक कितना धन निकाल कर किस कार्य पर व्यय किया गया ? अब कितना धन शेष है ? क्या यह भी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल में संबंधित कर्मचारियों का जूनियर स्तर का वेतन निर्धारण करके देय बकाया वेतन का भुगतान उपरोक्त अनुदान में से कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन कर्मचारियों का किस अवधि का कितना-कितना बकाया वेतन भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त निरीक्षक को भेजे गये जिला मंत्री उ० प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी के पत्र दिनांक 7-6-92 पर अब कार्यवाही किस स्तर पर कितने समय से लम्बित है, और क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज बाराबंकी में निलम्बित कर्मी के स्थान को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

50–श्री छोटे लाल यादव–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के प्रथम सोमवार के श्री अब्दुलसलाम के अतारांकित प्रश्न संख्या–146 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में लिपिक के निलम्बन तिथि 24-11-83 से स्थानापन्न पदोन्नति द्वारा दफ्तरी से इनके स्थान पर कार्य कर रहे लिपिक की दफ्तरी पद पर पदावनत (रिवर्ट) का प्रकरण किस स्तर पर, कितने समय से लम्बित है, और क्यों ? इनको कब तक दफ्तरी पद पर पदावनत करेंगे ? क्या स्थापन्न पदोन्नति लिपिक द्वारा दिनांक 24-11-1983 से दफ्तरी पद पर पदावनत होने तक जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी से प्राप्त किये गये वेतन एवं भत्तों आदि की वसूली (रिकवरी) की कार्यवाही किस स्तर पर, कितने समय से लम्बित है और क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

लिपिक के पदावनति का प्रकरण किसी भी स्तर पर लम्बित न होने के कारण वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

51–श्री छोटे लाल यादव–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद फर्रुखाबाद में काली नदी पर पक्का पुल के निर्माण की मांग

52–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की विगत सरकार द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में कन्नौज से श्रंगीरामपुर जाने वाले संयुक्त मार्ग मध्य काली नदी पर पक्का पुल बनाने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि स्वीकृति दी गयी थी, तो कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

केन्द्र सहायतित दस्युग्रस्त क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण की योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

इस सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना भारत सरकार की सहमति एवं वित्तीय वचनबद्धता पर निर्भर है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों के प्रत्येक क्षेत्र में मानक के आधार पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

53–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण, विकास खण्ड बीरौखाल, विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुल कितने जूनियर हाई स्कूल मौजूद हैं ? प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस मानक के आधार पर विद्यालय भवनों को स्थापित किया गया है ? क्या इनकी संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना वर्तमान सरकार करने जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

(1) जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रश्नगत विकास खण्डों में जू० हा० स्कूलों की संख्या निम्नवत् है :–

थलीसैण	12
बीरोखाल	15
पोखड़ा	8

प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न निर्धारित मानक के आधार पर जू० हा० स्कूलों की स्थापना हो रही है ।

(अ) जनसंख्या–800

(ब) दूरी–3 कि० मी० की परिधि में कोई जू० हा० स्कूल न हो ।

वर्तमान में मौजूद विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है । सर्वेक्षण के आधार पर थलीसेण में–3, बीरोखाल में–5 एवं पोखड़ा में–1 जू० हा० स्कूल स्थापित किये जाने शेष है ।

उपरोक्त स्तम्भ में उल्लिखित मानकों के आधार पर विकास खण्ड थलीसैंण के स्थान कपरोली में विश्व बैंक परियोजना ''सबके शिक्षा'' के अन्तर्गत वर्ष 93-94 में तथा विकास खण्ड पौखड़ा के स्थान पौक्षड़ा कन्या विद्यालय जिला योजना वर्ष 1993-94 में स्वीकृत है । अन्य अपेक्षित क्षेत्रों में आगामी वर्षों में परिव्यय को ध्यान में रखते हुये विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग निर्माण से हुई क्षति से प्रभावित भूस्वामियों को प्रतिकर भुगतान

54–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग निर्माण से हुयी भूमि क्षति का मुआवजा सभी भूस्वामियों को प्रदान किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान समय में इन सभी भूस्वामियों को मुआवजा देने की सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्नगत वर्णित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित भूस्वामियों को प्रतिकर भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

(1) कि० मी० 1 से 3 में ग्राम मठोली के भूस्वामियों को रु० 35, 209, 04 का भुगतान किया जा चुका है ।

(2) ग्राम बणगांव के भूस्वामियों के मुआवजे का भुगतान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 की विज्ञप्ति जारी न हो सकने के कारण नहीं हो सका है ।

(3) कि० मी० 4 से 13 में 6 ग्रामों में अप्रैल, 1993 में भुगतान किया जा चुका है ।

(4) कि० मी० 14 से 21 के बीच तीन ग्रामों के संबंध में रु० 3.36 लाख के भुगतान का अनुमोदन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शहर में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या, शुल्क तथा जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय खोले जाने की मांग

55–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति लखनऊ शहर में कितने सरकारी तथा कितने गैर सरकारी विद्यालय अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जा रहे हैं ? क्या इनमें कक्षा–8 तक की शिक्षा के लिये

विद्यालय भी शामिल है ? गैर सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिये क्या मानक हैं ? प्रत्येक बच्चे से कितनी फीस प्राप्त करने का सरकारी तौर पर प्राविधान है और कितनी फीस वास्तव में ली जा रही है ? क्या सरकार द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों से ज्यादा संख्या में बच्चे इन गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी विद्यालय, लखनऊ की जनसंख्या के अनुरूप उसी अनुपात में है ? क्या सरकारी कालोनियों के आवासियों के अल्पवेतन भोगी अभिभावकों के बच्चों के लिये विद्यालय खोलने का कोई प्राविधान शासन द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक इसकी व्यवस्था की जायेगी ।

डा० मसूद अहमद–

लखनऊ शहर में 17 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्पसंख्यक घोषित है इसके अतिरिक्त 9 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अरेबिक मदरसा अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

उपरोक्त में से अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम तथा गैर सरकारी अरबी तथा फारसी मदरसों के संबंध में राजाज्ञा संख्या–3367/15-7-87-53(5)/86 दिनांक 22-8-87 द्वारा निर्गत नियमावली में मानक उपलब्ध हैं ।

निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है ।

हां ।

लखनऊ शहर की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 में, लो० नि० वि० के खंडों में, मस्टर रोलों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान

56–श्री बची सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 में लो० नि० वि० द्वारा विभिन्न खण्डों में मस्टर रोल पर कितनी धनराशि का कार्य कराया गया ? क्या मस्टर रोल के द्वारा भुगतान किये जाने की प्रक्रिया में सत्यापन करवाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के पांच खण्ड हैं तथा इन खण्डों में वर्ष 1993-94 में माह 4/93 से 2/94 तक मस्टर रोल पर रु० 234.30 लाख का कार्य कराया गया है ।

विभागीय नियमों में मस्टर रोल द्वारा कराये गये कार्य का श्रमिकों को भुगतान किये जाने से पूर्व सत्यापन की व्यवस्था पहले से ही है।

मस्टर रोलों द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान श्रमिकों को करने से पूर्व अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (प्रभारी) द्वारा सत्यापन किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं है।

57–श्री बची सिंह रावत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 152 द्वारा उत्तरित]

58–श्री बची सिंह रावत–

[6ठे बुध में अता० प्र० सं० 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी में भवनहीन क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य एवं निर्माणाधीन विद्यालयों का विवरण

59–श्री बैजनाथ रावत–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में ब्लाक वार प्राइमरी स्कूल की संख्या क्या है। इनमें से ब्लाकवार ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या पृथक-पृथक क्या है, जिनके भवन नहीं है तथा जिनके भवन क्षतिग्रस्त व मरम्मत योग्य है ? वित्तीय वर्ष 1993-94 में बाराबंकी जनपद में प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण तथा मरम्मत हेतु ब्लाक वार पृथक-पृथक क्या प्राविधान किया गया है ? जनपद में ब्लाक वार प्राइमरी स्कूलों के निर्मित भवन तथा क्षतिग्रस्त स्कूलों के भवनों का विवरण क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

जनपद बाराबंकी में 1490 विद्यालय हैं इनका ब्लाकवार विवरण संलग्न है।

इनमें से 21 प्राइमरी विद्यालय के भवन नहीं है एवं 123 विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं तथा मरम्मत योग्य है।

प्रश्नगत वर्ष में 42 प्राइमरी विद्यालय प्राविधानित हैं।

प्रश्नगत 42 विद्यालयों में 9 भवन निर्मित हो चुके हैं। शेष भवन निर्माणाधीन हैं। विकास खण्डवार स्थिति की सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-168-169 पर)

जनपद लखनऊ के ब्वायज ऐंग्लों इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति

60–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्वायज ऐंग्लों बंगाली इण्टर कालेज, लखनऊ जो कि एक भाषीय अल्पसंख्यक विद्यालय है, में माह अक्टूबर, 93 में अध्यापकों की अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उनका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया है ? क्या माध्यमिक

शिक्षा संहिता अधि० के विनियमों के अन्तर्गत स्वयं अनुमोदन हो गया है ? यदि नहीं, तो इन अनियमित नियुक्तियों के सन्दर्भ में क्या विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? इसके लिये कौन लोग दोषी हैं ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

5 अध्यापकों की नियुक्तियां प्रस्तावित की गई ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नियुक्तियां अमान्य की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर (महाराजगंज) के रोहिन नदी पर स्वीकृत सेतु के पुनः निर्माण की मांग

61–श्री गनपत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के पनियरा विधान सभा क्षेत्र स्थित रोहिन नदी पर अकटहवा घाट पुल के निर्माण का आदेश वर्ष 1990-91 में हुआ था ? क्या उसके लिये शासन ने धन आवंटित किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होकर एक पाया तैयार हुआ था ? यदि हां, तो उक्त कार्य बीच में रोक दिये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के लिये धन आवंटित करके निर्माण कार्य शुरू करायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद गोरखपुर (महराजगंज) में पी० पी० गंज अकटहवाघाट मार्ग पर रोहिन नदी पर सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 87-88 में स्वीकृत हुआ था ।

जी हां ।

उक्त सेतु के एक कुयें पर कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा कार्य प्रगति पर था ।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण कार्य की स्वीकृति संसाधनों के अभाव में शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त किये जाने के कारण सेतु पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था ।

प्रश्नगत सेतु वर्ष 1993-94 में शासनादेश दिनांक 7-9-93 द्वारा पुनः स्वीकृत कर दिया गया एवं उपलब्ध सीमित संसाधनों के अनुसार सेतु पर निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 93 में पुनः प्रारम्भ किया जा चुका है ।

जनपद महाराजगंज के पनियरा ब्लाक स्थित मुजुरी बाजार तथा पनियरा विधान सभा क्षेत्र के कम्पियरगंज ब्लाक के पीपीगंज टाउन एरिया में कन्या हाईस्कूल स्थापना की मांग

62–श्री गनपत सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में उनकी ही सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लाक में एक कन्या हाई स्कूल खोलने के आदेश के तहत पनियरा विधान सभा क्षेत्र में कम्पियरगंज ब्लाक में पीपीगंज टाउन एरिया में तथा महराजगंज जिले में पनियरा ब्लाक स्थिति मुजुरी बाजार में कन्या हाई स्कूल खोलने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त दोनों स्कूल खुलवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन अगले जुलाई से उन्हें खोलने की व्यवस्था करने हेतु अध्यापकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जी नहीं ।

मानक के अनुसार उपयुक्त भूमि/भवन उपलब्ध न होने के कारण स्कूल खोलना संभव नहीं हो सका ।

जी नहीं ।

चूंकि विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, अतः अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

दीवानी न्यायालय बहराइच में कार्यरत आशुलिपिकों को द्विभाषीय भत्ते का भुगतान

63–श्री तेजभान सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि दीवानी न्यायालय, बहराइच में कार्यरत आशुलिपिकों को द्विभाषीय भत्ता अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या द्विभाषीय भत्ते हेतु कर्मचारियों के संबंध में अनुमति शासन से मांगी थी ? यदि हां, तो उक्त अनुमति कब मांगी थी तथा सरकार द्वारा कब दी गयी ? यदि द्विभाषीय भत्ता देने के संबंध में इतनी लम्बी अवधि तक अनुमति नहीं दी गयी, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अनुमति मा० उच्च न्यायालय से मांगी गयी थी ।

मा० उच्च न्यायालय से अनुमति 29-1-86 को मांगी गयी थी और अक्टूबर, 1992 में दी गयी ।

देरी के कारणों का पता मा० उच्च न्यायालय द्वारा लगाया जा रहा है ।

जनपद हमीरपुर के वर्णित ग्रामों में सड़कों के निर्माण की मांग

64–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद की कुछेछा से पत्योरा, रेठा से सुसौली, सुमेरपुर से देवगांव, सुमेरपुर से अजनेठी, सुमेरपुर से नरेहरा, पलरा पारा से कैथी, छानी से अतरारव रूटी पारा, विवाद से जल्ला, बोधुस्बुजुम से मऊ, ललपुरा से कजाली जार व कुम्हउपुर पतारा से नैठी केवटरा, जल्ला से कण्डौर, शिवनी से बिलौरा, कुरारा से जखेला, डामर से भैसाफली, कुतूपुर से खरौज, जमरेही से भटपुरा, कुसमरा से सिकरोठी, हमीरपुर से चन्दनपुर, स्वासा से भौंराकादर, टीकापुर–उजनेरी सड़कों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? उपरोक्त सड़कों के निर्माण के लिए संसाधन कहां से मुहैया कराये जायेंगे और निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्णित सभी मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है । बिना स्वीकृति के निर्माण का लक्ष्य निर्धारण सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने की मांग

65–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में वित्तीय वर्ष 1994–95 में कोई बालिका इण्टर कालेज खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्प्रति राजकीय इण्टर कालेज खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के राज्य योजना तथा जिला योजना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत

66–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन राज्य योजना के मार्ग तथा जिला योजना के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? किस-किस मार्ग पर मरम्मत के नाम पर कितनी धनराशि वर्ष 1992-93 में व्यय की गयी है ? जो मार्ग खड़न्जा स्तर के हैं, क्या सरकार लेपन स्तर तक कार्य कराने के लिये वित्तीय वर्ष 1994-95 में एस० एन० डी० योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत क्षेत्र में वर्तमान में कोई मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है ।

वर्ष 1992-93 में पारासराय-देवरिया-अलावल मार्ग पर रु० 60,000 (साठ हजार रु० मात्र) व्यय कर दो ह्यूम पाइप पुलिया बनवाकर मार्ग की मरम्मत करा दी गयी थी ।

फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण ।

उ० प्र० राज्य लाट्रीज निदेशालय में तृतीय श्रेणी में दैनिक वेतन कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग

67–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य लाट्रीज निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पदों की 31-3-94 तक और रिक्त होने की सम्भावना है ? क्या सरकार बतायेगी कि निदेशालय में तृतीय श्रेणी में कितने दैनिक कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या उक्त दैनिक वेतन कर्मचारियों को उक्त रिक्त पदों पर समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लाटरी निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कुल 14 (चौदह) स्वीकृत पद रिक्त हैं ।

31-3-1994 तक किसी अन्य तृतीय श्रेणी के पद के रिक्त होने की सम्भावना नहीं है । लाटरी निदेशालय में कुल 15 (पन्द्रह) दैनिक वेतन कार्मिक दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

नियमित भर्ती के समय अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी-वर्ग (सीधी भर्ती) (प्रथम संशोधन) नियमावली–1986 एवं अन्य संगत नियमों के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पात्र दैनिक कार्मिकों के चयन पर भी विचार किया जा सकेगा ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत स्थित ब्लाक खण्डासा से ग्राम घोड़वाल के लिए पिच रोड बनवाने की मांग

68–श्री मेवालाल बागी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत स्थित ब्लाक खण्डासा से ग्राम सभा घौडवल के लिये लगभग 10 कि० मी० एक सड़क काफी अरसे से निर्माणाधीन है परन्तु अभी तक मात्र 4 कि० मी० की दूरी तक ही सड़क को पिच रोड बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त 10 कि० मी० की पूरी सड़क को कब तक पिच रोड बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

खण्डासा के घोड़वल तक 11 कि० मी० लम्बे मार्ग में से 3.50 कि०मी० लेपन स्तर तक बना है ।

शेष कार्य लेपन स्तर तक स्वीकृत नहीं है और यह कार्य जिला योजना की प्रकृति का है, जिसकी स्वीकृति जिलानियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

विधान सभा क्षेत्र पनियारा में सड़कों के लिए बिछाए गये खड़न्जा पर तारकोल बिछाने की मांग

69–श्री गनपत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पनियारा विधान सभा क्षेत्र में गांगी-गोनहा, भुजुरी-सोनवरसा रोड, मोहद्दीपुर नहर से बड़हरा तथा मछली गांव-मोइनाबाद तक की सड़कें जो खड़न्जा स्तर तक तैयार है और उनके पत्थर के टुकड़े उखड़ कर बेकार हो जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उन सड़कों की यथाशीघ्र (पिच रोड) तारकोल रोड कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी, हां । यातायात से उखड़ने वाले पत्थरों की मिट्टी से मरम्मत कर वाटर बाउण्ड सतह को यातायात योग्य बनाये रखने की कार्यवाही की जाती है । मछली गांव-मोहनाबाद मार्ग–7 कि०मी० लम्बाई पर लेवल स्तर तक पूर्व में स्वीकृत है एवं 4 कि०मी० भाग तक पूर्ण है, शेष 3 कि०मी० भाग पर कार्य प्रगति पर है । शेष तीन मार्गों को लेपन स्तर तक निर्मित कराने में कुल–56.70 लाख रुपये की लागत आयेगी जिनकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बरेली के बहेड़ी केशर इण्टरप्राइजेज में प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयंत्र लगाये जाने की मांग

70–श्री मंजूर अहमद–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि बहेड़ी केशर इण्टरप्राइजेज, बहेड़ी, जनपद बरेली के संयंत्र से निकलने वाली खराब राख पूरे शहर में आ रही है जिससे शहर में कैंसर एवं टी० बी० जैसी भयंकर बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त यूनिट का जहरीला पानी शहर के मध्य एक गूल से निकाला जा रहा है, जिसकी गंध से नागरिकों का जीना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, बरेली एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 21-6-90 को प्रश्नकर्ता को सूचनार्थ भेजी गयी थी ? क्या उक्त यूनिट उस जांच में दोषी पायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त यूनिट के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित रिट याचिका सं०–3727/85 एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा उद्योग को बोर्ड के निर्धारित मानक प्राप्त करने हेतु 30-11-93 तक समय दिया गया था । मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 28-1-94 को पुनः उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में उचित संशोधन करने हेतु जिससे उद्योग द्वारा निर्धारित उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो बारह सप्ताह का समय दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1990 के अक्टूबर, नवम्बर माह में राम जन्म-भूमि के आन्दोलन से जुड़े शिक्षक/कर्मचारी की सेवा में निरन्तरता बनी रहने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जाने की मांग

71–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1990 व नवम्बर, 1990 में राम जन्म-भूमि के आन्दोलन के संबंध में जिन शिक्षकों को जेल भेजा गया था, उनको जेल की अवधि का वेतन दिये जाने के संबंध में क्या कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उन शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिनके कारण उक्त शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं । शासनादेश दिनांक 7 मार्च, 1992 द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि संबंधित शिक्षक/कर्मचारी से अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर देय अवकाश स्वीकृत किये जांय जिससे सेवा में निरन्तरता बनी रहे ।

प्रश्न नहीं उठता । शिक्षा निदेशक द्वारा उक्तवत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में शिक्षा से वंचित ग्रामों व मजरों के बालकों को शिक्षा देने हेतु जूनियर हाईस्कूल/प्राइमरी विद्यालय खोले जाने की मांग

72–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कितने गांवों व उसके मजरों में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल भवन रहित चल रहे हैं ? कितने गांवों व मजरों के बालक शिक्षा पाने से अभी भी वंचित हैं ? क्या शिक्षा से वंचित ग्रामों व मजरों के बालकों को शिक्षा देने हेतु प्रत्येक गांव में जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी विद्यालय इस वर्ष खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां,

693 गांव व उसके मजरों में से 1074 प्राथमिक व 179 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन सहित संचालित है।

77 ग्रामों व मजरों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

विद्यालय विहीन ग्रामों व उसके मजरों के बच्चे समीप के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निर्धारित मानक के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

73–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद हमीरपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालय में गृह विज्ञान, साइन्स तथा कामर्स की कक्षाएं चालू करने की मांग

74–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में गृह विज्ञान, साइन्स तथा कामर्स की कक्षायें कब तक चालू की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है एवं कला संकाय में सात विषयों में (गृह विज्ञान सहित) सोशल सर्विस इनवेस्टमेन्ट बोर्ड ने इस महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनापत्ति भी दे दी है। पद सृजन आदि की कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय, हमीरपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन हैं।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

75–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुलपति अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सम्बोधित बी० एड० के छात्राध्यापक, डा० राजेश्वर, सेवाश्रम, ढिंदुई, जनपद प्रतापगढ़ का दिनांक 15 मई, 1992 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं ? क्या उक्त शिकायतों से प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार प्रतीत होता है ? यदि हां, तो क्या उस पत्र पर जांच कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि जांच नहीं हुयी, तो क्यों तथा इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने, बी० एड० विभाग में हस्तक्षेप तथा छात्रों से अवैध धन वसूली ।

जी हां ।

कुलपति द्वारा एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है । जांच समिति की आख्या एवं संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई । जांच की कार्यवाही चल रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

गौरीगंज-सुल्तानपुर मार्ग में पुल लादिया गाटर के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुल्तानपुर को प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

76–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिया गया दिनांक 14-7-92 का प्रश्नकर्ता का पत्र, जिसमें सिगैड्रिन ब्लाक जामों में खुदाई के समय पाये गये तथा मसियावे ड्रेन के गौरीगंज-सुल्तानपुर मार्ग में पुल लादिया गाटर को पी० डब्लू० डी० के जूनियर इन्जीनियर द्वारा बेंच दिये जाने की शिकायत थी, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या जांच के समय खुदाई में प्राप्त गाटर का पता लगा ? यदि हां, तो उक्त पत्र में सन्दर्भित प्राप्ति स्थल के किन-किन व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०1, लोक नि० वि० से कराई गई ।

जी हां ।

प्राप्ति स्थल पर मार्ग के तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री आर० के० आर्या, प्रभारी मेट श्री गजराज प्रसाद वर्मा, ट्रक ड्राइवर श्री खलील अहमद, अवर अभियन्ता श्री राम तीर्थ वर्मा व श्री यू० पी० सिंह अवर अभियन्ता से सम्पर्क किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर क्षेत्र में निजामुद्दीनपुर नामक गांव की जमीनों की रजिस्ट्रीकरण हेतु स्थिति

77–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कुकरैल पिकनिक स्पाट के नजदीक स्थित ग्राम जिमुद्दीनपुर गांव को जमीनों की रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से गोमतीनगर क्षेत्र में दिखाया गया है, जबकि उक्त गांव इन्दिरानगर क्षेत्र में है और उक्त गांव से लगे हुये अन्य गांव चांदन एवं फरीदीनगर इन्दिरानगर क्षेत्र में ही है ? यदि हां, तो इस त्रुटि के लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त त्रुटि को तत्काल ठीक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिमुद्दीनपुर नाम का कोई गांव न तो गोमतीगनर क्षेत्र में है और न ही इन्दिरानगर क्षेत्र में है। निजामुद्दीनपुर नामक गांव इन्दिरारानगर क्षेत्र में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के ऐतिहासिक स्थल लोधेश्वर महादेव के समीप रैन बसेरा का निर्माण एवं औसनेश्वर महादेव विकास हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने की मांग

78–श्री सुन्दरलाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल, लोधेश्वर महादेव, औसनेश्वर महादेव, बाबा टीकाराम सिद्धेश्वर सिद्धौर, जोगनी तालवा महादेव, नील कण्ठेश्वर महादेव, सप्तऋषि पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्णित स्थलों में से लोधेश्वर महादेव के समीप रैन बसेरा एवं चहार दीवारी का निर्माण कराया गया है। औसनेश्वर महादेव के विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति जारी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में जौरास लिंक मार्ग आदि का डामर स्तर का कार्य पूरा करवाने तथा गोमती नदी पर पुल बनाने की मांग

79–श्री सुन्दरलाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जौरास लिंक मार्ग तथा मकनपुर मंझार, मौलाबाद मार्ग पर लेपन स्तर तक डामर स्तर का कार्य पूरा करवाने तथा उक्त मार्ग में स्थित गोमती नदी में पुल बनाने का भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

स्व० श्री शरद चन्द्र शुक्ला, सहायक भण्डार प्रभारी, दी किसान सहकारी चीनी मिल लि० बाजपुर, नैनीताल की विधवा पत्नी की नियुक्ति किए जाने की मांग

80–श्री अमर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री शरद चन्द्र शुक्ला, सहायक भण्डार प्रभारी (असिस्टेंट वेयर हाऊस इन्चार्ज) दी बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर जिला नैनीताल की दिनांक 28-10-92 को इनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या इनकी विधवा पत्नी श्रीमती मृदुल लता शुक्ला को सेवा में लिये जाने सम्बन्धी प्रथम प्रार्थना-पत्र विभाग को दिनांक 25-11-92 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन्हें सेवा में कब तक रख लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्व० श्री शरद चन्द्र शुक्ला, सहायक भण्डार प्रभारी (असिस्टेन्ट वेयर हाउस इंचार्ज) दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बाजपुर की दिनांक 29-10-92 को मृत्यु हुयी थी ।

जी हां ।

श्रीमती मृदुल लता शुक्ला को सेवा में लिये जाने सम्बन्धी उनका प्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 25-11-92 को विभाग में प्राप्त हुआ था ।

प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ को निर्देश जारी कर दिये गये कि वह स्व० श्री शरद चन्द्र शुक्ला की विधवा श्रीमती मृदुल लता शुक्ला की उपयुक्त पद पर नियुक्ति कर दें ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, कप्तानगंज, जनपद देवरिया के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

81–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री की जानकारी में है कि सहकारी गन्ना समिति, कप्तानगंज, जनपद देवरिया में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण नीतियों एवं शासनादेश में दिये गये शर्तों के अनुसार नहीं किया गया है ? कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका स्थानान्तरण निरन्तर किया जा रहा हैं ? क्या सरकार विधि विरुद्ध एवं निरन्तर स्थानान्तरण सम्बन्धी उत्पीड़न पर रोक लगायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, कप्तानगंज जनपद देवरिया में किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीतियों एवं शासनादेशों में दिये गये शर्तों के विरुद्ध नहीं किया गया है ।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, कप्तानगंज, देवरिया के सामयिक लिपिक श्री मदन प्रसाद मिश्र को सेवा में पुनः लिये जाने की मांग

82–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री मदन प्रसाद मिश्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मिश्र, सा० लिपिक को 24–11-81 को सहकारी गन्ना विकास समिति कप्तानगंज, देवरिया से सेवा पृथक किया गया था ? क्या उक्त सा० लिपिक ने 24-11-81 से सेवा में न लेने के विरुद्ध अभिनिर्णय विवाद सं० 128/82 दाखिल किया था, जिस पर श्रम न्यायालय द्वारा 29-3-86 को अवार्ड श्री मिश्र के पक्ष में हुआ था ? यदि हां, तो दिनांक 8-5-86 के न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में क्या श्री मिश्र को 30-11-93 तक सेवा में लेने का आदेश जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार न्यायालय के निर्णय की तिथि से लेकर उन्हें सेवा में न लिये जाने के समय तक के वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

श्री मदन प्रसाद मिश्र, सामयिक लिपिक को सेवा में लेने हेतु आदेश दिनांक 16-12-93 को जारी किया गया ।

उपर्युक्तानुसार इसका प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति कप्तानगंज (देवरिया) द्वारा प्रश्नगत भुगतान के मामले में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की गयी है । मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज गन्ना समिति के सदस्य काश्तकारों की सदस्यता शुल्क के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

83–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री की जानकारी में है कि सहकारी गन्ना विकास समिति, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज में वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में गन्ना काश्तकार जो समिति के सदस्य रहे हैं, उन काश्तकारों से पुनः सदस्यता शुल्क के नाम पर 80/- रुपये से 100/- (एक सौ रुपये) तक प्रति सदस्य से सदस्यता शुल्क जमा कराया गया है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों ने सदस्यता शुल्क जमा किया है ? कितने सदस्य बिना सदस्यता शुल्क जमा किये ही गन्ना की आपूर्ति किये हैं ? कितनी धनराशि सदस्यता शुल्क के नाम पर संग्रह की गयी है ? क्या सदस्यता शुल्कदाताओं से वसूली गयी धनराशि की पासबुक या रसीद समिति द्वारा जारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहकारी गन्ना समितियों की पुरानी उप विधियों के अनुसार वर्ष 1970 से समिति के एक अंश का मूल्य रु० 20.00 निर्धारित था । समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश क्रय करना अनिवार्य है । आदेश दिनांक 28-10-92 द्वारा एक अंश का मूल्य रुपये 100.00 कर दिया गया ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा वर्ष 1991-92 व 1992-93 में जो गन्ना समिति के सदस्य रहे हैं उनसे उक्त आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 92 के अनुसार एक अंश के लिये रु० 20.00 के बदले एक सौ रुपया पूर्ण करने के लिये रु० 80.00 की कटौती की गयी । वर्ष 1993-94 में नये सदस्यों से एक अंश के लिये एक सौ रुपये की कटौती की गयी ।

23,895 कास्तकारों ने ।

बिना सदस्यता शुल्क जमा किये किसी सदस्य ने गन्ने की आपूर्ति नहीं की है ।

रुपये 20,85,500.00

पेड पर्चियों पर समस्त सदस्यों की सदस्यता शुल्क की कटौती की धनराशि अंकित की गयी है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल, फैजाबाद द्वारा जनता उच्चतर मा० विद्यालय, बभनान, गोण्डा के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन न दिये जाने की शिकायत

84–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल, फैजाबाद के पत्रांक मा०/1850-54/1992-93 दिनांक मई, 11, 1992 तथा पत्रांक पा/5742-48/92-93, दिनांक 24-7-93 के द्वारा जनता उच्चतर मा० विद्यालय, बभनान, गोण्डा के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतन नियमानुसार दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक को भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं तथा लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा के कर्मचारियों को 5 माह का वेतन देने की मांग

85–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा के कर्मचारियों को मास दिसम्बर, 92, जनवरी, 93, मार्च, 93, जून, 93, जुलाई, 93 (5 मास) का वेतन बिल मास अगस्त, 1993 में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा पारित किया गया था ? यदि हां, तो कर्मचारियों के खाते में उनके वेतन की धनराशि कब तक हस्तान्तरित कर दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा के प्रधानाचार्य, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान की मांग

86–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा के प्रधानाचार्य, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अध्यापकों को विभागीय अधिकारियों ने वर्ष 1984 से मार्च, 1991 तक का वेतन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धतंत्र द्वारा देयक पावना उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान सम्भव नहीं हुआ ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा द्वारा देयक एवं मांग पत्र प्रस्तुत करने पर कतिपय अध्यापकों का वेतन भुगतान

87–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89, 1989-90 में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, गोण्डा के 16 अध्यापकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा वर्ष 1984 से मार्च, 1991 का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य कुछ अध्यापकों का वेतन उसमें सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो इनको कब तक उक्त महीनों का वेतन दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । मान्य 21 अध्यापकों की सूची में से 19 का भुगतान किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

विद्यालय द्वारा देयक एवं मांग पत्र प्रस्तुत करने तथा धन उपलब्ध होने पर वेतन भुगतान कर दिया जायेगा ।

असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

88–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 1993-94 में अनुदान सूची पर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा विभाग में अभियांत्रिक व्याख्याताओं का विनियमितीकरण

89–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–137 के उत्तर के संदर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 6 + 11 व्याख्याताओं की नियुक्तियां एक ही प्रकार की/समान हैं ? क्या व्याख्याता पद पर नियुक्ति के आदेश अलग-अलग शासनादेश के कारण 11 को 6 के साथ विनियमितीकरण करने में विभेद हुआ है ? यदि हां, तो क्या हौसला सिंह की तरह अन्य 11 को भी उक्त लाभ/सेवा अवसर दिये जाने पर अग्रेतर विचार हुआ ? क्या उक्त विचार विमर्श का स्वरूप/निर्णय का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । अन्य 11 व्याख्याताओं में 9 तथा 2 को, प्रोन्नति विनियमितीकरण, नियमावली, 1988 के अनुसार, क्रमशः वर्ष 1990 व 1991 में, विनियमित किया गया । जारी किये गये 3 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-8-90 व 28-8-91 की प्रतियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 170–173 पर)

शहीद इण्टर कालेज, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिया जाना

90–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज, मधुबन, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त कतिपय शिकायतों की जांच कब से लम्बित है ? क्या इस संबंध में शिक्षा निदेशक (मा०) का एक पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1992 को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को एक सप्ताह के अन्दर जांच आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा अब तक जांच पूरी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

अगस्त, 1992 से ।

जी हां ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 1-9-92 को जांच अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ को बनाया गया है । जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच अभी पूर्ण नहीं की गयी है ।

जांच अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण, राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में व्याख्याता के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

91–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में रसायन अभियंत्रण का पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु शासन द्वारा कितने व्याख्याता एवं अध्यक्ष के पद सृजित/स्वीकृत किये गये हैं तथा इस संस्था में कब से ये पद रिक्त हैं ?. यदि यह पद रिक्त हैं तो उन छात्रों का पठन-पाठन किससे कराया जाता है ? क्या यह सही है कि इस वर्ष 20 छात्रों के जगह पर लगभग 50 छात्रों का प्रवेश किया गया, जबकि किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो उनका पठन-पाठन किस प्रकार पूरा कराया जाता है ? क्या शीघ्र ही किसी व्याख्याता की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में रसायन अभियंत्रण का पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु व्याख्याता, रसायन अभियंत्रण के 3 तथा अध्यक्ष, रसायन अभियंत्रण का एक पद स्वीकृत है । व्याख्याता रसायन अभियंत्रण के 2 पद दिनांक 27-6-91 से तथा एक पद दिनांक 11-11-91 से एवं अध्यक्ष, रसायन अभियंत्रण का पद दिनांक 11-11-80 से रिक्त है । छात्रों का पठन-पाठन अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण तैनाती सम्भव नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय के अग्रेतर आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हाई स्कूलों तथा इंटर कालेजों के अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

92–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय सीतापुर जिले में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

कुल 56 पद रिक्त हैं ।

यथाशीघ्र ।

बलवन्त पुस्तकालय, ग्राम दोहरी, विकास खंड डीह, जनपद रायबरेली के पुस्तकालय संचालक पर धन के गबन का आरोप

93–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलवन्त पुस्तकालय, ग्राम दोहरी, विकास खण्ड डीह, जनपद रायबरेली को अब तक कितना अनुदान दिया गया उसमें से कितने धन की पुस्तकें खरीदी गयी ? क्या यह सही है कि उसका प्रयोग पुस्तकालय हित में न करके पुस्तकालय संचालक ने धन का गबन कर लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी विशेष रूप से जांच कराकर दोषीजन के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

बलवन्त पुस्तकालय, ग्राम–दोहरी, विकास खंड–डीह, जनपद रायबरेली को कुल रु० 2122 (रुपये दो हज़ार एक सौ बाइस मात्र) का अनुदान शिक्षा विभाग/शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा दिया गया ।

रु० 2050 की पुस्तकें खरीदी गयीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि० के विरुद्ध जांच

94–श्री राम विशुन आजाद तथा श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-1-94 तक वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों/विधायकों/विधान परिषद् द्वारा सरकार/शासन स्तर पर लिखित शिकायतें प्रेषित की गयी हैं? यदि हां, तो क्या इन शिकायती-पत्रों के अनुक्रम में अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या अब समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री राम मिलन सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन शिकायतों पर जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अमरावती बिहार से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को उ० प्र० में बी० टी० सी० के समकक्ष माने जाने की मांग

95–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त उन सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदेश में नियुक्ति दी गयी है, जिन्होंने अमरावती बिहार से सी० पी० एड० कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रदेश में सभी बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों के पद भरे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद प्रदेश में बेसिक पाठशालाओं में खाली पड़े हैं ? क्या इन पदों में अमरावती से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों को नियुक्ति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रदत्त सी० पी० एड० को बी० टी० सी० के समकक्ष नहीं माना गया है ।

परिषद् के अधीन विद्यालयों में मानक के अनुसार जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1993 तक रिक्त 5852 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों में कार्यरत फर्जी विनियमित व अनुमोदित अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या के विवरण की मांग

96–श्री छोटे लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुल कितने अध्यापक/कर्मचारी फर्जी विनियमित व अनुमोदित हैं जो मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में विद्यालयवार कार्यरत हैं ?

डा० मसूद अहमद–

प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

भदोही ब्लाक, जिला वाराणसी की सड़कों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही के विवरण की जानकारी

97–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही ब्लाक, जिला वाराणसी की सड़कों के संबंध में प्रश्नकर्ता ने जो पत्र मंत्री जी को दि० 9-12-93 को पक्का करने हेतु लिखा था इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? कया यह सही है कि उसमें कमसेठी–मछामिटिया मार्ग भी है, जिसे दो किलो मीटर पक्का किया गया है, शेष कंकड़ डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग को कब तक डामर से लेपन कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दिनांक 9-12-93 के पत्र में जिन मार्गों के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है वे जिला योजना की परिधि के अन्तर्गत आते हैं जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है जिलाधिकारी, वाराणसी को इस संबंध में उक्त मार्गों को उक्त समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने हेतु दिनांक 30-12-93 को निदेशित किया जा चुका है ।

उक्त पत्र में कोई उल्लेख नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) की तहसील घाटमपुर में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज का भवन निर्माण

98–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) की तहसील घाटमपुर में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या टेण्डर स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

उपलब्ध कराई गई भूमि विवादित होने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना दूसरी भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

99–100–श्री हरक सिंह रावत–

[6ठें बुधवार में अता० प्र० सं० 128–129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

101–102–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[6ठें बुधवार में अता० प्र० सं० 130-131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संस्कृत विद्यालय सौंड़, टि० ग० तथा संस्कृत विद्यालय आमणी टि० ग० के संबंध में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या की जानकारी

103–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विद्यालय, सौड़ तथा संस्कृत विद्यालय, आमणी टि० ग० में कितने छात्र पढ़ते हैं ? इन दोनों विद्यालयों में कितने का स्टाफ कार्यरत है ? यदि छात्र नहीं हैं, तो स्टाफ क्या कार्य करता रहता है ? क्या बिना कार्य के वेतन देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या इन विद्यालयों को हाईस्कूल में बदल कर स्टाफ से कार्य लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

संस्कृत विद्यालय, सौंड़ में 5 छात्र (पांच छात्र) एवं आमणी में 12 छात्र (बारह छात्र) पढ़ते हैं।

प्रत्येक विद्यालय में तीन-तीन अध्यापक तथा एक-एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

नियमानुसार विचार किया जायेगा।

104–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[6ठे बुधवार में अता० प्र० सं०–132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1993 में बी० टी० सी० परीक्षाफल में उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेराजगारों को सेवानिवृत्ति, पदोन्नति तथा नवीन विद्यालयों में रिक्त पदों में भरे जाने की मांग

105–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में बी० टी० सी० परीक्षा का परीक्षाफल अभी तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है और कब तक घोषित किया जायेगा ? बी० टी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके कितने लोगों को नौकरियों की प्रतीक्षा सूची में रखा गया है और उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं लिया जायेगा, तो क्यों ? वर्ष 1993 में बी० टी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नौकरी देने में किस प्रक्रिया का पालन किया जायेगा और समस्त प्रक्रियाओं में सफल घोषित उम्मीदवारों को कब तक नौकरी में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

वर्ष 1993 की बी० टी० सी० परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 13-8-93 को घोषित किया जा चुका है।

सम्प्रति बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 43,827 है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, नवीन विद्यालयों के खोले जाने तथा अन्य कारणों से पदों के रिक्त होने पर ऐसे प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां किये जाने में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में उपबन्धित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा और रिक्तियों की उपलब्धता की दशा में ही उन्हें सेवायोजित किया जायेगा ।

106–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुरादाबाद शहर के पश्चिम में कस्बा असा असालतपुरा के आस-पास छात्र/छात्राओं हेतु इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

107–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर के पश्चिम में कस्बा असा असालतपुरा जिसकी आबादी लगभग 70 हजार है, इसके आस-पास के इलाके में एक भी छात्रों/छात्राओं का कोई इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 में छात्रों एवं छात्राओं हेतु एक इण्टर कालेज खोले जाने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

असालतपुरा, मुरादाबाद शहर का एक मोहल्ला है । इसके आसपास छात्र/छात्राओं के 10 इण्टर कालेज हैं ।

असालतपुरा में छात्रों एवं छात्राओं के लिये और इण्टर कालेज खोलना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

संम्प्रति आवश्यकता नहीं है ।

मुरादाबाद शहर के पश्चिम में स्थित ग्रामों के निवासियों को शहर आने के लिये रामगंगा नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण किये जाने की मांग

108–श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर के पश्चिम में स्थित कस्बे इस्लामनगर, काफियाबाद मिलक, गौहरपुर सहित सैकड़ों गांवों के निवासियों को शहर आने के लिये रामगंगा नदी पर कोई पुल नहीं है, जिसके कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थल पर पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । वर्ष 1992-93 में पान्टून पुल स्वीकृत हुआ है जिसका निर्माण कार्य धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका है । अतएव पुल का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मुरादाबाद शहर में लोकोशेड के वर्तमान पुल को ऊंचा करके नव-निर्माण करने का मामला

109–श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर में लोकोशेड पुल जो रेल विभाग का है काफी जर्जर अवस्था में है एवं इस पर ट्रकों के भारी आवागमन के लिये सकरा भी है एवं विगत माह नवम्बर, 93 से पहले काफी दिन बन्द रहा जिसके कारण नागरिकों को भारी कष्ट उठना पड़ा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त पुल के बगल में एक नया पुल बनवाने पर विचार करेगी अथवा केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

वर्तमान सेतु को ही ऊंचा करके उसका नव निर्माण, रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तावित है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान

110–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ? इन मामलों से सम्बन्धित शिक्षकों और कर्मचारियों में से कितने लोग नियमित वेतन पा रहे हैं ? क्या शेष लोगों के भी वेतन भुगतान की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

586 शिक्षकों के तथा 191 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

372 शिक्षक एवं 110 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित वेतन भुगतान हो रहा है ।

शेष 214 शिक्षक तथा 81 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियां वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 9 के अन्तर्गत पद सृजित न होने अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1992 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार न होने के कारण वेतन भुगतान करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियां नियमानुसार न होने कारण ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ मे न्यायालय स्थापना की मांग

111–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 13-1-94 को जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ में अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के न्यायालय की मांग की थी ? यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सामान्य नीति निर्धारित हो जाने पर ही हापुड़ में अपर न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्व बैंक पोषित 'सबको समान शिक्षा' परियोजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर को स्वीकृत धनराशि एवं कार्य की प्रगति

112–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत "सबको समान शिक्षा" योजना में गोरखपुर के लिये अब तक कितना धन स्वीकृत किया गया है ? उक्त स्वीकृत धन दिये जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत "सबको समान शिक्षा" नामक योजना संचालित नहीं है, अपितु विश्व बैंक पोषित उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना इसी वित्तीय वर्ष (1993-94) में प्रारम्भ की गयी है । गोरखपुर जनपद की जिला शिक्षा परियोजना समिति को रुपया 241.90 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रुप में जनपद स्तरीय कार्यालय की स्थापना, 115 प्राथमिक तथा 50 उच्च माध्यमिक नये स्कूलों के भवनों का निर्माण, 35 प्राथमिक तथा 7 उच्च प्राथमिक स्कूलों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण, स्कूलों का विस्तार कार्य तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर में एक अतिरिक्त छात्रावास खण्ड का भवन निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से जनपद के (19 विकास खण्डों) में एक-एक ब्लाक संसाधन केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन का फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले लोगों पर मुकदमा दायर करने की मांग

113–श्री तेजभान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1992 को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में संदर्भित शिकायत की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जिन कर्मचारियों के लिये फर्जी प्रमाण-पत्र दिया जाना बताया जा रहा है, उनका वेतन उक्त विद्यालय से कब से कब तक निकाला गया है तथा कितना ? यदि वेतन नहीं निकला है, तो प्रमाण-पत्र किस

आधार पर जारी किया गया है ? क्या प्रमाण-पत्र जारीकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन वर्णित अपराधों के लिये मुकदमा दायर होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० पी० के० यू० इण्टर कालेज, मूसानगर, जनपद कानपुर देहात में वर्ष 1990 की हाई स्कूल की गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त अधीक्षिका से न कराकर पुरुष अध्यापक द्वारा कराये जाने के औचित्य की मांग

114–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० पी० के० यू० इंटर कालेज, मूसानगर, जनपद कानपुर देहात में वर्ष 1990 की हाईस्कूल की गृहविज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त अधीक्षिका से परीक्षा न कराकर उक्त परीक्षा किसी पुरुष अध्यापक से सम्पन्न करायी गयी ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या था ? क्या यह भी सही है कि उसी अध्यापक को प्रबन्ध समिति द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92, तथा 1992-93 में घोर भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इन सबके लिये दोषी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री सतीश भाटिया–

[3सरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–127 पर स्थानान्तरित]

116–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के भुगतान एवं अवशेष धनराशि का विवरण

117–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों का मिलों पर अनुमानित कितना रुपया बकाया था ? उसके भुगतान कराने हेतु शासन की नीति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 28-2-1994 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र, 1993-94 का प्रदेश की चीनी मिलों पर 1272.84 करोड़ रुपया देय था, जिसके विरुद्ध 1105.91 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा 166.93 करोड़ रुपया बकाया है। अवशेष गन्ना मूल्य कुल देय का 13.11 प्रतिशत है।

शासन की नीति गन्ना मूल्य शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने की है।

जनपद हरदोई के काश्तकारों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान.

118–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिल, हरदोई के गन्ना क्रय रामकोट, बरमीं तथा भौआपुरवा के जरिये वर्ष 1976-77 और 1977-78 में जिन काश्तकारों ने गन्ना सप्लाई किया, उन गन्ना काश्तकारों को अभी तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां,तो कुल कितना धन बकाया है ? शासन द्वारा उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत क्रय केन्द्रों से हरदोई चीनी मिल को वर्ष 1976-77 में आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का कोई बकाया नहीं है, किन्तु वर्ष 1977-78 का 7.11 लाख रुपया बकाया है।

उक्त बकाया चीनी मिल के अधिग्रहण से पूर्व का है, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम–1971 के प्राविधानों के अनुसार नियुक्त विहित प्राधिकारी के निर्णयानुसार किया जायेगा।

जनपद जौनपुर में जफराबाद से देवकली मार्ग पर गठिया नाले पर पुल निर्माण की मांग

119–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले जफराबाद से देवकली मार्ग पर गठिया नाले के पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ? अब तक उस पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इस सेतु निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में इस सेतु को पूर्णरूपेण निर्मित कराकर, इससे सम्बद्ध सम्पर्क मार्ग को भी तत्काल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद जौनपुर में जफराबाद से देवकली मार्ग पर गठिया नाले पर सेतु का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1991 में प्रारम्भ किया गया था।

प्रश्नगत सेतु पर माह जनवरी, 94 तक रु० 36.66 लाख (मेन्टेज सहित) की धनराशि व्यय की गयी है।

जी हां।

सीमित संसाधनों के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेतु तथा उसके पहुंच मार्गों का तत्काल निर्मित किया जाना जिला योजना में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद सहारनपुर में लखनौर के समीप हिन्डन नदी पर स्वीकृति पुल निर्माण की मांग

120–श्री मोहर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद सहारनपुर में लखनौर के समीप हिन्डन नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव काफी समय से शासन में विचाराधीन चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु वर्ष 1987 में शासन द्वारा 94 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य धनाभाव का कारण बताकर निरस्त कर दिया गया है ? क्या उक्त पुल के निर्माण हेतु वर्ष 1993 में पुनः प्रस्ताव शासन की ओर से किया गया था ? उक्त पुल का निर्माण कार्य अब तक किन कारणों से नहीं हो पा रहा है ? क्या चालू वित्तीय वर्ष की योजना में उक्त प्रस्तावित पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है ? चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु जो धनराशि स्वीकृति की गयी है ? उस धन से उक्त पुल का कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

स्वीकृति के अभाव में उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ।

उक्त निरस्त पुल की स्वीकृति को रु० 94.00 लाख की लागत पर दिनांक 23-2-94 द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया है । संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र में लिंक मार्गों को प्रदेश स्तर पर जोड़ने की मांग

121–श्री मोहर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर लिंक रोडों को जोड़े जाने हेतु वर्तमान योजना वर्ष में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? यदि कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 लिंक रोड ऐसे हैं, जिनकी लम्बाई 350 कि० मी० है ? यदि हां, तो उनको जोड़े जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि शासन से देना प्रस्तावित है ? उन सम्पर्क मार्गों पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु जिला योजना में सड़कों व पुलों के लिये आवंटित परिव्यय एवं अवशेष कार्यों की लागत के आधार पर नये कार्यों की स्वीकृति दिये जाने की नीति निर्धारित है । इस संबंध में शा० सं०–1448/23-11-93-78 ई०/93, दि० 4 अगस्त, 1993 द्वारा विस्तृत मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं । विधान सभा क्षेत्र हरोड़ा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 26 अलेपित मार्गों की लम्बाई 43.80 कि० मी० है ।

सूचना क्षेत्र से एकत्र की जा रही है ।

जनपद रामपुर में वर्ष 1980 के सभी प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगारों को नियुक्तियां दिये जाने की मांग

122–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर में वर्ष 1980 से अब तक के सभी प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगारों की नियुक्तियां न किये जाने से उक्त प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगार भुखमरी के कगार पर खड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रशिक्षित बी० टी० सी० बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु अध्यापकों के रिक्त पद पर नियुक्तियां करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं । वर्ष 1980 से प्रशिक्षित लोगों 465 में से 11 की नियुक्ति हो चुकी है ।

निर्धारित मानक के अनुसार रिक्ति होने पर नियुक्ति की जायेगी ।

सेवानिवृत्त, पदोन्नति, नवीन विद्यालयों के खुलने पर तथा अन्य कारणों से पदों की रिक्ति उपलब्ध होने पर ही नियुक्तियां की जा सकेगी । इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के ग्राम ढकिया तथा शाहबाद ''सी'' में गन्ना कृषकों द्वारा गन्ना आपूर्ति शाहबाद 'ए' एवं शाहबाद 'बी' क्रय केन्द्रों पर किये जाने की अनुमति दिये जाने की मांग

123–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम ढकिया व शाहबाद ''सी'' में गन्ना क्रय केन्द्र न होने से इस क्षेत्र के गन्ना कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के गन्ना कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने हेतु ग्राम ढकिया व शाहबाद ''सी'' में गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम ढकिया के गन्ना कृषक क्रय केन्द्र शाहपुर देव पर तथा शाहबाद "सी" क्षेत्र के गन्ना कृषक अपने गन्ने की आपूर्ति क्रमशः शाहबाद "ए" एवं शाहबाद "बी" क्रय केन्द्रों पर करते हैं तथा उन्हें अपने गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं है।

वर्तमान में निर्धारित मानकों के अनुसार ग्राम ढकिया एवं शाहबाद "सी" में नये क्रय केन्द्र की स्थापना का औचित्य नहीं बनता।

प्रबन्धक श्री आसलदे उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर के पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही

124–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रबन्धक श्री आसलदे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीपरपुर का पत्रांक 55-56/89-90 दि० 5-2-90 पंजीकृत डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है। जांच परिणामों से मा० सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा ?

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम असरफपुर की आबादी को देखते हुए बालिकाओं हेतु विद्यालय खोलने की मांग

125–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम असरफपुर, वि० ख० बल्दीराय, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की आबादी पांच हजार से अधिक है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बालिकाओं की शिक्षा की अभी तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु लघु माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय वहां खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

जी हां।

निर्धारित मानकों के अनुसार विद्यालय खोलने का निर्णय जिला योजना के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिया जायेगा ।

126–श्री बालेश्वर त्यागी–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अन्तर्गत कर्वी पहाड़ी राजापुर प्रमुख जिला मार्ग पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

127–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत कर्वी पहाड़ी राजापुर प्रमुख जिला मार्ग में दो किलोमीटर छः से आठ हेक्टोमीटर पर 10 मीटर के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाने के विभिन्न सक्षम न्यायालयों के आदेशों के उल्लेख सहित इंचार्ज ब्लाक प्रमुख, चित्रकूट व कई प्रधानों के हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र को संदर्भित करते हुए प्रश्नकर्ता का पत्र जो दिनांक 14-1-94 को दिया गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित आदेशों का क्रियान्वयन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्न में वर्णित मार्ग पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने संबंधी मा० न्यायालय नियत प्राधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट कर्वी, के आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दि० 7-3-94 को अता० प्र० सं० 117 द्वारा उत्तरित]

129–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[4थे सोम के लिये स्थगित]

वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय नानपारा बहराइच द्वारा प्रधानाचार्य की सेवा पंजिका, मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक–2 फैजाबाद से वापस किये जाने की मांग

130–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक–2 नवम् मण्डल, फैजाबाद द्वारा वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय नानपारा, जिला बहराइच की प्रधानाचार्या (कु० अविनाश गुप्ता) की सेवा पंजिका विद्यालय को वापस कर दी दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक वापस कर दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

कु० अविनाश गुप्ता, प्रधानाचार्या, वेद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय नानपारा बहराइच की सेवापंजी अभिलेखानुसार संस्था द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक–2 फैजाबाद मंडल को प्राप्त नहीं कराई गई है। अतः उसे वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

मा० शि० प० उ० प्र० क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा शिव नारायण इण्टर कालेज, गोपालपुर, जौनपुर को वर्ष 1987 के संस्थागत परीक्षार्थियों हेतु प्रमाण-पत्र

131–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रधानाचार्य, श्री शिव नारायण इंटर कालेज गोपालापुर, जिला जौनपुर ने दि० 5-1-93 को सचिव मा० शि० प० उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को इस आशय का पत्र लिखा था कि सूबेदार, ताकव हुसैन, अजय कुमार, अजय कुमार पुत्र सुबास चन्द, सदानन्द, संजय कुमार, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्र महादेव प्रसाद आदि 8 छात्रों का परीक्षाफल रुका हुआ है और यह संस्थागत परीक्षा में वर्ष 87 में उक्त विद्यालय से परीक्षा दिये हैं, बाद में बोर्ड से उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक प्रमाण-पत्र न देने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या उक्त पत्र को पूर्वांचल माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने 6-1-93 को प्रार्थना-पत्र को प्राप्त किया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक प्रमाण-पत्र दिलवायेगी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने शिक्षा मंत्री को 18-1-93 को अपने पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र की प्रति को संलग्न किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिनांक 24-2-94 को प्राप्त कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आदर्श विद्यालय तथा क्रमोत्तर विद्यालय, सम्बद्ध भवन अथवा निजी भवन में संचालित तथा क्रमोत्तर, कक्षाओं को जू० हा० स्कूल में विलीन करने का प्रस्ताव

132–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालयों तथा क्रमोत्तर विद्यालयों के लिये भवन निर्माण कराने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो इन विद्यालयों को कहां

और किस प्रकार के भवनों पर चलाया जाता है ? क्या सरकार इन विद्यालयों को जू० हा० स्कूल में बदलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

आदर्श विद्यालय, दीक्षा विद्यालय से, सम्बद्ध भवन, अथवा निजी भवन में चलते हैं क्रमोत्तर कक्षायें बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के भवन में चलती हैं ।

जिन ग्राम सभाओं में क्रमोत्तर कक्षायें व उच्च प्राथमिक कक्षायें हैं वहां क्रमोत्तर कक्षाओं को जूनियर हाई स्कूल हैं विलीन किया जायेगा तथा अन्य ग्राम सभाओं में निर्धारित परिव्यय उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त जूनियर हाई स्कूल खुलने पर इन क्रमोत्तर कक्षाओं को जूनियर हाईस्कूल में विलीन कर दिया जायेगा ।

बालिका जू० हा० स्कूल, खारा सोत, टिहरी गढ़वाल में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं एवं अध्यापिकाओं की संख्या

133–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिका जू० हा० स्कूल खारा सोत, टिहरी गढ़वाल में कितनी बालिकायें कक्षा 6 से 8 तक पढ़ती हैं ? इस विद्यालय में कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? यदि यह संस्था ठीक नहीं चल रही है, तो क्या सरकार इस विद्यालय को मयांण गांव पट्टी पालकोट वि० खं० नरेन्द्र नगर में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो इस विद्यालय को चलाने का क्या औचित्य है ?

डा० मसूद अहमद–

कक्षावार बालिकाओं की संख्या निम्नवत् है :–

कक्षा	बालिकाओं की संख्या
6	13
7	11
8	5
	29

प्रधानाध्यापिका सहित 5 शिक्षिकायें कार्यरत हैं ।

इस विद्यालय को स्थानान्तरित करने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ।

जनपद कानपुर (देहात) ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत लहुरीमऊ-चांदपुर मार्ग पर जवाहर नाले पर पुल निर्माण की मांग

134–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कानपुर (देहात), ब्लाक घाटमपुर के अर्न्तगत लहुरीमऊ–चांदपुर मार्ग पर जवाहर नाले पर पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में विभाग इसे अतिशीघ्र बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चत करेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कराया जाना स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद कानपुर (देहात) के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में कतिपय नवीन प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना की मांग

135–श्री राकेश सचान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में जिन 150 ग्राम/पुरव/मजरों में प्राइमरी पाठशलाओं का अभाव है, वहां की अशिक्षित एवं पिछड़ी जनता के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हुए प्राइमरी पाठशाला खोलने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से ग्राम शामिल हैं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

23 नवीन प्राइमरी पाठशाला खोला जाना प्रस्तावित है ।

23 नवीन विद्यालय निम्नलिखित गांवों में खोलना प्रस्तावित है ।

1–डोभा 2–मवई माधो 3–बिछीपुर 4–रहोटीखाला 5–बरले सिमनांपुर 6–मकरन्दपुर बांगर 7–जल्ला 8–गोराछजमल 9–साभोपुर 10–चौबेपुर 11–रामपुर 12–कुरसेज 13–शेषपुर 14–फजुल्ला 15–सडौलो 16–पतारी 17–मिलकिनपुर 18–चपेईटा 19–सिकोहुला 20–निवादा भथुवा 21–सुन्दरपुर 22–अरन्जराम 23–ईटारोड़ा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा कविरामपुर गोसाईपुर, ब्लाक बड़ागांव व ग्राम सभा देवराई व कछिया ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं खोले जाने की मांग

136–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गांव सभा रसुलहा व गांव सभा कविरामपुर गोसाईपुर, ब्लाक बड़ागांव व गांव सभा देवराई व कछियां ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में बेसिक प्राइमरी पाठशाला नहीं

है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त गांव सभाओं की आबादी दो-दो हजार के आस-पास है ? यदि हां, तो क्या सरकार चारों गांव सभाओं के लिये बेसिक प्राइमरी स्कूल मंजूर कर वर्ष 94-95 में खोलने की अनुमति देगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । रसूलहा एवं कविरामपुर गोसाईपुर कछिया तथा देवराई में प्राइमरी पाठशाला नहीं है किन्तु गोसाईपुर बड़ागांव तथा देवराई तीनों सेवित हैं ।

जी हां ।

निर्धारित मानक के अनुसार भविष्य में विद्यालय खोलने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा विचार किया जायगा ।

प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा जांच की मांग

137–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध शासन स्तर पर प्राप्त शिकायती-पत्रों पर सतर्कता विभाग से प्रारम्भिक जांचें कराई गयी थीं ? यदि हां, तो किन-किन शिकायती-पत्रों पर तथा जांच में क्या परिणाम प्राप्त हुए ? यदि शिकायतें सत्य पाई गयीं तो क्या अब संबंधित का स्थानान्तरण करते हुए खुली जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन के कतिपय सहायक अध्यापकों के वेतन रोके जाने की शिकायत

138–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दारुलउलूम पीरबटावन, बाराबंकी के किन-किन शिक्षकों का अक्टूबर, 1993 से वेतन अवरुद्ध है ? और क्यों ? क्या इन शिक्षकों का जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक अवहित/3861-71/92-93, दिनांक 27-9-93 द्वारा वेतन भुगतान करने हेतु आदेश दिये गये हैं ? क्या इसका अक्षरशः क्रियान्वयन किया गया है ? क्या इन शिक्षकों का वेतन भुगतान किसी ने रोका है ? यदि हां, तो क्या इसका तत्संबंधी पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इन शिक्षकों को देय वेतन वृद्धियों सहित पूरा वेतन कब तक भुगतान कर दिया गया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

श्री अकबर नईम सहायक अध्यापक का वेतन अक्टूबर, 1992 से निरन्तर उनके अनुपस्थित रहने तथा श्री जहीर अनवर, सहायक अध्यापक का वेतन अक्टूबर, 1992 से नवम्बर, 1992 तक उनके अनुपस्थित रहने के कारण देय नहीं है । श्री जहीर अनवर दिसम्बर, 1993 से विद्यालय में उपस्थित हो

गये हैं, अतः उन्हें दिसम्बर, 1993 से वेतन भुगतान किया जा रहा है। जी हां। परन्तु इस आदेश को जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 19-10-93 को निरस्त कर दिया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन, बाराबंकी के सहायक अध्यापक का वेतन निर्धारण किये जाने की मांग

139–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दारुलउलूम पीरबटावन, बाराबंकी के कितने शिक्षकों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने वर्ष 1979 से 1986 से देय समय-समय पर स्वीकृत वेतनमानों में निर्धारण कर दिया गया है ? किन-किन शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं किया गया और क्यों ? इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण न करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इन शिक्षकों का कब तक वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा ? इनके वेतन निर्धारण पश्चात् अन्तरों की देय धनराशि शिक्षकों को कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

वर्ष 1979 में उनके द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 1986 में प्राप्त उनके विकल्प पत्र के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया। मात्र श्री अकबर नईम, सहायक अध्यापक का वेतन निर्धारण सेवा पंजिका के अभाव में नहीं हुआ है।

इसके प्रति विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है बल्कि विद्यालय का विवादित प्रबन्ध तन्त्र उत्तरदायी है।

सेवापंजिका पूर्ण होने पर वेतन निर्धारण तथा देयों का भुगतान कर दिया जायेगा।

मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन, बाराबंकी की विवादित प्रबन्ध समिति द्वारा मान्यता की मांग

140–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन, बाराबंकी की प्रबन्ध समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1725/92 के मुख्य पक्षकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने न्यायालय के आदेशों का पालन कर जवाबी हलफनामा (काउन्टर एफिडेविट) लगा दिया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मदरसे की प्रबन्ध समिति को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मान्यता भी प्रदान की है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? कब तक जवाबी हलफनामा न्यायालय में लगायेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

विवादित प्रबन्ध समिति के प्रकरण में कार्यवाही करने का प्राविधान अरबी फारसी नियमावली में नहीं है। समानान्तर विवादित प्रबन्ध समितियों के प्रकरण में विधिक परामर्श के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन, बाराबंकी में कार्यरत कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय के अदेशानुसार भुगतान किये जाने के संबंध में

141–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय राज्य मान्यता/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक अरबी–फारसी मदरसे, बिना प्रबन्ध समिति के विधिवत् संचालित किये जा सकते हैं ? क्या मदरसा दारुलउलूम, पीरबटावन, बाराबंकी की प्रबन्ध समिति को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है ? यदि हां,तो क्या इसकी प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं मदरसों के पते सहित नाम बतायेंगे ? क्या इसके प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये गये कर्मचारियों के वेतन बिलों को पारित कर वेतन भुगतान करेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

जी नहीं, क्योंकि प्रबन्ध समिति के विवादित प्रकरण में अरबी, फारसी नियमावली में विभाग को निर्णय लेने का कोई प्राविधान इंगित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-2-92 द्वारा विद्यालय के वेतन वितरण का एकल परिचालन करके कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के निर्देश हैं। तद्नुसार बिल पारित किये जा रहे हैं। अतः विवादित प्रबन्ध समिति द्वारा अनियमित ढंग से प्रस्तुत बिलों के पारण का प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अधीन विधिमान्य "अरबी फारसी मदरसों" के सम्बन्ध में जानकारी

142–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मान्यता/सहायता प्राप्त "अरबी फारसी मदरसे" अल्पसंख्यक संस्थायें हैं ? क्या यह मदरसे भारत के संविधान के अनुच्छेद (29) व (30) के अधीन विधिमान्य हैं ? क्या इन मदरसों को अल्पसंख्यक होने का विभाग/शासन द्वारा निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर, ऊंचाहार एवं डलमऊ की कतिपय ग्राम सभाओं में पाठशालाएं खोलने की मांग

143–श्री गजाधर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर, ऊंचाहार एवं डलमऊ की किन-किन ग्राम सभाओं में अब तक प्राथमिक पाठशालायें नहीं खोली गयी हैं, ऐसी ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशालायें खोलने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? ऐसी ग्राम सभाओं में कब तक प्राथमिक पाठशालायें खोल दी जायेंगी ?

डा० मसूद अहमद–

विवरण संलग्न है ।

धन की उपलब्धता पर निर्धारित मानक के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा खोलने का निर्णय लिया जायेगा ।

(विवरण देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 174–177 पर)

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) की मजदूर सभा के मंत्री द्वारा दिये गये मांग पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

144–श्री रामकुमार वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंत्री, मजदूर सभा, दि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) के पत्र दिनांक 17-1-94 के साथ, मांग-पत्र व समझौते की प्रतिलिपि शासन, संघ व मिल समिति को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो मांग-पत्र पर शासन, संघ व मिल प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मजदूर सभा के पत्र दिनांक 17-1-94 के साथ जो मांग प्रस्तुत की गयी है उसमें अधिकांश मांगों पर श्रमिक पत्र के प्रतिनिधि एवं प्रबन्धक पक्ष के प्रतिनिधि के बीच पूर्व में हुए द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत मांगों पर कार्यवाही की जा चुकी है । शेष मांगों पर कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के औराई वि० सं० के डिथवट ग्राम में समथा नाले पर पुल निर्माण की मांग

145–श्री रंगनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद वाराणसी के औराई वि० सं० के डिथवट ग्राम में समथा नाले पर पुल का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं,तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

स्वीकृति न होने के कारण निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त सेतु की स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड नं० 2, लो० नि० वि० के स्टोर कीपर तथा चपरासी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में कथित शिकायती-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

146–श्री गजराज सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड नं०–2 लो० नि० वि० के स्टोर कीपर, श्री महेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा चपरासी श्री कृपा शंकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, जो डायरी नं०–240, दिनांक 22-2-1992 पर अंकित है ? यदि हां, तो उसके मुख्य शिकायती बिन्दु क्या हैं ? उनकी जांच किससे करायी गयी तथा जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्न में संदर्भित खण्ड की डायरी नं०–240, दिनांक 22-2-1992 पर एक शिकायती-पत्र अंकित है,. परन्तु डायरी में शिकायत का विषयवस्तु अंकित नहीं है और न ही कथित शिकायती-पत्र उपलब्ध है । उक्त स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि शिकायती-पत्र किसके विरुद्ध था तथा इसमें मुख्य बिन्दु क्या थे । शिकायती-पत्र को प्राप्त करके संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारी को आदेश दिनांक 9-3-1994 द्वारा निन्दन प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है ।

जनपद कानपुर (देहात) के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर के ग्रामों में कन्या पाठशालायें खोलने की मांग

147–श्री राकेश सचान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में वित्तीय वर्ष 1993-94 में कितने प्राथमिक कन्या पाठशाला खोले जाने की शासन की योजना है ? उक्त प्रस्तावित विद्यालय किस-किस ग्राम में खोले जायेंगे ? क्या उपर्युक्त कन्या पाठशाला खोलने की समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी गयी हैं ? यदि नहीं,तो उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

डा० मसूद अहमद–

कोई नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में गन्ना किसानों का गन्ना क्रय करने के केन्द्रों का तथा चीनी मिल द्वारा केन्द्रवार क्रय किये गये गन्ने का विवरण

148–श्री परशुराम यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में गन्ना किसानों का गन्ना क्रय किये जाने हेतु पृथक-पृथक विकास खण्ड में किस चीनी मिल के कितने क्रय केन्द्र पेराई सत्र 1993-94 में खोले गये ? इन केन्द्रों से कितना-कितना गन्ना मिल द्वारा क्रय किया गया है ? उक्त क्षेत्र के कितने किसानों का गन्ना मिल गेट की पर्ची के आधार पर क्रय किया गया है ? क्या मिल द्वारा क्रय किये गये गन्ना का मूल्य संबंधित काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना धन बकाया है ? क्या उक्त बकाया गन्ना मूल्य, ब्याज सहित किसानों को भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पेराई सत्र 1993-94 में विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में गन्ना किसानों का गन्ना क्रय करने हेतु मेसर्स के० एम० शुगर मिल्स लि०, मोती नगर (फैजाबाद) द्वारा पृथक-पृथक विकास खण्डों में निम्न विवरण के अनुसार क्रय केन्द्र खोले गये:–

नाम विकास खण्ड	नाम क्रय केन्द्र
1. तारुन	1. तारुन 2. हैदरगंज
2. बीकापुर	1. ताजपुर 2. चौरा 3. पाराताजपुर

चीनी मिल द्वारा केन्द्रवार क्रय किये गये गन्ने का विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम क्रय केन्द्र	गन्ना खरीद (लाख कुन्तल में)
1. तारुन	0.64
2. हैदरगंज	0.32
3. ताजपुर	0.39
4. चौरा	0.27
5. पाराताजपुर	0.76

5181 किसानों का गन्ना मिल गेट की पर्ची के आधार पर खरीदा गया ।

दिनांक 28-2-94 की स्थिति के अनुसार रु० 197.00 लाख देय गन्ना के विरुद्ध रु० 171.00 लाख का भुगतान दिया जा चुका है तथा रु० 26.00 लाख मात्र शेष है ।

बकाया गन्ना मूल्य शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है । चीनी मिल द्वारा नियमतः निर्धारित अवधि के अर्न्तगत गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

श्री नूर मोहम्मद, गन्ना संघ की नियुक्ति, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रीशियन के पद पर किये जाने पर आपत्ति

149–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ में इलेक्ट्रीशियन के पद की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने का प्राविधान है अथवा पदोन्नति द्वारा ? इस पद हेतु शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता क्या निर्धारित है ? क्या इस पद हेतु किसी प्राविधिक शिक्षा संस्था से इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा/ डिग्री अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या श्री नूर मोहम्मद, चपरासी जिनकी उक्त पद पर नियुक्ति की गयी है, ने उक्त ट्रेड का डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या अब इस असंवैधानिक तदर्थ नियुक्ति को निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती का श्रोत निर्धारित नहीं है ।

कोई शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता निर्धारित नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री नूर मोहम्मद गन्ना संघ में पूर्व से बिजली मिस्त्री का कार्य कर रहे थे तथा इसी आधार पर राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

चूंकि प्रश्नगत नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् की गयी है अतः इसे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण उ० प्र० में नियुक्त श्री नूर मोहम्मद इलेक्ट्रीशियन की अर्हतायें

150–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ में इलेक्ट्रीशियन का पद सृजित है ? यदि हां, तो इस पद की पात्रता हेतु अर्हता/शर्तें क्या-क्या हैं ? क्या इस पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी निर्धारित अर्हतायें/शर्तें पूरी करता है ? यदि नहीं, तो रा० ग० से० प्राधि० उ० प्र० की बैठक दिनांक 12-8-91 में निर्णय किस आधार पर लिया गया और इसके लिए दोषी कौन-कौन हैं ? क्या अब इस असंवैधानिक निर्णय के उपरान्त जारी आदेश निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत पद हेतु अर्हतायें/शर्तें निर्धारित नहीं की गयी हैं ।

उपर्युक्तानुसार [illegible]का प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री नूर मोहम्मद से पूर्व से ही बिजली मिस्त्री का कार्य लिया जा रहा था । राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा श्री नूर मोहम्मद को इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया । राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण इस मामले में सक्षम प्राधिकारी हैं । अतः इसके लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

151–श्री राधे श्याम वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल के पाठ्यक्रम के स्तर की मान्यता

152–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "रजिस्ट्रार अरबी-फारसी परीक्षायें, उ० प्र० इलहाबाद" प्राच्य शिक्षा के अन्तर्गत मुंशी (फारसी), मौलवी (अरबी), आलिम (अरबी), कामिल (फारसी) तथा फाजिल (अरबी) के प्रमाण-पत्र एवं उपाधियां प्रदान करते हैं ? यदि हां, तो क्या इन प्रमाण-पत्रों एवं उपाधियों को राज्याधीन सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु शासन द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित प्रशिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु, विधिष्ठापित विश्वविद्यालयों, बोर्डों द्वारा मान्यता प्रदान की जाने वाली उपाधियों व प्रमाण-पत्रों के समकक्ष शासन ने मान्यता दी है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इन प्रमाण-पत्रों एवं उपाधियों को समकक्षता प्रदान करने हेतु इस अमूल्य धरोहर की सुरक्षा के लिए शासन नियम बनाने पर विचार करेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पाठ्यक्र एवं अध्ययन स्तर की समकक्षता होने की दशा में ऐसी संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जू० हा० स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों तथा अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या का विवरण

153–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कितने जूनियर हाई स्कूल और कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? इनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या इन विद्यालयों में छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति कर

दी गयी है ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों पर स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

उच्च प्राथमिक विद्यालय 14

प्राथमिक विद्यालय 182

सूची संलग्न है । †

जी नहीं ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 43

प्राथमिक विद्यालयों में 57

वार्षिक प्रबन्ध में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में अन्तर्गत केराकत तहसील मुख्यालय के समीप गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

154–श्री नरेन्द्र कुमार सिंह (मैनपुरी)–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत केराकत तहसील मुख्यालय जिसके समीप गोमती नदी बहती है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि केराकत में उक्त स्थान पर गोमती नदी पर पुल न होने से जनता को आवागमन में घोर असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थल पर शीघ्र एक पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

वर्षा ऋतु को छोड़कर आवागमन पान्टून पुल से चालू रहता है । केवल भारी वाहनों को असुविधा होती है । पुल का निर्माण कार्य सम्प्रति स्वीकृत नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के चन्दवतपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

155–श्री श्रीराम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के चन्दवतपुर घाट पर, पक्का पुल बनाने की स्वीकृति विगत सरकार द्वारा कर देने तथा उसका आगणन हो जाने के बाद

† छापी नहीं गयी ।

भी अब तक उक्त कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त जनहित के कार्य को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के चन्दवतपुर घाट पर पक्का पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शहीदे आजम सरदार भगत सिंह कालेज, गोण्डा के प्रवक्ता श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह को स्नातक वेतनक्रम दिये जाने की मांग

156–श्री श्रीराम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीदे आजम सरदार भगत सिंह कालेज, गोण्डा के प्रवक्ता श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह का स्वतः स्नातक वेतनक्रम मे समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने के बावजूद अब तक अपेक्षित वेतनमान स्वीकार न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त वेतनमान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ? क्या इस सबंध में जुलाई, 1993 में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा को प्रेषित वेतन निर्धारण प्रपत्र का अनुमोदन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

श्री बन्देश्वरी प्रसाद सिंह को 1-7-93 से स्नातक वेतनक्रम रु० 1400–2300 स्वीकृत कर दिया गया है ।

स्वीकृत किया जा चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या में वर्ष 1988-89 में संस्कृत विद्यालयों को दिया गया अनुदान एवं उसका उपयोग

157–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या, फैजाबाद में कितने संस्कृत महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सम्प्रति ऐसे चल रहे हैं जो अनुदानित हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1987-88 एवं 88-89 में किन-किन विद्यालयों को कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का सही सदुपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

अयोध्या में 20 संस्कृत विद्यालय हैं ।

वर्ष 87-88 में किसी भी संस्कृत विद्यालय को कोई अनावर्तक अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ । वर्ष 88-89 में रूपकला संस्कृत विद्यापीठ, अयोध्या, फैजाबाद, श्रीनिवास बोधायन रामानुज संस्कृत विद्यालय,

अयोध्या, फैजाबाद एवं वीर राघव संस्कृत विद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद को रु० 15,000 (पन्द्रह हजार) प्रति विद्यालय की दर से अनावर्तक अनुदान दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विनय कुमार सिंघल, लिपिक एस० एस० बी० पो० ग्रे० कालेज, हापुड़ की पत्नी को सेवा में लिए जाने का प्रकरण

158–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12-1-1994 को श्री विनय कुमार सिंघल, लिपिक, एस० एस० बी० पो० ग्रे० कालेज, हापुड़ के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती रेखा सिंघल को नियुक्त करने के संबंध में पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-94 को नहीं अपितु उनका पत्र दिनांक 12-12-94 प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–108 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार सिंघल मृतक की श्रेणी में नहीं आते । अतः उनकी पत्नी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में सम्भव नहीं है ।

माधव विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, पुरुषोत्तम मिर्जापुर की विशेष आडिट में हुई अनियमितताओं के संबंध में जांच

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा माधव विद्या मान्दिर इण्टर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर की विशेष आडिट (वर्ष 1988) में, प्रबन्ध समिति के गठन तथा समिति के सदस्यों के संबंध में जालसाजी करने व हेराफेरी एवं प्राभूत संबंधी अनियमितताओं की प्रशसनिक जांच के लिए लिखा गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कार्यवाही कब तक शासन द्वारा सम्पन्न करा दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

दिनांक 23-1-90 को प्रबन्ध संचालन की नियुक्त कर दी गयी है । प्राभूत संबंधी शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

फैजाबाद जनपद में घाघरा नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण की मांग

160–श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी-भूम्वमी मार्ग को जोड़ने के लिए टाण्डा, जनपद में घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण शासन से स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेतु का शिलान्यास वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी पर वर्ष 1985 में प्रदत्त पुल निर्माण की स्वीकृति संसाधनों की कमी के कारण शसनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जी हां ।

सम्प्रति सेतु निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं है अतः इसका निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित जलालपुर बाजार से सटकर सई नदी पर बने प्राचीन जीर्ण-शीर्ण पुल के समीप नये पुल के निर्माण की मांग

161–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित जलालपुर से सटकर सई नदी बहती है और उक्त स्थान पर एक प्राचीन पुल स्थित है ? क्या यह सत्य है कि वह पुल शाही पुल के नाम से विख्यात है उसका ऐतिहासिक महत्व भी है ? उक्त ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन पुल एवं उसके सम्पर्क मार्ग के रख-रखाव और मरम्मत पर वर्ष 1990 से 1993 तक कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त पुल की विधिवत् मरम्मत कराकर क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु शीघ्र सुलभ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1990 से 1993 तक प्रश्नगत पुल के मुख्यतः 2.5 कि०मी० पहुंच मार्ग की दाग मरम्मत, नवीनीकरण तथा रख-रखाव पर रु० लगभग 2.72 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

पुल की वर्तमान जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखते हुए इसकी मरम्मत कराने पर धन व्यय किया जाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पुराने पुल के समीप लगभग 300 मीटर अपस्ट्रीम पर नया पुल बनाया गया है जो वर्तमान में भारी यातायात हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार नये पुल के निर्मित हो जाने से पुराना पुल अब उपयोगी नहीं रह गया है तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भी इस पुल की मरम्मत किया जाना सम्भव नहीं है।

जमुना सिंह, जिला सचिव, भा०क० पा० फैजाबाद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

162–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमुना सिंह, जिला सचिव, भा०क०पा०, फैजाबद का पत्र संख्या–शून्य, दिनांक 10-3-93 व पत्र संख्या–शून्य, दिनांक 23-1-93, अधि० अभियन्ता अस्थायी खण्ड नं०–लो-नि०वि०, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से बिन्दु हैं ? अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी.हां।

(1) भदौली माइनर मार्ग के कि०मी० 6 व 7 में कुटाई गयी गिट्टी की कम मोटाई होना।

(2) अवर अभियन्ता श्री आर० के० दुबे द्वारा चार्ज देने में विलम्ब किया जाना।

जांच की गयी एवं चार्ज का आदान-प्रदान कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त लो- नि० वि० फैजाबाद को सम्बोधित श्री जमुना सिंह जिला सचिव, भा० क० पा० फैजाबाद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री जमुना सिंह, जिला सचिव, भा०क०पा०, फैजाबाद का पत्र दिनांक 20-4-92 अधीक्षण अभियन्ता, 23वां वृत्त, लो० नि० वि०, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से बिन्दु थे ? क्या उन बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शिकायतकर्ता के समक्ष जांच करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो किस अधिकारी को ? क्या शिकायतकर्ता को जाँच में बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में मुख्य रूप से पूरा बाजार बिलहरघाट मार्ग के कि०मी० 1 व 2 एवं भदौली माइनर मार्ग के कि०मी० 6 में कम गिट्टी लेने का उल्लेख है।

जी हां।

जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त द्वारा जांच अधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड नं०–2, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को ।

जी हां, जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 4 पत्र लिखे गये लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एटक, जिला कौंसिल, फैजाबाद व अन्य संगठनों द्वारा मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० फैजाबाद के कार्यालय पर धरना आन्दोलन द्वारा ज्ञापन

164–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटक, जिला कौंसिल, फैजाबाद व अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 27-5-92 को मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो० नि० वि०, फैजाबाद के कार्यालय पर धरना/आन्दोलन करके ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में प्रमुख मागें क्या थीं ? उन मांगों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मांग-पत्र के बिन्दु संख्या–2 पर वर्णित भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मांग-पत्रदाताओं को जांच कार्य में बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच हुई तो कितने बिन्दु सही पाये गये ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

दिये गये ज्ञापन में अधिशासी अभियन्ता श्री शिव चरण दास गोयल को गिरफ्तार/निलम्बित करने, उनके खण्ड में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा उनके घरेलू कार्य करने वाले सरकारी सेवकों को वहां से हटाकर कार्य-स्थल पर भेजने की प्रमुख मांगें थीं ।

जांच करायी गयी ।

मांग-पत्र के अन्य बिन्दुओं के साथ बिन्दु संख्या–2 की भी जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

श्री शिव चरण दास गोयल फैजाबाद से जनहित में अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जमुना सिंह, अध्यक्ष, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिला कौंसिल, फैजाबद के पत्र पर जांच समिति गठित किये जाने की मांग

165–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह, अध्यक्ष, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिला -कौंसिल, फैजाबाद का पत्र संख्या–104/कैम्प/एटक/91, दिनांक 5-12-91 व पत्र संख्या–98/कैम्प/एटक/91, दिनांक 8-10-91 एवं पत्र संख्या–100/कैम्प/एटक/91, दिनांक 30-10-91 अधीक्षण अभियन्ता, 23वां वृत्त, लो० नि० वि०, फैजाबाद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड नं–2, लो० नि० वि०, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? क्या जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये थे कि अविलम्ब मौके पर जाकर शिकायतकर्ता के समक्ष जांच की जाय ? यदि हां, तो क्या नियुक्त हुए जांच अधिकारी द्वारा ही जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उसके द्वारा कोई दूसरी जांच कमेटी बनायी गयी है ? क्या शिकायतकर्ता को जांच हेतु मौके पर बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

शिकायती-पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच करायी गयी ।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता से जांच करके जांच आख्या मांगी गयी थी ?

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड नं–2, लो० नि० वि० फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 6-1 -92 द्वारा शिकायतों की जांच हेतु दो सहायक अभियन्ताओं की जांच समिति गठित की ।

शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 4 पत्र लिखे गये लेकिन उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक जिला परिषद् के कर्मचारियों को जिला परिषद् कर्मचारियों की भांति नकदीकरण दिये जाने की मांग

166–श्री सुरेश संगल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा का गठन होने पर जिला परिषदों से शिक्षा लिपिकों का स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा परिषद् में जिला परिषदों वाली सेवा शर्तों को मान्य मानते हुए किया गया था ? यदि हां, तो जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान की तरह बेसिक शिक्षा परिषद् में भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

तत्समय इन लिपिकों को जिला परिषद् वाली सेवा शर्तों पर लिया गया था ।

नियमों में बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों के कारण ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिहर गौड़, ब्लाक पिसावां, जिला सीतापुर में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने की कार्यवाही तथा विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति

167–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिहर गौड़, ब्लाक पिसावां, जिला सीतापुर में कतिपय विषयों के अध्यापक उपलब्ध कराने तथा भवन निर्माण करवाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह अगस्त, 1993 के प्रथम पखवारे में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव (श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा) को मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेगी कि अब तक उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है । इस पत्र में अध्यापकों के रिक्त पद को भरने तथा भवन निर्माण का अनुरोध किया गया था । रिक्त पदों का विज्ञापन हो चुका है । नियमित चयन की कार्यवाही हो रही है । नियमित चयन होने के उपरान्त विद्यालयों में नियुक्ति की जा सकेगी । विद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में वित्तीय स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद सीतापुर में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हाई स्कूलों एवं इण्टमीडिएट कालेजों में रिक्त अध्यापक के पदों को भरने की कार्यवाही

168–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में अध्यापकों के सम्प्रति कितने पद रिक्त हैं ? उक्त पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

कुल 56 पद रिक्त हैं ।

यथाशीघ्र ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण से प्रभावित कृषकों को प्रतिकर के भुगतान की मांग

169–श्री प्रीतम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अस्थायी निर्माण खण्ड कालसी (साहिया) व चकराता में मोटर मार्ग निर्माण से ग्रामीणों की भूमि कटान व भूमि दबान के सम्पूर्ण मुआवजों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अस्थायी खण्ड कालसी (साहिया) तथा अस्थायी खण्ड चकराता के अधीन विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण से प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि कटान व भूमि दबान के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिकर का भुगतान मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सका है :–

1–नौकरी करने वाले कतिपय खातेदार भुगतान के समय उपस्थित नहीं हुए ।

2–कतिपय मामलों में पर्याप्त अनुदान स्वीकृत नहीं हो पाया है ।

3–कतिपय मामलों में राजस्व विभाग से अभी सत्यापन नहीं हो पाया है ।

श्रीमती गायत्री देवी, सहा० अध्यापिका, अनु० जाति के उत्पीड़न के विरुद्ध दोषी अध्यापक का स्थानान्तरण

170–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ० प्र०, लखनऊ को आपके द्वारा श्रीमती गायत्री देवी, सहा० अध्यापिका, अनु० जाति के उत्पीड़न के विरुद्ध दोषी अध्यापकों के स्थानान्तरण के सन्दर्भ में प्रेषित पत्र संख्या–76/वी० आई० पी०/शिक्षा (मा०)/93, दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे और उनकी जांच आख्या क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

दोषी अध्यापक श्री राम कलप पाण्डेय का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

श्रीमती गायत्री देवी, सहायक अध्यापिका ने दुर्व्यहार की शिकायत की थी ।

श्रीमती गायत्री देवी प्राइमरी पाठशाला लौहर पश्चिम में कार्यरत हैं । घटना के समय श्री राम कलप पाण्डेय, प्राइमरी पाठशाला भाई (सुल्तानपुर) में कार्यरत थे । दोनों भिन्न-भिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं । श्रीमती गायत्री देवी द्वारा एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी है । प्रकरण पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय के बाद दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित, प्रा० पाठशाला, निमड़ी, वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, के भवन निर्माण में की गयी अनियमितता के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

171–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रा० पाठशाला, निमड़ी, वि० क्षेत्र–हरिग्टनगंज के भवन निर्माण में की गयी गम्भीर अनियमितता विषयक उनके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–78/वी०आई०पी०/शिक्षा(मा०)/93, दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ? उक्त शिकायती-पत्र तथा जांच आख्या के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-11-1993 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जांच करायी गयी । पत्र दिनांक 15-12-93 के सन्दर्भ में स्थिति की जानकारी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की का० स० चीनी मिल औराई द्वारा गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाहन क्रय केन्द्रों से गन्ने की आपूर्ति

172–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि का० स० चीनी मिल, औराई, वाराणसी भारी ट्रांसपोर्ट खर्च पर इलाहाबाद जनपद से गन्ना मंगा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त मिल को पर्याप्त गन्ना गेट पर नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार मिल गेट पर पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए किसानों को कोई सुविधा देगी ? यदि हां, तो कौन सी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

चीनी मिल के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने की खरीद की जाती है ।

जी हां ।

मिल मे अधिकांश कृषक छोटी जोत वाले हैं तथा कम मात्रा में गन्ना मिल को आपूर्ति करते हैं ।

जी हां ।

मिल गेट पर पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने हेतु चीनी मिल को 16 कि०मी० परिधि क्षेत्र में सघन गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत भूमि उपचार, बीज उपचार, पेड़ी पर यूरिया छिड़काव पर आने वाले व्यय का 50% शासन द्वारा वहन किया जा रहा है । उक्त के साथ ही पौधशाला, क्षेत्र प्रदर्शन धारक कृषकों को विभाग द्वारा स्वीकृत दरों से अनुदान दिया जा रहा है ।

173–श्री श्रीराम सिंह–

[4थे सोम के लिए स्थगित]

174–श्री राम प्रताप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा के विरुद्ध जांच हेतु विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की मांग

175–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1992-93 में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा के अनियमित कार्यों की जांच करके उप शिक्षा निदेशक नवम् मण्डल, फैजाबाद ने आरोप-पत्र शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उक्त आरोप-पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और आरोप-पत्र तामीली हेतु जांच अधिकारी को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विष्णुनगर शिक्षा निकेतन कन्या इण्टर कालेज, खुर्शेदबाग, लखनऊ के प्राइमरी विभाग में अनुसूचित जाति की शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरने की मांग

176–श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विष्णुनगर शिक्षा निकेतन कन्या इण्टर कालेज, खुर्शेदबाग, लखनऊ के प्राइमरी विभाग में शिक्षिकाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों पर अन्य अभ्यर्थियों की भर्ती कर लिए जाने विषयक कोई शिकायती-पत्र श्री संजय सोनकर, तकिया गणेशगंज, लखनऊ का माह दिसम्बर, 1993 या जनवरी, 1994 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र में क्या-क्या तथ्य दिये गये हैं ? शासन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सन्दर्भित पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता तथापि उक्त पत्र की तलाश की जा रही है और प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा को लखनऊ राजधानी से जोड़ने के लिए स्वीकृत मार्गों के निर्माण की मांग

177–श्री हृदय नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरवा (उन्नाव) तहसील केन्द्र पर अपनी पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने लखनऊ राजधानी से पुरवा तहसील केन्द्र को जोड़ने वाले पुरवा मिर्रीकला-बनी सहरांवा मार्ग व देरेहटा-अचली-चौपाई मार्ग को बनाये जाने की सार्वजनिक घोषणा प्रश्नकर्ता द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा में मार्च, 1991, में की थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक बन जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

पुरवा-मिर्रीकला-बनी-सहरावां मार्ग का 5 कि०मी० भाग पुरवामिर्रीकला-हसनापुर-सोहरामऊ मार्ग के नाम से तथा दरेहटा-अचली-चौपाई मार्ग, 5.50 कि०मी० की लम्बाई में बनी-मोहनलालगंज से ओगरपुर गोमापुर, बैलौरा होते हुए चौपाई के नाम से शासनादेश दिनांक 8 फरवरी, 1994 द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है । उक्त मार्गों को बनाये जाने हेतु समय निर्धारित किया जाना राज्य सेक्टर में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

178–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-2-94 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा कोई ज्ञापन उनको दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

ज्ञापन पत्र में उल्लिखित मांगें परीक्षा में सुधार और शैक्षिक उन्नयन हेतु गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकृत की गयीं । पहली सूचना श्री बची सिंह रावत की अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व भिकियासेन को मिलाकर नया जिला बनाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की

सीतापुर नगर में बिजली की अघोषित कटौती, अनियमित आपूर्ति, खम्भों–तार तथा अन्य उपकरणों के अभाव में बिजली उपभोक्ताओं के समक्ष व्याप्त गम्भीर संकट के संबंध में, चौथी सूचना श्री (डा०) रामबाबू हरित की आगरा मुहल्ले गोकुलपुरा से नालबन्द चौराहे तक नाले की सफाई कराने के संबंध में, पांचवी सूचना श्री गया चरन दिनकर की चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त आरक्षित पद भरने हेतु चयनित सूची को प्राथमिकता प्रदान करने के संबंध में, छठीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की पौड़ी गढ़वाल में निर्बल लोगों द्वारा लिये गये ऋण के मूलधन को आसान किश्तों में वसूलने एवं मूल धन पर लगे ब्याज को माफ करने के संबंध में है।

चूंकि क्रम संख्या–3 पर माननीय सदस्य श्री मुरलीधर तथा क्रम संख्या–7 पर श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रतीक्षा सूची से श्री रमेश पोखरियाल निशंक की सूचना जनपद चमोली गढ़वाल के ग्राम सभा मालकोट के कई गांवों को रामगंगा के कटाव से हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में मुख्य मार्ग पर स्थिति कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में है, स्वीकार की जाती हैं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की है उनके नाम इस प्रकार है :–सर्वश्री सुन्दर लाल दीक्षित, राम आसरे वर्मा, बदन सिंह, सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश विकल, रंगनाथ, रमेश कांत लवानियां, राम प्रताप सिंह, विश्राम सिह यादव और हृदय नारायण।

(स्वीकृत 7 सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं।)

जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत में व भिकियासैन को मिलाकर नया जिला बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दची सिंह रावत–

। मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व तहसील भिकियासैन को मिलाकर नया जिला रानी खेत बनाये जाने की मांग लगातार की जाती रही है।

वर्तमान में नया जिला रानीखेत की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया जा रहा है तथा रानीखेत जिला बनाओं संघर्ष समिति द्वारा जूलूस, प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम किया जा रहा है। जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई है।

नये जिले की मांग को लेकर क्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त है इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जिला बनाने का आश्वासन भी दिया गया है।

विनम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर नगर में बिजली की अघोषित कटौती तथा उपकरणों के अभाव में बिजली उपभोक्ताओं के समक्ष व्याप्त गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, सीतापुर नगर में बिजली की अघोषित कटौती, अनियमित आपूर्ति, लाइनों पर ओवर लोडिंग तथा विभाग में खम्भों, तार तथा अन्य उपकरणों के अभाव के कारण बिजली उपभोक्ताओं के सामने गम्भीर संकट है ।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि 66 के० वी० का समयानीत सिस्टम बार-बार मांग करने पर भी 33 के० वी० में नहीं बदल सका । हुसैनगंज 200 के० वी० सब-स्टेशन पर मांग 19 एम० वी० ए० की है परन्तु क्षमता बहुत कम है । ओवर लोडिंग की समस्या है । भवानीपुर सब-स्टेशन ग्रामीण है । बाहर की बिजली नहीं दे पाता । ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रति ग्राम धनराशि कम देने से विद्युतीकरण का मात्र नाटक होता है । अतः आपूर्ति सुधार हेतु निम्नलिखित मांगों की पूर्ति हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

1–66 के० वी० पद्धति को 33 में बदला जाय ।

2–भवानीपुर सब-स्टेशन को नगरीय बनाया जाय ।

3–हुसेनगंज सब-स्टेशन की क्षमा बढ़ाने हेतु 7.50–7.50 एम० वी० ए० के दो ट्रान्सफार्मर तथा 5 का एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर बढ़ाया जाय ।

4–बाहरी तथा ग्रामीण फीडरों पर लगा फिक्यून्सी वीट हटे ।

आगरा के गोकुलपुरा से नालबन्द चौराहे तक नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

[महोदय आगरा के महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के कक्ष–26 के मोहल्ले गोकुलपुरा से नालबन्द के चौराहे तक रास्ता न होने की वजह से अभी तक नाले की सिल्ट निकलवाकर बाहर नहीं फिकवायी गयी है जिससे नाला तालाब भरा हुआ है । वह जनता के घरों में गन्दा पानी भरना शुरू हो जा रहा है । सभी मकानों में नाले के किनारे पानी चढ़ता जा रहा है वहां कभी भी महामारी फैल सकती है तथा जनहानि की आशंका है ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उपरोक्त नाले की तली बाढ़ सफाई कराकर महामारी फैलने से आगरा महानगर को बचाये ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चकबन्दी आयुक्त उ० प्र० द्वारा अनुसूचित जाति के रिक्त आरक्षित पद भरने हेतु चयनित सूची को प्राथमिकता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर–

[आदरणीय महोदय, सानुरोध संज्ञान में लाना है कि चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–18923/जी–329/92, दिनांक 24 दिसम्बर, 1992 के अनुसार शासनादेश संख्या–36/12/92/1251–राजस्व–8, दिनांक 11 नवम्बर, 1992 के अनुपालन में चकबन्दी विभाग के रिक्त आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत एवं वांछित कर्मचारियों की सूची निर्गत की थी। जिसमें कनिष्ठ लिपिक 86, मुख्य अनुरेखक 25, अनुरेखक 54, चकबन्दी लेखपाल 135, चतुर्थ श्रेणी संवर्ग 142, वाहन चालक 7 पद रिक्त दर्शाये गये थे जो 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति कर देनी चाहिए थी। आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में समय-समय पर अनेकों शासनादेश निर्गत किये गये थे। कनिष्ठ लिपिक रिक्त आरक्षित पदों को पूर्ण करने हेतु चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या–18923/जी/329/92, 24 दिसम्बर, 1992 के अनुपालन में सहायक बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी, बांदा ने अपने पत्र संख्या–841/आर० के०/ दिनांक 30-7-92 को उक्त पदों को भरने हेतु भेजे गये 10 (दस) नामों की सूची में से नियुक्ति न करके उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। सूची के क्रमांक 3 व 6 से संबंधित चयनित अभ्यर्थी आदेश के पूर्व अन्य विभागों में सेवा में लग गये थे। परिणामतः सूची के क्रमांक 3 व 6 के अलावा अन्य चयनित अभ्यर्थियों को अवसर न प्रदान करके रिक्त पद स्व-विवेक के आधार पर भर लिया, जबकि विभाग में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पहले से ही अपूर्ण है। यह गम्भीर समस्या और चयनित सूची के अभ्यर्थियों में इसके विपरीत आक्रोश व निराश की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः आपसे प्रकरण की स्थिति पर विनम्र अनुरोध है कि संबंधित विभाग में संबंधित सूची को क्रमवार वरीयता प्रदान करते हुए आरक्षित पदों को पूर्ण करने हेतु सरकार को सक्षम आदेश पारित करने की कृपा करें।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्बल वर्ग के लोगों द्वारा लिये गये ऋण के मूलधन न वसूलने तथा उस पर लगे ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजस्व विभाग द्वारा ऋण वसूली में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल व कमजोर वर्ग के लोगों के घरों की कुर्की व जमीन की कौड़ियों के भाव से नीलामी से पूरा क्षेत्र उत्पीड़ित है। राजस्व विभाग द्वारा ऋण वसूली में की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से सम्पूर्ण क्षेत्र में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है। और लोग अपने घरों को छोड़-छोड़कर जंगलों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। वर्ष 1989-90 में 10,000 (दस हजार रुपये) के ऋणों को माफ करने की सरकारी घोषणा व निरन्तर तीन वर्षों तक वसूली न किये जाने से निर्बल और कमजोर वर्ग के लोग ऋण को माफ समझ बैठा था, कि इधर राजस्व विभाग द्वारा एक मुश्त ऋण वसूलने का अभियान से पूरा क्षेत्र को आतंकित कर दिया है। गरीब गढ़वाल का कृषक जो पहले से ही भूकम्प व सूखा व अतिवृष्टि से प्रभावित है, ऋण के मूलधन पर दोगुना ब्याज होने से उनकी स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है ऋण राहत में बरती गयी विसंगतियों से भी यहां का कृषक लाभान्वित नहीं हो पाया और अब एक मुश्त वसूली में कृषकों का जीवन दूभर हो गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि विशिष्ट परिस्थितियों में गरीब व निर्बल लोगों के द्वारा लिए गये ऋण के मूलधन को आसान किस्तों में किया जाय व मूलधन पर लगे ब्याज को माफ किया जाय। ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।]

जनपद चमोली गढ़वाल के कतिपय ग्रामों के रामगंगा के कटाव द्वारा हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[महोदय, जनपद चमोली गढ़वाल के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा मालकोट के अन्तर्गत रायकोट सहित अनेक गांवों को रामगंगा के लगातार कटाव से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

रामगंगा कटाव करने हुए गांव की देहरी तक पहुंच गयी है । रायकोट की असहाय जनता की जान हथेली पर आयी हुई है, पहले इन लोगों के सारे खेत-खलिहान बहे, अब लोग स्वयं बहने की स्थिति में खड़े शासन-प्रशासन से अपने जीवन की गुहार कर रहे हैं । यदि यही स्थिति रही तो किसी भी दिन भारी वर्षा का बढ़ता हुआ पानी इस गांव को अपने में समा जायेगा ।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि तत्काल रामगंगा के कटाव को रोककर गांव की सुरक्षा दी जाय व अनेक लोगों के जीवन जिसमें बच्चे, युवा महिला, पुरुष सभी हैं, को बचाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करने के सरकार को निर्देश दिये जायं ।]

वाराणसी नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित कूड़ाघरं को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, विश्व प्रसिद्ध काशीनगरी को तीनों लोक से न्यारी कही गयी है । समस्त सम्प्रदायों एवं धर्मों के आचार्यों ने इस नगरी को सर्व विद्या की एवं संस्कृति की राजधानी से विभूषित किया है । यहां पर रोजाना बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने एवं गंगा स्नान कर अपने जीवन को धन्य करने हेतु देश व विदेश से हजारों तीर्थ यात्री व विदेशी पर्यटक आते हैं ।

परन्तु बहुत खेद और चिन्ता का विषय है कि विश्वनाथ मन्दिर तथा घाटों की तरफ जाने वाली मुख्य मार्ग की हृदय गोदौवलिया चौराहे पर ही एक कूड़ाघर है जहां अपार गन्दगी फैली रहती है जिससे भयंकर बदबू निकलती रहती है और वहां गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को अपना नाक दबाकर गुजरना पड़ता है । जिससे देश व विदेश में भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी बहुत बदनामी होती है और सभी लौटकर इसकी चर्चा के साथ ही शासन-प्रशासन की अकर्मण्यता की भी चर्चा करते हैं ।

अतः यह अति आवश्यक है कि उपरोक्त गोदौवलिया स्थित तथा हिन्दू सेवा सदन अस्पताल के ठीक बगल में स्थित कूड़ा घर को अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी तथा नगर महापालिका वाराणसी के प्रशासक को शासन द्वारा निर्देशित किया जाय ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा सुनिश्चित विषय की ओर शासन को निर्देशित किये जाने हेतु माननीय सदन में विषय प्रस्तुत करते हुए आवश्यक व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मार्च, 1994 को नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । पहले मैं उन सूचनाओं को पढ़कर सुना रहा हूं । जो जिस समय से और जिस क्रम से आई हैं । उन सभी सूचनाओं पर समय पड़ा हुआ है और उसी क्रम में रखी गयी हैं । यह एक ही विषय पर आज आठ सूचनायें आई हैं । मैं सबसे पहले जिन्होंने सूचनायें दी हैं उनके नाम पढ़ रहा हूं । पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल और जगदम्बिका पाल जी की नौ बजे आई । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल एवं श्री शिव प्रताप शुक्ल जी की नौ बजकर पांच मिनट पर आई । इसके पश्चात् श्री बदन सिंह, श्री रंगनाथ, श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, डा० राम बाबू हरित, श्री सत्य प्रकाश, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री हरीश कुमार गंगवार की सूचनायें प्राप्त हुईं ।

(घोर/व्यवधान)

और जो सूचनायें हैं उनको नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, उनको सुन लूंगा । नियम–56 में दे देंगे । अब इसे प्रमुख सूचना जो आई है उसे सुन लीजियेगा । मैं ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को सुनूंगा । हमारे सदस्यों की भावनायें हैं, उनकी भावनाओं को सुना जायगा । माननीय सदस्य बैठ जाय । माननीय श्री तिवारी जी को ग्राह्यता पर बोलने दीजिये । समय नष्ट मत करें ।

लखनऊ स्थित मुख्य सचिवालय के परिसर में पन्द्रह वर्षीय किशोर का शव बरामद होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष, बड़े दुःख के साथ मैं इस घटना का जिक्र कर रहा हूं जो नियम–311 के रूप में स्वीकार की गयी है । अभी तक जो यह घटनायें इस प्रदेश में हो रही हैं उससे यह प्रदेश किसी दूसरे कोने में जा रहा है, अपराध चुनौती के रूप में विधान सभा परिसर में प्रवेश कर गया है । आज सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में सार्थक सुरक्षा व्यवस्था सचिवालय में ही नहीं है तो अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी ? मान्यवर, जिस प्रकार एक लाश बरामद होने की सूचना उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्दर मिला, इससे पहले उत्तर प्रदेश सचिवालय में कभी कोई घटना नहीं हुई है । विधान सभा सचिवालय परिसर जो सर्वाधिक सुरक्षा का स्थल माना जाता है, यहां भी लाशें बरामद होने लगीं और यह अपराध यहां तक पहुंच गया है । क्या यह सरकार अभी भी कोई और अनिष्ट की प्रतीक्षा कर रही है ? मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिये लाश बरामदगी एक गम्भीर चुनौती के रूप में साबित होगी, बड़ी गम्भीर चुनौती दी गयी है । कुछ दिनों पूर्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था, घोषणा की थी कि जो इससे पहले चार हत्यायें हुई हैं उन्हें यह सरकार चुनौती के रूप में लेती है । लेकिन लगता है कि सरकार की चुनौती तो दूर रही, सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपराधियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाती है अपराधियों के हौंसले इतने बुलन्द हो गये हैं कि विधान सभा सत्र के चलते विधान सभा परिसर में लाश बरामद करके उन्होंने यह दिखा दिया है कि सरकार उनके सामने असहाय है, बौनी है और प्रशासन भी उनके सामने विफल है । मान्यवर, आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है सुरक्षा का । क्या विधान सभा सचिवालय सुरक्षित रह गया है ? यदि यह परिसर सुरक्षित नहीं रह गया है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित रह गया है ? यह आज एक चिन्ता का विषय है । सबसे अहम् चीज की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बहुत ही चिन्तनीय है, क्या इस लाश को यहां बरामद करवाकर सरकार को जो चुनौती दी गई है क्या कहीं कोई गंभीर आने वाले दुर्घटना की तरफ संकेत व उसका पूर्वाभ्यास तो नहीं है ?

इतने कड़े पहरे के बावजूद भी इस तरह से अपराधी सुनियोजित ढंग से यहां लाश ला सकते हैं तो यह भी हो सकता है कि इस विधान सभा के चलते हुए यहां कोई विस्फोटक पदार्थ भी ला सकते हैं, डायनामाइड भी ला सकते हैं या कोई ऐसी चीज यहां पर लगा दें, जिससे विधान सभा की कार्यवाही चलते कोई जबरदस्त दुर्घटना हो जाय, तो शायद इस शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी । यदि लाश आ सकती है तो विस्फोटक पदार्थ भी आ-जा सकता है । अपराधी भी आ सकते हैं । जब रात में इतने सुरक्षित स्थल अपराधी लाश ला सकते हैं तो यदि कोई विस्फोटक सामग्री भी यदि यहां पर लगा दें तो उसके दुष्परिणामों की कल्पना आप कर सकते हैं ।

मान्यवर, इस संदर्भ में सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि जिस प्रकार से आज के समाचार पत्रों के माध्यम से या लोगों से बात-चीत करने से पता लगा है कि जिस नवयुवक की हत्या की गई है, वह दुष्कर्म करने के बाद की गई है । ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रोगी अपराधी इन घटनाओं में नजर आ रहा है । दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि क्या कोई सरकार के बदनाम करने के लिए साजिश के तहत ऐसी घटनाओं को कर रहा है या सरकार को चुनौती देने के लिए कर रहा है ? आखिर मन्शा क्या है ?

मान्यवर, मैं इसे एक सुखद संकेत मानकर यह कहना चाहता हूं कि अपराधी यह सूचना दे रहा है कि आपकी सुरक्षा बिल्कुल ढीली है, आप सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि विधायक व विधान सभा से जुड़े हुए अन्य लोग जो हैं, उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है । मैं इस सरकार को आपके माध्यम से सचेत करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि इस घटना को चुनौती के रूप में लें और आप सरकार को निर्देश दें कि कल तक विधान सभा आहूत हो, 24 घंटे के अन्दर-अन्दर अपराधियों को पकड़कर सरकार आपकी पीठ को सूचित करे कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है और जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है । इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आई० जी० स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जांच की जाय, उसमें भी सी० आई० डी०, विशेष रूप से जिन्हें ऐसे मामलों में एक्सपर्टाइज हो, उन्हें रखा जाय, जो 24 घंटे के अन्दर अपराधियों को, पकड़े और इसकी जांच करे ।

मान्यवर, आश्चर्य तो यह है कि सरकार की मन्शा साफ नहीं लगती । आज तक इतने बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने किसी तरह का पुरस्कार घोषित नहीं किया है, जिसके कारण जनता का अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है । इसलिए सरकार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के

लिए पुरस्कार की घोषणा करे । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आई० जी० स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम नियुक्त की जाय जो इस घटना की 24 घंटे के अन्दर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराये । इसके पीछे जो रहस्य के पर्दे हैं, उनका पता लगाने की जरूरत है । क्या सरकार को बदनाम करने की कहीं यह साजिश तो नहीं है या फिर भविष्य में आने वाली कोई बड़ी दुर्घटना या उसका पूर्वाभ्यास तो नहीं है, यह भी जांच का अंग बनना जरूरी है । आज शायद इससे बड़ी कोई अविलम्बनीय प्रश्न हो ही नहीं सकता है, लोक महत्व का इससे बड़ा प्रश्न कोई नहीं हो सकता है । आज जनता के मन में भी यह एक चिन्ता बनी हुई है कि जब विधान सभा परिसर जैसा स्थल सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा ?

मान्यवर, इससे ज्यादा तात्कालिकता और क्या हो सकती है कि जहां से मैं संबोधित कर रहा हूं इसके 100 गज दूरी पर लाश बरामद हो जाय तो इससे ज्यादा तात्कालिकता और क्या हो सकती है ?

(श्री नरेश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

विभिन्न दलों के नेताओं के बोलने के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री रंगनाथ–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 17 ता० को जब आपकी पीठ से निर्णय हुआ था कि इस प्रकार की सूचना पर दल के सदस्यों के साथ उस दल के नेता हस्ताक्षर करेंगे तो उस नेता के बोलने के बाद बाकी का बोला मान लिया जायेगा और जो बाकी आगे हस्ताक्षर किये हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा । नेता विरोधी दल के नोटिस पर हस्ताक्षर थे उनके बोलने के बाद हमें बोलने का अवसर नहीं दिया । तो आज नेता कांग्रेस बोल चुके हैं इसलिये उसका अभिप्राय पूरा हो चुका है । दूसरे नेता जो नोटिस दिये हुये हैं उनको बुलवाइये, नोटिस पर हस्ताक्षर कितने ही किये हों (व्यवधान) प्रथम जो नेता हस्ताक्षर किये हैं (व्यवधान) बाकी को अवसर नहीं मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल साहब को बोल लेने दीजिए । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक निर्णय हो चुका है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह कोई बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पिछली तारीख में जो तय हुआ है उसके संदर्भ में चलने दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपकी पीठ से यह व्यवस्था दी गयी थी कि नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों में से दो को सुनेंगे । एक नोटिस पर दो लोंगों को ही सुनेंगे अगर माननीय नेता के हस्ताक्षर है तो नेता को पहले सुनेंगे । उसके बाद दूसरे माननीय सदस्यों को सुनेंगे । (व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

आप नियमों के अनुसार सदन को चलायें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुन लीजिए । (व्यवधान) मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं । जब मैंने कह रखा है आपको बुलवाऊंगा आप जरा शांति रखें । माननीय तिवारी जी सुन लें । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कोई आपत्ति नहीं है। आपने घोषणा की थी कि समय के अनुसार जो सूचना प्राप्त होगी उसको पहले लेंगे । तो हमारी सूचना 9 बजे प्राप्त हुई और आपने कृपा पूर्वक मुझे बोलने के लिये कह दिया । जब वह ग्राह्य कर लिया तो उस पर दो लोगों के और हस्ताक्षर हैं उनको बोलने की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे निर्णय देने के पहले आप व्यग्र हो रहे हैं । (व्यवधान) मेरा निर्णय सुन लीजिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक कठिनाई आपके सामने आयेगी, जो फारमूला लगेगा उसमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी कभी बोल नहीं पायेंगे इसलिये कि वह नेता नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं क्या निर्णय दूंगा उसे सुन तो लीजिये । (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्यों नहीं बोलेंगे ? आपने व्यवस्था दी थी कि नेता बोलेंगे तो उस दल के सदस्य नहीं बोलेंगे । माननीय गुप्ता जी ने सूचना दी है आप क्रम से लें (व्यवधान) वह केवल नेताओं के लिये हैं । उनके नेता बोल चुके हैं उनके बाकी लोग नहीं बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा आग्रह है अग्रवाल साहब को बुलाया है, उनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

उसी संदर्भ में मेरा निर्णय सुन लीजिये (व्यवधान) पहले निर्णय तो सुन लीजिये, आप बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

पहले निर्णय हो जाने दें तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें। श्री किरन पाल जी आप भी बैठ जायं और मेरा निर्णय सुन लें।

पिछले दिनों में, चाहे कार्यवाही देख लें, यह निर्णय हुआ था कि चाहे कोई 9 बजे सूचना दे या 9.55 पर सूचना दे लेकिन मा० नेता प्रतिपक्ष की सूचना यदि उसमें शामिल होगी तो मा० नेता प्रतिपक्ष को पहले सुना जायेगा। यदि मा० नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं तो जो सूचनायें समय को देखते हुए पहले आयेंगी उनको पहले ग्राह्य किया जायेगा। तो मैंने सूचना आपकी ग्राह्य किया और यह भी तय किया था कि अधिक से अधिक एक सूचना पर एक दल के दो लोगों को ही सुना जायगा और उसके बाद फिर दूसरी सूचना टेक-अप की जायेगी।

तो अब तय कर लें। आज कोई बात नहीं है, श्री नरेश अग्रवाल जी को बुलवा लेंगे किन्तु फिर इसी तरह यह नहीं होगी कि हम किसी दल के मा० नेता को न बुलायें। इस प्रकार पहले नेता को और उसके बाद दूसरे सदस्यों को सुना जायेगा। इसलिये आप लोग पहले तय कर लें। मैं माननीय श्री जगदम्बिका पाल, श्री किरन पाल और भाजपा नेता से अनुरोध करूंगा कि आप लोग पहले तय कर लें लेकिन फिर जो निर्णय हो जायेगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आप पहले तय कर लें।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो व्यवस्था दिया है उसमें निवेदन है कि सूचनायें आपके सामने आ गयीं और उनमें विभिन्न दलों के नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं, तो मान्यवर परम्परा रही है कि यदि नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर हैं तो उनको वरीयता होगी और फिर दूसरे नेताओं को सुना जायगा और फिर अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को। (व्यवधान) इसमें आप व्यवस्था दे दें। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

(व्यवधान) मान्यवर, आप किसको मौका दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

पहले आप तय कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी सूचना पर दो के हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी तो फिर भविष्य में यही क्रम रहेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उनके सदस्यों से (व्यवधान) इसमें अब काफी समय हो गया है । मैं आज अनुरोध कर रहा हूं, पाल साहब आप बैठ जाइये । माननीय नेता जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आज यह तय किया जा रहा है कि अब इस व्यवस्था को ही आज से पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा, यही लागू होगा । इसके बाद चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसे मैं बदलूंगा नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष–

जब आप बैठ जाइये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर आपने मुझ से सलाह की है, तो मुझे भी आप एक मिनट सुन लें । मान्यवर, मैंने पहले भी कई बार आपसे अनुरोध किया है कि आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्नों पर इस तरह से यहां बैटबाजी नहीं होनी चाहिए । मैं आपका बड़ा आदर करता हूं । मैंने ऐसे कई प्रसंगों पर आपसे कहा है कि आप नेताओं की बैठक अलग से बुला लें और वहां पर प्रक्रिया संबंधी निर्णय ले लें । लेकिन आप [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह अनर्गल आरोप आपका है, मिथ्या है और पूर्ण मिथ्या आपका आरोप है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपको जो करना हो करें, लेकिन ...(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकरण पर अब मैं किसी को कतई नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने आरोप लगाने की बात नहीं कही है, आप..

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा । (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने जो पूछा है, उस पर केवल मेरा यही कहना है कि आप अपने चैम्बर में इस तरह का कोई निर्णय करें, यहां नहीं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तो फिर मैं सदन को एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 1 बजकर 51 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट विलम्ब से प्रारम्भ हुई)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पूरा प्रदेश बिना सरकार के चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मंत्री लोग उपस्थित हैं ।

(श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जिन परिस्थितियों में सदन की बैठक स्थगित हो गयी थी और उसके बाद उन परिस्थितियों का क्या निदान निकला है, यह सदन को बता दें और उसके बाद कार्यवाही चले तो अच्छा रहेगा । इतना आप बता दें ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है माननीय वर्मा जी, अभी नेताओं के बीच में जो तय हुआ है उसमें यह है कि जो प्रकरण है, उसे समाप्त कर दिया जाय और स्वविवेक से फिलहाल आप जिसे बोलने का निर्देश देंगे, उसका पालन होगा और उसी के तहत मैं माननीय किरन पाल जी को बुला रहा हूं।

लखनऊ स्थित मुख्य सचिवालय के परिसर में पन्द्रह वर्षीय किशोर का शव बरामद होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, यह विषय इतना गंभीर है कि कल सचिवालय में एक लाश बरामद हुई एक नवयुवक की। इस सरकार और पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें माननीय प्रमोद तिवारी जी से कहा है लेकिन मान्यवर, यदि आप देखें पहली हत्या की तरफ जो 12 फरवरी को हुई और उसके बाद तीन और हत्यायें हुईं। उसी एक जैसी हत्या के क्रम में यह पांचवीं हत्या जुड़ी है। उसी तरीके से लाश बरामद हुई है जिससे मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निकम्मा पुलिस प्रशासन देश के किसी कोने में नहीं मिल सकता है जो आज लखनऊ में काम कर रहा है। पहली लाश आई० जी० सिक्योरिटी के घर के पास फेंकी गई जो कि उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी के मुखिया हैं। दूसरी और तीसरी लाश मान्यवर, अतिथि गृह, जहां वी० आई० पी० लोग ठहरते हैं, फेंकी गई और पांचवीं पराकाष्ठा पर जाकर जहां उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने का काम होता है, उस परिसर में फेंकी गई। सारी लाशें एक ही तरीके से हत्या करके फेंकी गई हैं। उस एरिया में यह घटना घट रही है जहां महामहिम राज्यपाल का निवास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है, इन बड़ी-बड़ी हस्तियों के कार्यालय भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं और जहां इस प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया, जिम्मेदार लोग बैठकर काम करते हैं, वहां घटनाएं घट रही हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि यह हत्याएं विक्षिप्त मस्तिष्क का काम है। यदि हत्या के रूप में हत्या की गई होती तो हत्यारा उस लाश को छिपाने का प्रयास करता। विक्षिप्त मस्तिष्क का व्यक्ति अगर हत्या करता तो उसमें लाश को वी० आई० पी० परिसर में वी० आई० पी० गाड़ी से लाश फेंकने की बुद्धि और हौसला न होता।

यह कल की घटना जो है यह और भी दर्दनाक है और बहुत ही चिन्ता का विषय इसलिए है क्योंकि एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होना प्रकाश में आया है। जिसको सरकार के प्रशासन के बड़े अधिकारी चलाते हैं। वह गाड़ी आई बाद में लाश आई इससे साबित होता है प्राग्दर्शन में हत्यारे प्रशासन में जुड़े कुछ लोगों से मिले हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा जैसा निकम्मा पुलिस प्रशासन लखनऊ का है वैसा देखने में नहीं आता है। आज तक जितनी हत्यायें हुई हैं मैं प्रदेश सरकार के मुखिया से जानना चाहूंगा संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो हत्यायें हुई हैं क्या वह उनका नाम बता सकते हैं ? क्या वह यह बता सकते हैं कि वह कहां का रहने वाला है ? यह बता सकते हैं किस-किस स्थान पर हत्यायें हुई हैं ? चार-पांच हत्यायें हो गईं जल्दी-जल्दी पंचनामा करा दिया गया, पोस्ट-मार्टम करा दिया गया और दाह संस्कार करा दिया गया।

आपका प्रशासन इतना निकम्मा है । आज वह निकम्मेपन की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है । आज आप बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन मर रहा है ? कहां का रहने वाला है ? कहां मर रहा है ? यह बहुत ही गंभीर विषय है । मैं निवेदन करना चाहता हूं इस गंभीर विषय पर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसको इतने हल्केपन से लिया जाय और इतने हल्केपन से इसको अंजाम दिया जाय । यह जो हत्याओं का काम हो रहा है यह कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर काम कर रहा है । लाश को परिसर में लाना, और इतने बड़े पहरे में लाना, कोई हौसले वाले अपराधी ही इसको कर रहे हैं जिनकी लम्बी पहुंच है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ में अधिकारी मौजूद हैं एस० एस० पी०, सी० ओ० हैं जो जिम्मेदार हैं । चार-पांच हत्यायें हो गई इसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं कहना चाहूंगा आप यदि पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त रखना चाहते हैं तो वी० आई० पी० इलाके में जों पुलिस अधिकारी लगे हैं उनको तत्काल हटाइए, निलम्बित कीजिए । इस तरह से लापरवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलिये ।

श्री किरनपाल सिंह–

ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं आप उनको निलम्बित कीजिए । एल० आई० यू० फेल हो रहा है । सी० आई० डी० फेल हो रही है । पुलिस प्रशासन अजीब-गरीब तरीके से कार्य कर रहा है । आज सब यह सोच रहे हैं कि अगली लाश कहां मिलेगी । आप प्रशासन को सचेत कीजिए । पुलिस के लोग इतने लापरवाह है । उनको दंडित करने की जरूरत है । आप एक टीम बनाइए जो पुलिस के लोग अच्छा काम करते हैं जिनका पुलिस में अच्छा रिकार्ड है उनकी टीम बनाकर उसको लगाइये । यदि समय रहते कदम न उठाया गया, समय रहते पता नहीं लगाया गया कि क्यों हत्यायें हो रही हैं तो यह सिलसिला आगे भी चलेगा । अभी तक मान्यवर, किसी की पहचान नहीं कराई गई है कि कौन मारा गया है ? मरने वाले का पता नहीं है और न ही मरने वाला कहां का रहने वाला है इसका पता है इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? दोषी पुलिस अधिकारियों को बदलिये उनको सस्पेंड कराइये अच्छे पुलिस अधिकारियों को लगाइये और उनसे जांच कराइये । आप इसमें एक भी क्षण का विलम्ब न कराइये ताकि आगे कोई संगीन घटना न होने पाये ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना के बारे में चर्चा इस आदरणीय सदन में चल रही है यह बहुत ही गंभीर विषय है । मुझे याद है जब चौथी घटना के बारे में यहां चर्चा हुई थी तो यह कहा गया था कि चुनौती को सरकार स्वीकार करती है । मान्यवर, मैं यह विश्वास करता हूं कि सरकार ने कोई क्रियाशील कदम नहीं उठाया होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कई वरिष्ठ अधिकारी लगे होंगे इसका पालन करने के लिए लेकिन उसके बाद भी यह पांचवीं घटना के परिस्थिति जन्य साक्ष्य से यह साफ है कि चारों घटनाएं कितनी जघन्य किस्म की है । इसकी गंभीरता इसलिए है कि लाश जहां पर वी० आई० पी० गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पाई गई । जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि कोई चीज विधान भवन के अन्दर आ सकती है और यहां पर विस्फोट हो सकता है । उसके बाद क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करते हुए सिहरन पैदा होती है । सरकार ने चुनौती लेकर स्वीकार किया लेकिन उसके बाद स्वीकार करने के बाद भी जो निकम्मापन दिखाई दिया है वह पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन के दामन पर काला धब्बा है । यहां पर कई उपचार बताये गये कमेटी बनाई जाय मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता इसकी नहीं है । कड़ाई के साथ काम किया जाय । दोषी अधिकारी दंडित किये जायं । लेकिन संसदीय लोकतंत्र का तरीका है कि सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करके गृहमंत्री को अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई ।)

यह समाजवादी पार्टी सिद्धान्तों की पार्टी है । यह सिद्धान्त की बात है जब रेल दुर्घटना हुई है, छात्रों पर गोली चलाई गई हैं तब मंत्रियों ने इस्तीफे दिये हैं । मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी समझते हुए गृहमंत्री अर्थात् मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए । इस समय लखनऊ ही नहीं सारे प्रदेश में असुरक्षा की भावना इस तरह के काण्डों से पैदा हो रही है । अभी लोक सभा में एक सवाल के जवाब में लोक सभा में गृहमंत्री ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी एजेन्सी आई० एस० आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं, में यह एजेन्सी यहां पर काम कर रही हैं । अब यह तो मैं नहीं कहता कि मेरे पास प्रमाण है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको डिनाई करने का छिपाने का काम कर रही है । लोक सभा में स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है । जैसा कि किरन पाल जी ने और प्रमोद तिवारी जी ने सुझाव दिये हैं, उसमें मैं अपने को संबद्ध करता हूं, जिससे पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था का वातावरण सही हो । इसके साथ ही साथ मैं एक बात की और मांग करता हूं कि संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि गृहमंत्री अर्थात् मुख्यमंत्री को इस घटना के बाद अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, हम लोग गंभीर मुद्दों को इस सदन में उठाते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि सरकार की ओर से उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है । पिछली चार हत्यायें इस सदन में उठाई गई और संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की इसकी चुनौती स्वीकार की । लेकिन उस चुनौती को उन अधिकारियों ने उन अपराधियों ने गंभीरता से नहीं लिया । इसका सबूत एक किशोर की जो लाश सचिवालय में प्राप्त हुई उससे मिल गया । हर बार कहा जाता है कि सफेद पोश अधिकारियों की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं । अब तो अधिकारियों की गाड़ियों का इस्तेमाल और उनकी मिली भगत से अपराध होने लगे हैं । एक गंभीर प्रश्न यह पैदा होता है कि सचिवालय जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड लगे हैं उनकी भी इसमें मिली भगत है । क्योंकि इस काण्ड में कई लोग शामिल होंगे कई लोग बाहर से आये होंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बहुत ही गंभीर मामला है । श्रीमन्, जैसा कि किरन पाल जी ने मांग की मेरी भी निश्चित रूप से मंशा है कि आप शासन दिखाएं और सबसे पहले उन अधिकरियों के विरुद्ध कार्यवाही करें, जिन्होंने इन काण्डों को गंभीरता से नहीं लिया ।

आज यह कहते हुये शर्म आ रही है कि आज तक किसी किशोर की शिनाख्त नहीं कर पायी गयी है कि कहां का रहने वाला है ? आप उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करें ताकि अधिकारियों के मन में भय पैदा हो कि खाली सफेदपोश लोग ही नहीं यदि अधिकारियों का निकम्मापन होता तो उनके खिलाफ भी सरकार कदम उठा सकती है ताकि भविष्य में ऐसे बातें न हों । मान्यवर, आई० जी० स्तर के किसी अधिकारी को निर्देश दें और एक सीमा तय करें जिसके अन्दर दोषी लोगों को पकड़ा जाय । मैं यही कहते हुये अपनी बात पर बल देता हूं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मुझे समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बुला रहा हूं, आप बैठे । मैं सब खास-खास लोगों को बुला लूंगा ।

श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, खास-खास कौन से लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको कैसे इस पर बुला सकता हूं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर प्रकरण है जो सदन के समक्ष आया है । कल सचिवालय परिसर में एक किशोर की लाश मिली । लाश कहीं से लाकर फेंकी जा सकती है । लेकिन इस तरह की हत्याओं का एक सिलसिला बना हुआ है। यह एक जैसी हत्यायें हैं और मुख्य बात यह है कि राजधानी में 5 लोगों की हत्यायें की गयीं और लाशों को प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर चाहे वह लाल बाग काम्पलेक्स हो, स्टेट गेस्ट हाउस हो, आई० जी० सिक्योरिटी के घर के पास हो, लाशों को प्रमुख स्थानों पर फेंका गया है । जिन लोगों की हत्या की गयी है उनकी उम्र 13 वर्ष से 18 वर्ष की थी । सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है । यह भी हो सकता है कि इस तरह की हत्यायें करने वालों का एक गिरोह हो । अगर इसके रहस्य पर पड़ा परदा नहीं हटाया जाता तो यह कहना पड़ेगा कि सरकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गयी है । इस स्थिति में नैतिकता का तकाजा बन जाता है कि जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं वह अपना त्यागपत्र दे दें । (मेजों की थपथपाहट ।) अगर अपनी जिम्मेदारी से सरकार मुक्त होना चाहती है तो सरकार को तुरन्त ही इन घटनायें के रहस्य पर से परदा उठाना चाहिये । हो सकता है कि एक साजिश की जा रही हो जिसके तहत एक उम्र विशेष के लोगों को जान से मारकर आतंक पैदा करने के लिये ऐसे लोक महत्व के स्थानों पर लाशें फेंकी जा रही है ।

जो भावनायें इस प्रकरण पर व्यक्त की गयीं है उन भावनाओं से मैं अपने को जोड़ता हूं और यह मांग करता हूं कि सरकार या तो इस रहस्य पर से परदा हटाने का काम करे नहीं तो नैतिकता का यह तकाजा है कि जो जिम्मेदार मंत्री हैं वह अपने पद से त्यागपत्र दे दें। दूसरी बात यह है कि हजरतगंज लोकलिटी में यह घटना हुयी है। यह संवेदनशील, वी० आई० पी० इलाका है। यहां इतनी जघन्य घटना की जिम्मेदारी यदि किसी अधिकारी पर थोपी नहीं जाती है तो यह सिलसिला बना रहेगा और वह दिन दूर नहीं कि अभी तो इस परिसर में लाश मिली है हो सकता है कि लाश ऊपर भी आ जाय और जब हम यहां आयें तो इस वेल में लाश पड़ी दिखायी दे। यह स्थिति न आने पाये, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस साजिश पर पड़े परदे को हटाये। और अगर साजिश पर पड़े हुए पर्दे को सरकार नहीं हटा पाती, तो जिम्मेदार सरकार है और यह कहना पड़ेगा कि चरम सीमा पर पहुंच गयी है कानून-व्यवस्था। इन शब्दों के साथ जो भावनाएं यहां पर प्रकट की गयी हैं, उससे अपने को जोड़ते हुए सरकार इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करे और जो जिम्मेदार अधिकारी हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही करे।

(श्री बदन सिंह के पुकारे जाने पर)

(कई विधायकों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विकल जी, पहले माननीय बदन सिंह को बोलने दीजिए, उसके बाद ही तो आपको बुलवायेंगे ?

(घोर व्यवधान)

पूरे सदन की सूचना होगी, तो क्या सबको बुलवायेंगे ? मैंने माननीय बदन सिंह को बुला लिया है।

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज जिस गंभीर घटना की चर्चा हो रही है, यह चर्चा का विषय नहीं है, यह चिन्ता का विषय है। इस राजधानी में किशोरों की हत्या की यह पांचवीं घटना है और 12 फरवरी से 18 मार्च तक होने वाली 4 घटनाओं से यह विशेष प्रकार की घटना है, क्योंकि यह मुख्य सचिवालय परिसर के अन्दर की है इसका अलग से महत्व इसलिए है कि अति विशिष्ठ अधिकारियों के वाहन के नीचे जो लाश मिली है, इस स्थान पर विशेष चौकसी बरती जाती है और बिना पास के कोई भी यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे स्थान पर एक किशोर की लाश का मिलना इस बात का द्योतक है। हत्यारे यहां पर लाश लाकर एक गंभीर चुनौती शासन और प्रशासन के सामने खड़ी कर रहे हैं। इसका दायित्व जिसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सौंपा गया है और जिनके क्षेत्र में यह जो घटना हो रही है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन जिन लोगों के हाथों में है, वह अयोग्य है ।

शासन ने अपनी नीति बताई है कि उसके क्षेत्र में होने वाली घटना के लिए एस० एस० पी० और डी० एम० जिम्मेदार होंगे, लेकिन इस नीति के अनुसार कोई भी कदम नहीं किया गया है । यहां के अधिकारी ढीले देह से कुश्ती लड़ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से इनसे यह कहना चाहता हूं कि इसका सबूत यह है कि प्रदेश में होने वाले किसी भी अपराध का सामना करते हुए पुलिस कर्मी नहीं मारे गये हैं, किसी भी संघर्ष में पुलिस के अधिकारी ने आज तक किसी भी अपराध का सामना नहीं किया है कि जिसमें डकैतों से लड़ना पड़ा हो, यह अयोग्य अधिकारियों का मण्डल जो इकट्ठा कर दिया गया है, यह चरित्र कहता है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए । यह समझते होंगे कि इनको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इनको पूरा प्रदेश और अन्य राज्य की जनता देख रही है और केन्द्र सरकार यह मान गयी है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । अगर इन्होंने इसकी व्यवस्था नहीं की, तो जल्दी ही इनको यहां की इन सीटों को छोड़ना पड़ेगा । जिसके लिये यहां आज चुनकर आये हैं । यह तुरन्त और लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये, पुलिस व्यवस्था पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से शांति स्थापित की जा सके ? मैं अपनी वेदना प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वेदना से दुखी हों और राजनैतिक दलों को बुलाकर आप एक मीटिंग करायें और इस पर विचार करें कि इस प्रकार की घटनाओं पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है ? आप पुलिस में ऊंचे पदों पर योग्य अधिकारियों को रखें और जो अधिकारी अपने को योग्य न साबित कर पायें उनको हटाये, तभी अपराधों पर काबू पाया जा सकता है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरी नोटिस है । (व्यवधान के मध्य)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

ऐसा नहीं होगा । नियम के अनुसार चलें । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । (कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुये) चार बैठे हैं और उनमें से तीन बोल चुके हैं और हमारे दो ही बोलेंगे । ऐसा क्यों ?

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

यह हमारे क्षेत्र का मामला है । हम को भी सुन लें । मेरठ के डी० आई० जी० ने स्वीकार किया है कि आई० एस० आई० का जाल प्रदेश में फैल गया है और उन्हीं के द्वारा यह अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसको सरकार स्वीकार नहीं करती है, जिसके कारण इनको प्रोत्साहन मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

नम्बर के अनुसार बोलने के लिये मौका दें । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक घंटे के लिये स्थगित बी० जे० पी० की मनमानी के कारण करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। तत्पश्चात् 3 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो 311 में मेरे दल के द्वारा और तमाम दलों के द्वारा एक गंभीर संवेदनशील विषय इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए केवल यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी के केवल एक क्षेत्र, हजरतगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 12 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक के बीच में एक माह के अन्तर्गत 5 हत्यायें एक ही उम्र के बालकों की हुई। यह भी नहीं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह घटना हुई हो। यह 5 घटनाएं रहस्यमय तरीके से हुई है। हत्यारों ने वहां पर हत्याओं की शुरूआत बटलर पैलेस कालोनी से शुरू की जहां राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारी रहते हैं, दूसरी घटना राज्य अतिथि गृह में घटी जहां सम्मानित अतिथिगण रहते हैं, तीसरी घटना हजरतगंज में और चौथी घटना हजरतगंज के पास और पांचवीं घटना विधान सभा परिसर में घटित हुई है।

जिस तरह से यह घटनाएं एक माह के अन्दर प्रदेश की राजधानी में घटित हुई हैं उससे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इससे लोगों में रोष और क्षोभ व्याप्त है। जब-जब घटनाएं घटी हैं इस विषय को हमारे दल के लोगों द्वारा उठाया गया है तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से इन घटनाओं से मर्माहत होकर चुनौती के रूप में इसे स्वीकार किया था लेकिन उस चुनौती को स्वीकारने के बाद भी उनकी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन 4 घटनाओं के हत्यारों का पर्दाफाश तो आज तक नहीं हो सका और न ही किसी भी हत्या के हत्यारों के संबंध में कोई सुराग ही मालूम हो सका है और उस चुनौती के बने रहते ही इन हत्यारों ने पांचवीं हत्या कर दी और वह हत्या करके उसकी लाश को विधान सभा में डालने की हिम्मत की है।

मान्यवर, जिस तरीके से सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए एक चुनौती के रूप में इसे कबूल किया था ती या तो इन हत्यारों ने खुले आम इस चुनौती के जवाब में यह हत्या कर विधान सभा परिसर में लाश फेंकी है। मान्यवर, आपको याद होगा, 20–30 वर्ष पहले आपको ध्यान होगा कि मंकी ब्रिज में एक बाबा बैठते थे और रात्रि में जब लोग पिक्चर आदि देखकर आधी रात को निकलते थे तो वे भीख मांगने के लिये लोगों की तरफ हाथ बढ़ाते थे और लोगों को घोड़े का पैर दिखाई पड़ता था, उस समय भी 2-3 हत्याएं हो गयी थी और वह भी सरकार के लिये चुनौती बनी थी। मान्यवर, आज एक माह के अन्दर 5 हत्याएं हो गयी और पांचों हत्याएं राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई जहां प्रदेश के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, प्रदेश के विधायक मुख्य मंत्री, मंत्रीगण रहते हैं, न्यायपालिका के लोग रहते हैं, पुलिस के प्रशासन के सारी मशीनरी के लोग रहते हैं। आज मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनकी उस चुनौती के बाद इन लाशों की शिनाख्त के संबंध में कोई बात क्यों नहीं हो पायी। जो 4 हत्याएं हुईं, एक हत्या को छोड़कर जिसमें शिनाख्त हुई है, कहां मौत हुई, कहां के बालक थे, कहां से ताल्लुक रखते थे आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं हो पायी। जिस तरह से हत्यारे खुलेआम हत्या पर हत्या कर रहे हैं और जो आज हत्या हुई है यह एक गम्भीर विषय है।

मान्यवर, इस सदन में यह भी कहा गया था कि आप पुलिस फोर्स की एक उच्चपदस्थ टास्क फोर्स बनायेंगे, या तो वे समझ रहे थे कि लोग घटना को भूल जायेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि इन लाशों का पोस्टमार्टम करके सारी घटनाओं की लीपापोती की गयी है। इन घटनाओं के संबंध में जो चीजें सामने आयी हैं, टास्कफोर्स की स्थिति बनी है, इसको इन अधिकारियों ने गम्भीरता से नहीं लिया है और यह वाकई इस सरकार के लिये और इस प्रदेश के लिये एक गम्भीर चुनौती बन गया है। कुछ ऐसे पेशेवर या गिरोह या गैंग के लोग एक उम्र के बालकों को अपनी हबिस का शिकार बनाने के लिये उस विकृत मानसिकता के बाद उनकी हत्या करने जैसे घृणित कार्य दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, आज संसदीय कार्य मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार किस-किस को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। संसदीय कार्य मंत्री की चुनौती के बाद जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे उसके अलावा जो यह पांचवीं घटना हुई है उसके संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे ? अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो यह निश्चित रूप से खेद का विषय है और इसको आप ग्राह्य करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में 24 फरवरी को यह गम्भीर मामला जब सदन में हमने उठाया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। 23 फरवरी की रात को दो लाशें एक साथ मिली थी एक नरही में और एक लालबाग काम्पलेक्स में इस तरह दो लाशें मिली थीं। इससे भी पहले बटलर पैलेस व स्टेट गेस्ट हाउस में 12 व 18 फरवरी को लाशें मिली थीं। और पूरे सदन ने उस पर चिन्ता प्रकट की थी। हम भरोसा करते थे कि उस पर कुछ कार्यवाही होगी। मान्यवर, जो समाचार अब है जो जानकारी है, इस मामले में पूरी लापरवाही बरती गयी, सख्ती नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ के अन्दर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अब हत्या की पांचवीं घटना घटी है। सिवाय एक बच्चे के, बाकी अब तक शिनाख्त तक नहीं हुई, कि वे कौन थे, कहां के थे ?

19 तारीख की रात में एक लड़के की लाश लेकर एक ऐसे स्थान पर डाली गयी जो इस प्रदेश की 13-14 करोड़ जनता के लिये सर्वाधिक सुरक्षित जगह है विधान सभा परिसर का मुख्य भवन सचिवालय, जहां माननीय मंत्रियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जहां सुरक्षा का प्रबन्ध है। रात में कोई आकर के वहां लाश डाल जाय, तो फिर हमारी आपकी सुरक्षा क्या होगी, माननीय विधायक यहां आते हैं। सबमें चिन्ता है। मान्यवर, जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, वे कोई सामान्य प्रकृति के मालूम देते हैं, यह केवल मानसिक काम विकृति का मामला ही नहीं है, ऐसा होता तो वे सिर्फ अपनी हबिस पूरी

करते, लेकिन हत्यारे हबिश भी पूरी करते हैं और क्रूर हत्यारे बनकर उसकी हत्या भी कर देते हैं, हत्या करके भी वे शान्त नहीं बैठते हैं, जानबूझकर बहुत ही वरिष्ठ लोगों की गाड़ी को इस्तेमाल करके वी० आई पी० इलाकों में चुनौती की तरह लाश को डालने का काम करते हैं। इस तरह से जो उन्होंने चुनौती दी है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन नकारा साबित हो रहा है, उनको वे रोक नहीं पा रहे हैं। शासन, प्रशासन व खुफियातन्त्र नाकाम साबित हो रहा है।

जो माननीय किरन पाल जी ने कहा मैं अपने को भी उनसे सम्बद्ध करता हूं कि चिन्ता यह है कि अगली लाश कहां मिलेगी ? मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सुबह जब हम आयेंगे सभा मण्डप के लिये तो हमें यह सूचना मिलेगी कि हत्यारे लोग किसी की लाश को सभा मण्डप में ही डाल गये हैं, और इस तरह से वे अपना नाम गिनीज बुक में लिखायेंगे, सारी दुनिया जान जायेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भवन में लाश पड़ी मिली। मान्यवर, जो शासन प्रशासन है, जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी कहा कि इसमें नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है, माननीय किरन पाल जी ने कहा है कि दोषी अधिकारियों को इसमें रगड़ा जाय, उन अधिकारियों पर कार्यवाही की जाय लेकिन मेरा कहना है अधिकारी इसमें रगड़े जाने चाहिए। परन्तु शासन, प्रशासन के ऊपर एक सरकार है सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और माननीय मुख्य मंत्री जी जिनके पास गृह विभाग भी है, इस विफलता के लिये उन्हें अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर मेजों की थपथपाहट) लगभग डेढ़ महीने से लगातार घट रही ये घटनाएं शासन की अक्षमता प्रकट कर रही हैं। मान्यवर, इस तरह की घटनाओं को रोका जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जो आपके सामने सन्दर्भ है, यह सरकार की असफलता का द्योतक है। इससे पूरे प्रदेश में सभी लोगों को लगता है कि विधान सभा के अन्दर बैठने वाले लोग, कानून बनाने वाले लोग, कानून का पालन कराने वाले लोग और उनकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है यह आज पूरे प्रदेश में सरकार की असफलता का द्योतक है। इस सरकार का अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है इस सरकार के किसी आदेश का परिपालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यह प्रदेश की सरकार अधिकारियों को एक तरह से उत्पीड़ित करके, उनकी भावनाओं का अनादर करने व मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है। इस प्रकार से सरकार का पूरा शासन फेल है। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो विचार रखे हैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने चुनौती के रूप में पिछली हत्याओं के संबंध में इस सदन में जो आश्वासन दिया था सरकार उसके लिये पूरी तरह से असफल रही है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री से इस्तीफा देने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा.....

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

महिलाओं को आप बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

56 पर आप बोल लीजियेगा दूसरी सूचना पर ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

महिला विरोधी यह सरकार है, [x x x] महिला विरोधी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जितने लोगों की सूचनायें थीं, निरस्त कर रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि इस पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, यह लोक महत्व का मामला है इस पर हमें भी सुनें । महिलाओं को कहने का मौका दिया जाये ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है । कृपया मुझे सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में बहुत से लोगों के विचार आ जायेंगे ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए । सूचना में हमारा नाम नहीं है तो क्या हुआ महिलाओं को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए । आपने कहा भी था कि आपको मौका देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या अगर मैं आपको अनुमति दे दूंगा तो दूसरे लोग भी जिद करेंगे । मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा लिया है ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह जो पांच घटनायें हत्या की घटी और विशेष रूप से यह जो विशिष्ट स्थान है वहां पर यह शव पाये गये इसको हमने बड़ी गम्भीरता से लिया है । हमने पिछली बार भी जब सदन में यह प्रश्न उठाया था तो कहा था कि सरकार इसे चुनौती के रूप में लेगी और इसमें जितनी चिन्ता व्यक्त की जाये वह कम है । भले ही हमारे सामने बैठे साथियों ने राजनैतिक नमक-मिर्च लगाकर अपनी बात कही है हम इसका बुरा नहीं मानते । यह उनका कर्तव्य था । यह जो घटना घटी है यह बड़ी ही दुखद है और

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इसे हमने बड़े ही गम्भीरता के साथ और एक चुनौती के रूप में लिया है । पहली घटना 13-2-94 को हुई उसमें 17, 18 वर्ष का नवयुवक था, उसकी लाश पायी गयी, दूसरी घटना 18-2-94 को घटी उसमें 17, 18 वर्ष के नवयुवक की लाश पायी गयी तीसरी घटना 23-2-94 को हुई थी । फरवरी में जो घटना हुई उसमें जो शव पाये गये उसमें 14, 15 साल का लड़का था । यह पांचवीं घटना हुई है 20-3-94 को और इस लड़के की शिनाख्त हो गयी है । यह सीतापुर में तैनात कांस्टेबिल मोहम्मद इस्लाम का छोटा भाई है, जो राजकीय इण्टर कालेज, सीतापुर में कक्षा–9 का छात्र है । जो चौथा शव मिला था वह सूरज थापा पुत्र श्री राम बहादुर थापा, नैपाली का है जो लखनऊ नौकरी के सिलसिले में आया था । तो दो लड़कों की शिनाख्त हो गयी है लेकिन अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं । यह जरूर चिन्ता की बात है और यह बहुत बड़े षड़यन्त्र का अंग भी हो सकता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । कल की घटना के संबंध में श्वान दल का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ सूत्र ऐसे मिल रहे हैं, जिससे पुलिस बहुत जल्द ही, जो अपराधी हैं, उनके निकट पहुंच जायेगी, उसके बारे में ज्यादा बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें जो हो रही हैं, वह न हों । मान्यवर, शायद ही कभी इस तरह की घटनाएं लखनऊ में हुई हों । जो लाशें मिली हैं, उन सभी लाशों के रासायनिक परीक्षण हुए हैं, जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार सभी के साथ अप्राकृतिक मैथुन सिद्ध पाया गया है और सभी अर्ध-नग्न अवस्था में थे, उनके नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं पाया गया । अन्तिम जो घटना सचिवालय में लाश मिली है, यह बहुत ही चिन्ताजनक है । इस घटनाओं के संबंध में हम सब लोगों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर, जो भी आप लोग सुझाव देंगे, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे और इसका हम खुद अनुश्रवण करेंगे ।

माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध होगा कि उनके स्तर से भी इसका अनुश्रवण हो । आई० जी० जोन लखनऊ के निर्देशन में उच्चाधिकारियों की एक समिति इसकी पूरी विवेचना करेगी और सी० आई०डी० से भी जो आवश्यक सहयोग होगा, लिया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी भी इसका अनुश्रवण करेंगे और हम भी समय-समय पर जानकारी करते रहेंगे । इसको बहुत ही गम्भीरता से उच्च प्राथमिकता सरकार देगी और यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है । यहां कुछ लोगों ने त्याग-पत्र देने के बारे में कह दिया । हम लोग बुजदिल नहीं हैं, हम लोग राजनीति में बहादुरी में विश्वास करते हैं और अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है, वह अवश्य करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है परन्तु मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि प्रभावी कार्यवाही करने के पश्चात् सदन को वक्तव्य के द्वारा अवगत कराया जाय । औचित्य की सभी सूचनाओं को अग्राह्य किया जाता है, वह कोई भी नियम में नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मार्च, 1994 को नियम 311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार

पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । पहले मैं उनको पढ़कर सुना रहा हूं, उसके बाद मैं सुनना प्रारम्भ करूंगा । पहली सूचना मैंने स्वयं अपने विवेक से चयनित की है ।

पहली सूचना मा० सरजीत सिंह डंग की प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी रु० 35 प्रति हजार कर दिये जाने से बीड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं में नकल करने के लिये आगरा के प्रधानाचार्यों को मिलने वाली धमकियां तथा 'उड़नदस्तों द्वारा कार्य करने से इन्कार करने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की प्रदेश में संग्रह अमीनों द्वारा जिला मुख्यालयों पर प्रोन्नति एवं वेतन विसंगति संबंधी मांगों को लेकर चलाये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में पुलिसजनों द्वारा नवविवाहिता के साथ बलात्कार किये जाने तथा जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री रंग नाथ की प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से दो माह के बराबर उपयोग की जाने वाली बिजली की धनराशि "अग्रिम उपभोग जमा" गारण्टी मनी के रूप में जमा कराये जाने विषयक आदेशों के जारी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । कुछ सूचनायें और भी प्राप्त हुई हैं सुनने के लिये । श्री डंग जी आप अपनी बात कहें । (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, आप यह बतायें कि मैंने सूचना दी, सुनने के लिये मौका नहीं दिया जा रहा है और अन्य माननीय सदस्यों को बुलवाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम को देखिये, नियम में होगा ही । सभी आ जायेंगी तो सब सुनूंगा । जनता दल के सबको सुनूंगा, भारतीय जनता पार्टी को सब सुनूंगा, नियम में जो आ जायेंगी, सब सुनूंगा । शलाका के आधार पर जो सूचनायें आ जायेंगी, उन्हें ही सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, शलाका में भी व्यवस्था । सुनूंगा नहीं, आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, अपने दल के सदस्यों को बोलिये, जो व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं ।

(श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के बोलने पर)

माननीय तिवारी जी, आप स्वयं जानते हैं कि शलाका के आधार पर ही सूचनायें चयनित होती हैं, सुना नहीं जायेगा । उन्हीं सूचनाओं को ग्राह्यता में सुनूंगा जो चयनित हुई हैं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायें ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा । मैं पहले कह चुका हूं कि आप बैठ जायं । कुछ नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, स० वि० स० की बुन्देलखण्ड इलाके में बदमाश गिरोहों के जत्थे बन्द होने तथा उनके द्वारा आतंकित करने विषयक सूचना सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपकी व्यवस्था क्या है ?

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि शलाका के आधार पर जो सूचनायें छांटी गयीं, उन्हें आपने सुन लिया । लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो महत्वपूर्ण और अहमियत रखते हैं । श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी ने एक सूचना दी कि आजकल पूरे बुन्देलखण्ड के इलाके में बदमाश गिरोह जत्थेबंद हो रहे हैं और यह जत्थेबंद गिरोह कई जिलों को आतंकित किये हुए हैं । शलाका के आधार पर चयनित सूचनाओं को सुन लिया, वहीं पर एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण सूचना हमारे माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी की है, इस पर भी आप मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सूचनायें भेज रहा हूं, आप देख लीजिये कि माननीय सदस्यों की सूचनायें कौन महत्वहीन हैं और कौन महत्वहीन नहीं हैं ।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी व श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी के खड़े होने पर व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । शलाका के आधार पर जो सूचनायें आयी हैं, उन्हीं पर मैं सुनूंगा। एक सूचना जो उ० प्र० के बीड़ी मजदूरों के बारे में है, की ग्राह्यता पर सुनने के लिये मैंने चुना है । श्री चन्देल जी आप कृपा करके बैठ जायं । आप नियम–51 में आए दे दें परन्तु इस समय मैं नहीं सुन सकता हूं ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध करना चाहूंगा । 4.00 बज गये हैं । आज सामान्य बजट पर चर्चा का अन्तिम दिन है और माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण होना है । एक-दो जो महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, उन पर आप सुन लें और सूचनायें तो कल भी ली जा सकती हैं । यदि इसमें विलम्ब हुआ तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी । कदाचित् माननीय गुप्त जी भी इससे सहमत होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर भाषण को प्रदेश की जनता भी गम्भीरता से लेती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने अपने विवेक से ही जो महत्वपूर्ण विषय होंगे, उन्हें ही चुना होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने विवेक से एक ही चुना है ।,शेष तो शलाका के आधार पर ली गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने जो निर्णय ले लिया है, उसी के अनुसार आप सुनें । अब फिर से इसमें कुछ परिवर्तन न करें । आपने सूचनाओं को उसी महत्व के अनुसार ही लिया होगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस सदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा के बाद बीड़ी मजदूरों की प्रति हजार पर जो मजदूरी थी, उसे बढ़ाकर 35 रुपये कर दी गयी थी । इधर बैठे लोगों ने व उधर बैठे लोगों ने उसका स्वागत किया था ।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम विरुद्ध कार्य नहीं होगा । आप कल भी दे सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, निश्चित रूप से सरकार की इसके पीछे सदाशयता रही होगी, मगर इसका परिणाम जो निकला वह अप्रत्याशित था। आज बिहार में, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं वहां मजदूरी 22 रु० से लेकर 25 रु० प्रति हजार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डेढ़ करोड़, दो करोड़ बीड़ी बनती हैं। उन बीड़ी मजदूरों पर सरकार ने दया दृष्टि की, मगर हाल क्या हुआ– "तेरी नजरों ने रहमत की थी वह कजा बन गयी, दुवा तूने दी थी वह सजा बन गयी" जो बड़े-बड़े फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने जब देखा कि आठ आने का अन्तर पड़ रहा है, यहां बीड़ी महंगी बन रही है तो उन्होंने धीरे-धीरे यहां से फैक्ट्रियां उठानी शुरू कर दी और अपनी फैक्ट्रीज मध्य प्रदेश, बंगाल और हमारे से सटे हुए बिहार ले जाना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां डेढ़ करोड़, दो करोड़ जहां बीड़ी बनती थी वहां 10 लाख 20 लाख की संख्या रह गयी है। मजदूरी जो कुछ पहले मिल रही थी आज उनकी स्थिति यह है कि उनके घरों में धीरे-धीरे भुखमरी फैल रही है, वह बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूरी बढ़ाये जाने के हम पक्षधर हैं। मुझे बीड़ी मजदूरों के नेताओं ने बताया कि ऐसी स्थिति बीड़ी मजदूरों के संबंध में 1974 में आयी थी तब तीन राज्यों के उच्च अधिकारियों ने कुछ निर्णय लिये थे कि मजदूरी इस प्रकार तय करेंगे जिससे इन सभी राज्यों में एक सी मजदूरी होगी ज्यादा अन्तर नहीं होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश में अधिक अन्तर नहीं रहेगा।

जहां तक उनकी वेजेज बढ़ाने की बात है, महंगाई बढ़ी है उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़े इस ओर ध्यान देना जरूरी है, सरकार ने उनके कल्याण के लिये कदम उठाये लेकिन उसका विपरीत परिणाम हो जाय और उनको नुकसान हो जाय यह देखने की बात है। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है जिसमें 7 लाख बीड़ी मजदूरों का हित जुड़ा हुआ है और उन सात लाख मजदूरों के साथ सात लाख परिवार जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी का मामला है। कार्य-स्थगन में इससे और महत्वपूर्ण विषय क्या होगा इसलिये इस पर कार्य स्थगित कर चर्चा करायें और सुनिश्चित सरकार करे कि उनको वेजेज जरूर मिले साथ ही साथ वह बेरोजगार न हों। बड़े-बड़े फैक्ट्री मालिकों पर बंधन जरूर लगे। प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार से वहां इनके सहयोगी दल कांग्रेस की सरकार है, बिहार जो हमसे सटा हुआ है वहां जनता पार्टी की सरकार है जो उनका सहयोगी दल है इन सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर निश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में और उनके यहां की मजदूरी में अधिक अन्तर न पड़े और हमारे यहां भुखमरी न फैले। इसलिये इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायें।

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

श्रीमन्, माननीय डंग साहब ने नियम 56 में एक सवाल इस आदरणीय सदन में उपस्थित किया है। इन्हें तो हमारी सरकार की दुहाई देनी चाहिए थी। हमारी सरकार ने इन मजदूरों के लिये 35 रु० प्रति हजार की दर बढ़ाने का काम किया है जिससे पूरे मजदूर खुश हैं प्रसन्न हैं। लेकिन सरकार के इस कार्य

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विपरीत यह सवाल लाये हैं । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारी सरकार मजदूरों और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैंने कहा कि उनकी मजदूरी 35 रु० प्रति हजार निश्चित करें लेकिन उनमें बेरोजगारी न फैले, फैक्ट्री ओनर मजदूरी दें यहां से बाहर न जायं ।

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां उठाया है, मुझे हैरत है कि बीड़ी मजदूरो का मामला बीजेपी के माननीय सदस्य ने उठाया है । यह बहुत ही निचले स्तर में काम करने वाले बीड़ी मजदूरों का प्रश्न है जो भाजपा के माननीय सदस्य ने उठाया है । आपको बीड़ी बनाने की प्रोसेस भी मालूम नहीं होगी । मैं एक मिनट में बता दूं मेरा अजमाया हुआ है एक दिन में एक बीड़ी मजदूर कितनी बीड़ी बना सकता है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस सरकार ने इस मजदूरी को बढ़ाया है उसने बीड़ी मजदूरों के साथ कितना न्याय किया है । यह जो आज 35 रु० प्रति हजार बढ़ाने से पहले 7-8 साल पहले तीन, साढ़े तीन, पौने चार रु० प्रति हजार बनती थी । और तो जब उसकी उजरत बढ़ी 15 रुपये थी, जब हमारी सरकार आयी थी और मैं श्रम मंत्री था तो 5 रुपया प्रति हजार बढ़ाई थी । तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि मजदूर की उजरत बढ़ाते हैं तो महंगाई को देखना पड़ता है । जहां तक बीड़ी श्रमिक और मालिक के मुनाफे का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाला एक भी मालिक ऐसा नहीं है जो पहले स्वयं बीड़ी बनाता हो । आज वह करोड़ों रुपये के मालिक बने बैठे हैं इसलिये आज उजरत बढ़ाने से कोई बीड़ी मालिक न तो गरीब हो सकता है और न अमीर हो सकता है । यदि सही-सही टैक्स दे तो कोई मालिक देश में ऐसा नहीं हैं जो बीड़ी का उद्योग चला सकें। इसलिये बीड़ी उद्योग चलाने के उनके अपने तरीके हैं जिनको मैं यहां नहीं बता सकता । इसलिये कोई सिस्टम आये तो उसको देखना पड़ता है कि किसमें भला होगा ।

मान्यवर, बीड़ी बनाने के लिये पहले मजदूर को पत्ते को रात भर भिगोना पड़ता है फिर मजदूर पत्तों को साफ करते हैं । उसके बाद उन पत्तो को कैंची से काटना पड़ता है, उसके बाद यह पत्ते भिगोकर कपड़े में रख दिये जाते हैं । 6 घंटे बाद उस कपड़े को खोल देते हैं और पत्तों की नसें साफ की जाती हैं फिर पत्ते सुखाये जाते हैं । फिर इन पत्तों में तम्बाकू भर कर, धागा लपेट कर लकड़ी से टांगा जाता है फिर सेंका जाता है तब बीड़ी का बंडल बनाया जाता है । तो इतना लम्बा प्रोसेस करने के लिये 35 रुपये एक हजार बीड़ियां बनाने पर मिलता है जबकि एक पूरा परिवार मिलकर 600-800 से ज्यादा बीड़ियां नहीं बना सकता है । इसलिये यह सवाल महत्वपूर्ण है । उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तब भी जो संगठित मजदूर हैं उसके लिये मांग आ जाती है जैसे टाटा में काम करने वाले हैं उनके लिये हर जगह उजरत बढ़ाने के लिये दलाल मांग करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जो असंगठित मजदूर हैं जैसे चाय बनाने वाले, भट्ठी में काम करने वाले, ड्राइवर आदि लोगों की मजदूरी फिक्स किया था और उस समय भी इसी सदन में कहा था कि इस बीड़ी उद्योग में जिसमें 8-10 साल की कमसिन लड़कियां जो काम करती हैं वह अपनी शादी तक अपना दहेज तैयार करने के लिये, यह समस्या ऐसे गरीब लोगों की है जिसके लिये, 35 हजार प्रति हजार करने से बीड़ी मालिक पर कोई असर नहीं होगा

लेकिन बीड़ी मजदूरों का जरूर भला होगा । मैं तो चाहता हूं कि इन बीड़ी मजदूरों की 35 रुपये प्रति हजार मजदूरी कम है इसलिये 50 रुपये प्रति हजार करने की सिफारिश यह सदन करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि जो मिनिमम वेज 35 रुपये फिक्स किया गया है उसका प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायत है कि पूंजीपति पूरी मजदूरी नहीं देते हैं इसलिये एक तो पूरा वेतन दिलाने के लिये आपकी प्रभावी योजना क्या है ?

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दो नम्बर का काम करने वालों, जिनकी जानकारी अभी दी गयी, की साजिश को बेनकाब करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, एक शेर में इसका जवाब है– तबियत को होगा कसक चन्द रोज, बहलते-बहलते बहल जाएगी । तो उनको मजदूरी अधिक देने से पहले भी मालिकान गुरेज करते रहे हैं, इस बार भी थोड़ी हाय तोबा कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे समझ जायेंगे । अधिक मजदूरी देने से वह पूंजीपति पहले तो रेजिस्ट करते हैं, वह बड़े-बड़े लोगों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते और उससे किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह उजरत कम हो जाए तो यह कुछ दिनों में देने लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, प्रदेश में 5 अप्रैल से हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं । नकल विरोधी अध्यादेश के समाप्त होने के बाद छात्रों के हौसले बहुत बुलन्द हो गये हैं और अध्यापकों के हौसले पस्त हो गये हैं । इस संबंध में इस समय आगरा मण्डल में जो स्थिति है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां पर अनेक प्रधानाचार्यों को धमकियां मिलना शुरू हो गयी हैं । जैसे होलीपुरा के दामोदर इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य को धमकी दी गयी है, जिससे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है । इस तरह की धमकियां बहुत से प्रधानाचार्यों को प्राप्त हुई हैं। बराबर असामाजिक तत्वों द्वारा उनको तरह-तरह की धमकियां दी जा रही हैं । वर्तमान स्थिति में वे नकल रोक पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । विद्यालय परिसर में पुलिस का प्रवेश वर्जित है । शिक्षकों को पुलिस से बल मिलता था । शिक्षकों में भारी भय का वातावरण व्याप्त है । उन्हें बराबर मारपीट और अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते वे नकल रोकने के प्रति उत्सुकता नहीं दिखा पा रहा है । नकल रोकने के लिये जो वहां पर उड़न दस्ते गठित किये गये है, उसमें जो लोग लगाये गये थे, वह भयवश उससे बचना चाहते हैं और वे बराबर अपना नाम उससे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं । यहां तक कि कुछ ने तो उसमें काम करने से इन्कार कर दिया है । ऐसे में शासन प्रशासन कैसे नकल पर अपना प्रभावी नियंत्रण रख पायेगा, यह किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है । यह बात स्पष्ट हो चली है कि इस बार की परीक्षाओं में फिर से भारी नकल होगी । यह स्थिति सरकार के

अव्यवहारिक निर्णय से पैदा हुई है। किसी के समझ में नहीं आता है कि नकल को हम रोक भी पायेंगे या नहीं। 58 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी सिर्फ आगरा में हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आप इस पर सदन का सारा कार्य रोक कर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डाक्टर मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं, यह सही है कि 5 अप्रैल से एक्जाम शुरू होने जा रहे हैं। आपने यह भी बताया है कि लोगों के हौसले बुलन्द हैं, यह तो उचित बात है। इम्तहान शुरू होने जा रहे हैं और सबके हौसले बुलन्द हैं। आपने इसके साथ-साथ यह भी कहा कि इसकी चर्चा है कि लोग नकल करेंगे, नकल होगी और नकल कराई जायेगी। यह तो आप लोगों की आदत हो गयी है। जब से यह अध्यादेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाप्त कर दिया है, तब से इधर-उधर की भ्रामक चर्चाएं चारों तरफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप 5 अप्रैल का इन्तजार करिये, कहीं कोई भी न तो नकल करने पायेगा और न तो कोई नकल कराने की जुर्रत करेगा।

श्री अध्यक्ष–

पर्याप्त जवाब आने के बाद सूचना निरस्त की जाती है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है और कैसी स्थिति चल रही है, उससे आप अवगत ही हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो दृश्य कल देखने को मिला है उससे इस बात का अन्दाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। देवरिया जनपद में जंगल पार्टी का आतंक व्याप्त है। पशुओं की, खेर की लकड़ी की और गुड़ की तस्करी नेपाल के रास्ते चीन को हो रही है। पुलिस प्रशासन इसको रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही है और तो और पुलिस स्वयं अपराधों में शामिल हो रही है। देवरिया जनपद के खुखुन्दु थाने के एक सब-इन्सपेक्टर और दो सिपाहियों ने खुखुन्दु थाने के बरवा उपाध्याय जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, 17/18 की रात में प्रभु नाथ यादव की पत्नी उर्मिला यादव के साथ तलाशी के बहाने मकान की चहारदीवारी फांदकर घर में घुसकर बलात्कार किया। जब गांव वाले इकट्टा हुए तो पीछे से पुलिस वाले भाग निकले। दूसरे दिन जब उर्मिला यादव ने अपने परिवारजनों के साथ जाकर एस० एस० पी० से घटना बताई तब एस० एस० पी० ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन मान्यवर, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कल की ही बात है भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री श्री अत्रिदेव तिवारी धनबाद में सम्मेलन में भाग लेने गये थे तो सिन्धी कालोनी में 50-60 असामाजिक तत्वों ने चाकू, बम और कट्टों से लैस होकर सुबह 11.00 बजे दिन दहाड़े उनके घर में चहारदीवारी से घुस कर उनकी एक लड़की जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, उसके जो कुछ जेवर, कीमती कपड़े और घर में बहुमूल्य सामान था, वह सब लेकर भाग निकले। बाद में मोहल्ले वालों के सहयोग से 10 आदमी पकड़े गये। जो नामी अभियुक्त थे, वह भाग निकले। अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पायी। दूसरी घटना जिला कारागार के पास की है। वहां पर इन्द्रजीत गुप्ता और सुधीर गुप्ता ने जमीन खरीदी और उस पर

चहारदीवारी बना रहे थे उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया गया । वह जिला अस्पताल में मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं । नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

देवरिया में हत्याओं का दौर चल रहा है । यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रमुख गृह सचिव में कुछ खींचा तानी चल रही है । आधे दर्जन से ज्यादा हत्यायें हो चुकी हैं । बैतलापुर चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी की हत्या कर दी गयी । वहां के इन्सपेक्टर कोतवाली का स्थानान्तरण सी० बी० सी० आई० डी० में किया गया है । लेकिन यह स्थानान्तरण रद्द हो गया है । यहां अपराधियों की जानकारी हो गयी है कि इन्स्पेक्टर कोतवाली का ट्रांसफर हो गया है वरिष्ठ अधिकारी भी छुट्टी पर चले जाते हैं, पुलिस पैसा कमाई के काम पर लगी हुई है । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि सारे नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय ताकि देवरिया जनपद के लोगों का जनजीवन सुरक्षित रह सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप इस सूचना पर कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ठीक है, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना मैं ले रहा हूं और रंगनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना पक्ष ग्राह्यता पर रखें।

* श्री रंग नाथ–

मान्यवर, अभी विद्युत परिषद ने पावर उपभोक्ताओं पर दो माह के अग्रिम की धनराशि के बराबर स्वीकृत धनराशि जमा करने के लिये आदेश दिये हैं । अभी उन्होंने इसका कारण तो बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल ऐसा निर्णय किया था । लेकिन मान्यवर, एक साल पहले का यह निर्णय आज लागू करने का कौन सा औचित्य आ गया है । यदि ऐसा था तो पहले से उपभोक्ताओं को सूचना देनी भी आवश्यक थी । लेकिन इन्होंने एक आदेश अफरा-तफरी में जारी कर दिया । और इसमें उपभोक्ताओं को निर्देशित कर दिया कि वह दो माह के बराबर बिजली का बिल 25 मार्च तक जमा कर दें । जो उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करने गये और सुरक्षा राशि नहीं ले गये उनका बिल जमा नहीं किया गया । यह भी कर दिया गया कि पावर कनेक्शन जो घरेलू लिये गये हों उनको नहीं लिया जायेगा जो नये कनेक्शन लगेंगे उनसे अग्रिम सुरक्षा राशि ली जाएगी ।

प्रदेश का गरीब किसान बिजली का बिल न देने की वजह से जेलों की हवा खा रहा है जो किसान बिजली का बिल पहले ही नहीं दे पा रहा है वह अग्रिम धनराशि कहां से देंगे ? यह पता नहीं कहां से विद्युत अधिकारियों को सूझ गया यह सरकार इस पर विचार करे । गन्ना किसानों को यह सरकार मूल्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं दे रही है फिर किसानों से अग्रिम धनराशि लेने का कहां से औचित्य बनता है। जो अग्रिम ले रहे हैं उसको किसान कहां से देंगे ? वर्तमान सरकार गन्ने का मूल्य समय पर नहीं दे रही है जो उनको लेने का अधिकार है। वही नहीं दे रहे हैं। किसान और उपभोक्ता से एडवांस राशि लेना लोकतंत्र पर प्रहार होगा। यह सीधी डकैती डालने के बराबर होगा। इसलिये सरकार जो किसानों को सुविधा देना चाहती है वह पावर कनेक्शन के नाम पर गारण्टी की जो धनराशि ले रही है इस पर कार्य-स्थगन के रूप में चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

इससे संबंधित सूचना शिव प्रताप शुक्ल जी की है। वह इस पर बोलें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, रंगनाथ जी ने जो सवाल उठाया है विद्युत परिषद् ने एक प्रकार से जो यह टैक्स बढ़ा दिया है यह सही है प्रदेश के किसानों और उपभोक्ताओं से दो माह का अग्रिम जमा करने को कहा गया है। जो उपभोक्ता एक ही बिल के साथ इसको जमा कर रहे हैं उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से वसूलें। जो स्थिति है उसमें आज हर तबके के लोग हैं जो किसी तरह से बिजली लेकर एक बल्ब टिमटिमाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको किसी भी स्थिति में न लगायें। इस पर रोक लगनी चाहिए। यह दो महीने की जो राशि ली जा रही है इसमें रोक लगायी जाये। विद्युत परिषद् इस तरह की वसूली को स्थगित करे ऐसे निर्देश आप विद्युत परिषद् को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सूचना पर बल देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, रंगनाथ जी और शुक्ल जी ने सूचना दी है। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र शिव प्रताप शुक्ल जी ने किया। उसका औचित्य अपनी जगह पर है। बिजली बोर्ड का एकाधिकार है। उत्तर प्रदेश में एक ही कम्पनी है, जो बिजली बनाती है। जब कोई नया नियम बनाया जायेगा, तो शासन की अनुमति भी ली जायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जब यह आदेश पारित किया गया होगा, उस समय शासन से अनुमति ली गयी होगी। ऐसा सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। सभी बिजली के उपभोक्ता हैं। जब हमने बिजली ली उस समय सिक्योरिटी जमा कर दी अब नया आदेश हो गया है कि हर व्यक्ति को दो माह का एडवांस देना होगा। यह एक तरह से टैक्स है जो डामेस्टिक और पावर कनेक्शन पर लिया जायेगा।

मैं आपको ऐशबाग का एक बिल दिखाता हूं। बोर्ड का जो बिल गया है परिषद् द्वारा उसमें सिक्योरिटी की धनराशि बढ़ा दी गयी है। अब आपको इस बिल के साथ 300/- रुपये प्रति किलोवाट सिक्योरिटी की धनराशि शीघ्र जमा कर दें। बिल जमा करने का जो करेन्ट मंथ है वह 25 तारीख है। यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपने धनराशि नहीं दी तो आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। 25 तारीख को होली है। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपने यह नियम बनाया है तो कम से कम इसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। पूरे

प्रदेश के नागरिकों से संबंधित मामला है । 25 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन काटना प्रारम्भ हो जाएगा । डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के घरों में अन्धकार पैदा हो जायेगा ।

आप मद संख्या 9 को देख लें इसमें आपने दो अरब रुपया पिछले वर्ष से कम किया है । आपने यह जो काम किया है, इसकी घोषणा बजट में कर देनी चाहिए थी, जिससे हमें जानकारी होती कि प्रत्येक बिजली उपभोक्ता पर गाज गिरने वाली है । होली में पूरे प्रदेश में अन्धकार हो जायेगा । कुछ ग्रामीण अंचलों को छोड़कर सभी भाग इससे प्रभावित होंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा करके इसके ऊपर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुमति आप दे दें । वक्तव्य का आदेश आप दे सकते हैं लेकिन लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली में प्रतिपक्ष का कार्य-स्थगन प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जैसा होता है । सदन की अनुज्ञा आप देखें अगर आवश्यक संख्या में उपस्थित सदस्य सहमति दें तो आप इस पर चर्चा करा लें । मैं चाहता हूं कि आप सदन का सारा कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें । पूरे प्रदेश में इस समय अन्धकार पैदा करने की एक साजिश की गयी है । इसके साथ ही मैं इस औचित्य पर बल देता हूं ।

(एक सदस्य के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जाएं । आपकी सूचना नहीं है । आप जिद मत करिये । ऐसा पहले नहीं हुआ है अगर मैं आपको समय दे दूंगा, तो नियम टूट जायेगा । आपकी बात लिखी नहीं जायेगी ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस आर्डर को रोक देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी वरिष्ठ सदस्य हैं । इसका समाधान सरकार की ओर से न हो तो अच्छी बात नहीं होगी । गुप्त जी की बात छप जायगी तो समाचार पत्रों के जरिये प्रदेश की जनता गुमराह हो जायेगी । श्रीमन्, विद्युत परिषद् ने निर्णय लिया है और वह निर्णय कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया है । सदस्य (वितरण) ने कोई प्रेस वार्ता इस संबंध में नहीं की है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राज्य विद्युत परिषद् ने निर्णय लिया है इसलिये नीतिगत कोई मामला नहीं है । मान्यवर, सब लोग चाहते हैं कि विद्युत उत्पादन बढ़े, विद्युत वितरण बढ़े और नियंत्रण रहे लेकिन जब कुछ सुधार के काम करेंगे तो आप सहयोग के बजाय कामरोको प्रस्ताव ले आयेंगे । श्रीमन्, हम पूरी सूचना देंगे जिससे पूरे प्रदेश की जनता समझ सके कि मामला क्या है ?

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 3-1-94 में यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ता से दो माह के औसत बिल के बराबर अग्रिम उपभोग डिपाजिट लिया जाय । यह निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन लेते समय जो सिक्योरिटी जमा की जाती है वह उसके उपभोग

की वास्तविक धनराशि से कम होती है । अतः यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त करने पर भी परिषद् घाटे में रहती है । इस नयी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता के विगत 1 वर्ष के किसी 2 माह के औसत उपभोग के आधार पर यह आंकलित किया जाय कि सामान्य उपभोग का स्तर क्या है तथा यह वह धनराशि मूल सिक्योरिटी के रूप में जमा की गयी धनराशि से ज्यादा हो तो सिक्योरिटी तथा औसत उपभोग के बीच के अन्तर की धनराशि उपभोक्ता से जमा करायी जाय । यदि उसका वास्तविक उपभोग सिक्योरिटी धनराशि से कम हो तो उसे अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी होगी ।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ हम माननीय गुप्ता जी को यह बता देना चाहते हैं कि इससे केवल वही उपभोक्ता प्रभावित होंगे जिनकी बिजली का वास्तविक उपभोग उनकी सिक्योरिटी की धनराशि से ज्यादा है । ऐसे उपभोक्ताओं को भी केवल उतनी ही धनराशि अतिरिक्त जमा करनी होगी जितनी सिक्योरिटी से अधिक उनका उपभोग है ।

श्रीमन्, घरेलू एवं अघरेलू रोशनी, पंखा व पावर उपभोक्ताओं से यह धनराशि केवल उसी दशा में ली जायेगी जबकि उन्होंने वित्तीय वर्ष 1993-94 में किसी भी दो बिलों का भुगतान न किया हो । अतः नियमित तौर पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्रीमन्, माननीय गुप्त जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि होली में अंधकार हो जायेगा । श्रीमन्, यह इस वर्ष लागू नहीं होगा, नये वित्तीय वर्ष से लागू होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की । मैंने तथ्यपूर्ण आंकड़े दिये थे । हर बिल पर 300–600 रुपये जमा कराये जा रहे हैं यह पैसा न जमा करने पर बिल का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है । यह जो आदेश जारी कर दिया गया है इससे विसंगति हो गयी है । इसमें सभी लोग आ गये हैं । मेरी प्रार्थना है कि इसको स्थगित करा दें और अपने बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को बढ़ाकर घाटे की पूर्ति करें इस तरह से नये टैक्स लगाना प्रदेश के हित में नहीं है । इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नया टैक्स नहीं लगाया है जो डिफाल्टर्स हैं उनके ऊपर तो कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा ही । जो डिफाल्टर्स नहीं हैं उनसे कोई धनराशि नहीं ली जा रही है । डिफाल्टर्स पर अंकुश लगाना चाहते हैं उसमें भी आप सहयोग नहीं देना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो आदेश हुआ है इससे विद्युत उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ेगा । शासन की इस नीति के खिलाफ यह है । पूरे प्रदेश पर यह काला कानून आयद करके एक बड़ा खराब काम किया गया है जिससे प्रदेश के उद्योग व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये । किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी का नारा लगाया गया ।)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जो विषय दिया है, वह पूरे प्रदेश में जो राजस्व संग्रह अमीन हैं, जिनकी लगभग संख्या पूरे प्रदेश में 9 हजार है, वह आज पिछले 1 मार्च से प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर क्रमिक अनशन पर हैं और 22 मार्च से उन्होंने चेतावनी दिया है कि हम प्रदेश के राजस्व की वसूली के मामले में असहयोग करेंगे । यह मार्च का महीना है और सरकार का सबसे महत्वपूर्ण महीना है, उस समय पूरे प्रदेश के राजस्व संग्रह अमीन सहयोग करने के बजाय हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांगें हैं । इसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, आज जब पूरे प्रदेश में प्रति दिन डेढ़ करोड़ रु० की राजस्व की हानि हो रही है, जिससे कि हम प्रदेश की नई योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं, लेकिन प्रति दिन डेढ़ करोड़ के राजस्व की हानि हो रही है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो सरकार का राजस्व प्रभावित होगा ।

उनके संबंध में पिछले दिन तत्कालीन लखनऊ मण्डल के आयुक्त श्री के० एन० वर्मा ने रिपोर्ट दी थी, जिसे राजस्व परिषद् ने स्वीकार किया है, जिसमें कुछ ऐसी विसंगतियां हुई हैं, जिन परिस्थितियों के नाते आज उन्हें बाध्य होकर पूरे प्रदेश के संग्रह अमीनों को हड़ताल पर जाना पड़ा है । पहले संग्रह अमीनों को 6 प्रतिशत का कोटा निर्धारित था, लेकिन अब राजस्व संग्रह अमीन के पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है । मान्यवर, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में 4 लाख और मैदानी क्षेत्र में 5 लाख है, जो निश्चित रूप से व्यवहारिक नहीं है, आज इन परिस्थितियों को लेकर पूरे प्रदेश में आज 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश के राजस्व की वसूलयावी प्रभावित हो रही है । तो मैं मान्यवर, अपने इस कार्य-स्थगन के माध्यम से मांग करता हूं कि इसको आप स्वीकार करें, इससे ज्यादा और कोई लोक महत्व का विषय नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । इसके बाद डा० राम बाबू हरित, श्री सत्य प्रकाश की आगरा महानगर की अम्बेडकर पार्क व अन्य बाबा साहेब की मूर्तियों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में सूचना, श्री रंगनाथ की संजय गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल संस्थान, लखनऊ में समुचित चिकित्सा व्यवस्था न होने से उत्पन्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थिति के संबंध में सूचना, श्री राम प्रताप सिंह की शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी डी० ए० वी० ट्रेनिंग कालेज एल० टी० कानपुर को विगत सितम्बर, 1993 से आज तक वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,श्री कृष्ण कुमार नवमान की अलीगढ़ शहर में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचनाओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। अब शेष सूचनाएं जो आयी हैं, उनको निरस्त करता हूं।

अब मैं मद संख्या 8 को ले रहा हूं और बजट पर सामान्य चर्चा जो चल रही है, उसको प्रारम्भ कराता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में सूचना दी थी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी, आप बजट पर बोलियेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

बजट पर बोल लीजिये।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) †

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण फैला हुआ है। मान्यवर, सारे प्रदेश में और सारे देश में भय और आतंकवाद है।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि आज हमारे देश और प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में बसती है और उन 80 प्रतिशत गरीब लोगों का उद्यम कृषि है, लेकिन गांवों की हालत आज बदतर हो गयी है और वहां के लोगों का जीवन बहुत ही कष्टमय है और उनका जीवन सुरक्षित भी नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह एक परम्परावश प्रस्तुत किया है, उन्होंने बजट प्रस्तुत करके केवल एक परम्परा निभायी है और कुछ नहीं किया है। इन्होंने जन आकांक्षाओं की उपेक्षा की है और कुछ नहीं किया है। जिन आकांक्षाओं की उपेक्षा की है, उनकी अब पूर्ति नहीं हो सकती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर आने जाने के लिये मार्ग नहीं हैं, जिसके कारण गरीब देहात की जनता को बड़ा कष्ट होता है। मान्यवर, बाराबंकी में जिस विधान सभा क्षेत्र का

---

† दिनांक 9 मार्च, 1994 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसका प्रतिनिधित्व पहले स्वर्गीय रफी अहमद किदवई करते थे, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे । यह उनकी जन्म भूमि रही है लेकिन आज उनकी जन्म भूमि में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो गया है, यह बाराबंकी के इतिहास के लिये कलंक है । पत्रकार बन्धुओं को अपमानित किया गया है, जब से इनकी सरकार का गठन हुआ है, पत्रकारों का अपमान किया गया है। सरोज कुमार वर्मा और हरिश्चन्द्र दो पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया । यह सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को हैदरगढ़ में 4 शीशम के पेड़ काटे गये हैं और पुलिस वालों ने उसे कटवा कर बेंच लिया है और जब मैंने इसके विरोध में आवाज उठायी तो मुझे जान से मार देने की धमकी दी गयी, तो मुझे बार-बार धमकाया गया ।

(शोर)

अगर आप हल्ला मचायेंगे, तो हम आपसे ज्यादा हल्ला मचाना जानते हैं ।

(व्यवधान)

हमारे जिले के सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने सारी सड़क अपने क्षेत्र में ही बनवाया है, और किसी क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । अब आपका नहीं लिखा जायेगा । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

| × × × |

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

| × × × |

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। (कुछ कागज दिखाते हुए)

श्री अध्यक्ष–

आप सदन के पटल पर लाइये उसके बाद इसे दिखाइये।

(श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी तथा श्री बी० आर० वर्मा द्वारा एक साथ बोलते रहने से सदन में व्यवधान बना रहा और कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक है मैं इसे 2-3-94 से ही आपके संज्ञान में लाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, कल ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं, माननीय तिवारी जी, आसन ग्रहण करें।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, क्षेत्र की जनता मुझे इसीलिये चुनकर यहां भेजती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप मनमाने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप कृपा कर आसन ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आप एक माननीय सदस्य का अधिकार छीन रहे हैं, माननीय वर्मा जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह देश ऐसी स्थिति में पहुंचा है, ऐसे आर्थिक संकट में पहुंचा हुआ है कि पूरे केन्द्रीय बजट की बाह्य देनदारियां और आन्तरिक देनदारियों में करीब 60 प्रतिशत बजट का खर्च करना पड़ रहा है और 40 प्रतिशत में पूरे मुल्क का कारोबार चलाना पड़ रहा है। इस भयावह स्थिति में 6 दिसम्बर की जो घटना हुई उससे इस देश और प्रदेश का कई हजार रुपया स्वाहा हो गया और यह देश और प्रदेश जो आगे बढ़ना चाहिए था वह बीसों साल पीछे पहुंच गया। ऐसे समय में जब इस सरकार ने बागडोर

सम्भाली तो उनको जो विरासत में मिला वह खजाना खाली मिला । 31 दिसम्बर को जो घाटा हुआ इस सरकार का 333.25 करोड़ रुपये घाटे के रूप मे मिला इसके बावजूद इस सरकार में जो संसाधन हैं जैसे राजस्व मद में 12,891.42, पूंजी ऋणों से 5108.53 करोड़ रुपये और ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से 222.87 करोड़ इस तरह से कुल अट्ठारह हजार दो सौ बाइस प्वाइन्ट बयासी करोड़ रुपये का यह प्राप्तियों का बजट पेश किया है इसमें जो खर्चा है वह पूंजीगत मद में 19,592.31 करोड़ रुपये है । इस तरह से घाटे को कम करने के लिये इस वर्ष लोक लेखा को लगाने के बाद 215.65 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा । मान्यवर, यह आज तक जितने घाटे के बजट पेश होते थे, उसमें यह बहुत ही कम घाटे का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । इसके लिये विकास का जो लक्ष्य होता है, उसके प्लान में 2593.81 करोड़ और नान प्लान में 12,269.33 करोड़ रुपये रखा गया है । जो वित्तीय वर्ष के सापेक्ष में 213.81 करोड़ रुपये अधिक है । और नान प्लान में 1476.60 करोड़ रुपये अधिक है । मान्यवर, यह जो पैसा अधिक है इसको जो खर्च किया जा रहा है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि बजट का 70 फीसदी धन गांव की तरफ खर्च होगा, परन्तु जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा उससे उनको वह चीज नजर नहीं आती है ।

ग्रामीण योजनाओं में पिछले साल के सापेक्ष में 96.22 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया जा रहा है । अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में 94.83 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया जा रहा है । इस तरह से लघु सिंचाई में 45.26 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया जा रहा है । ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रमों में 26.58 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया जा रहा है । मान्यवर, इसी तरह से परिवार कल्याण में 27.57 करोड़ रुपये, मृदा तथा जल संरक्षण में 10.27 करोड़ रुपये, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम में 10.00 करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा में 6.99 करोड़ रुपये, कृषि क्रम में 5.93 करोड़ रुपये खेलकूद में 4.06 करोड़ रुपये.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

पिछले वर्ष के सापेक्ष में ज्यादा रखा गया है । विकास के लिये पूंजीगत व्ययों में ज्यादा खर्च हो रहा है, पिछले सालों के मुकाबले । मान्यवर, इस वृद्धि से गांवों में सड़कें बनेंगी, सिंचाई के साधन बनेंगे, पहाड़ों का विकास होगा । मान्यवर, इसी तरह से एस० सी०/एस० टी०, ओ० बी० सी० के लिये अधिक धन की बात करके इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह पिछड़ों, दलितों और माइनारिटीज की सरकार है । मान्यवर, इसी तरह से यह जो आज तक देशी ऋण का धन फंसा हुआ है, उस ऋण के मकड़ जाल से बचने के लिये अबकी बार हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अधिक धन रखा है । पिछले साल 1993-94 के बजट में 1757.94 करोड़ रुपये का प्राविधान था । अबकी साल ऋणों की अदायगी में 2251.30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । जो पिछले साल के सापेक्ष में 493.36 करोड़ रुपये अधिक है ।

मान्यवर, जो इस बजट को देखने से परिलक्षित होता है, उसमें यह कहना चाहता हूं कि जो कृषि के ऊपर बोझ आ रहा है, इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उससे यह प्रयास किया जा रहा है कि कृषि के ऊपर बोझ को कम किया जाय और पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाय । मान्यवर, इसके लिये जो परम्परागत रूप से हस्तशिल्प और दस्तकार थे, उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रों की स्थापना कर, 750 रुपये मानदेय की व्यवस्था करके, और उन्हें 9 महीने का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है । इसी तरह से जरी-जारदोरी के जो कुटीर उद्योग थे उसके लिये भी विशेष व्यवस्था की गयी है । इसी तरह से कानपुर में जाजमऊ में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की बात है जिससे निर्यात का बढ़ावा मिल सकेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक बजट है, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने का काम इस बजट से परिलक्षित होता है, इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, किसी भी प्रकार से इसमें विकास की बात नहीं हुई है । इसमें कुल प्राप्तियां 18,222 करोड़ रुपये है, जबकि 333 करोड़ रुपये का घाटा है उस घाटे को पूरा करने के लिये कहीं पर कोई साधन नहीं बताये गये हैं । मान्यवर, विकास की बात की जाती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस विकास के लिये विकास जरूरी होता है ।

(इस समय 4 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सत्य प्रकाश विकल पीठासीन हुए)

श्री सतीश भाटिया–

क्या बलात्कार की घटनाओं में विकास की बात कही जा सकती है, क्या अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ व्यभिचार करके विकास की बात कही जा सकती है । मान्यवर, लखनऊ राजधानी है। यहां पर नगर महापालिकाएं हैं और इसके अन्तर्गत 120 गांव आते हैं लेकिन उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है । न सड़क है, न पेयजल की सुविधा है, न बिजली की व्यवस्था है इस बजट के अन्दर । लखनऊ कैपिटल होने के नाते इसे विशेष सुविधा इस बजट में मिलनी चाहिए थी । मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सेल्स टैक्स समाप्त करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी लेकिन उस बात का कहीं भी संकेत इस बजट में नहीं है इसका उल्लेख बजट में किया जाना चाहिए था और बिना प्रस्ताव लाये सदन में सेल्स टैक्स की समाप्ति की घोषणा करना बिल्कुल गलत होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, 1991-92 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लखनऊ को पांच सौ हैण्ड पम्प एवं 30 ट्यूबवेल मिले लेकित 1992-93 में बिल्कुल नहीं मिले । इस बजट के अन्दर कम से कम एक हजार हैण्ड पम्प एवं 20 ट्यूबवेल मिलने चाहिए ताकि पेयजल की समस्या में सुधार आ सके । मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन के लिये, लखनऊ में, केवल 450 लोगों को वर्ष 1994-95 में देने के लिये तय किया गया है जबकि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं । 18,000 रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है जो कि कहुत कम् है जबकि एप्लीकेशन ज्यादा हैं । मान्यवर, राशन कार्ड हजारों की संख्या में बने हुए हैं लेकिन राशन ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपकी बहुत बातें आ गयी हैं ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, आलमबाग क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है उसके लिये भी कोई प्राविधान इसमें होना चाहिए था लेकिन इस बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आलमबाग क्षेत्र में सीवर लाइन बनाने के लिये धन उपलब्ध किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सतीश भाटिया–

इसी के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं बजट का समर्थन करते हुए अपने कानपुर देहात की कुछ समस्यांओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उसे भी बजट में शामिल किया जायेगा । मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण विषय सिंचाई का है । सिंचाई के संबंध में माननीय नेता सदन ने बजट में प्रस्ताव किया है कि तीन साल में हर खेत को पानी दिया जायेगा । मान्यवर, यहां पर हमारे क्षेत्र में घाटमपुर रजबहा एक नहर निकलती है जो पचास किलोमीटर लम्बी है और आज वर्षों से उस नहर में पानी नहीं आता है जिससे सिंचाई के संबंध में किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । मान्यवर, एक सुझाव पेश है लिखकर भी दिया है, हमारे यहां धरमपुर के पास एक रिंध नदी बगल में है जो एक फर्लांग की दूरी पर पड़ती है उससे लिफ्ट लगाकर नहर में पानी डाला जाये तो टेल तक पानी पहुंचाया जा सकता है । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र जमुना नदी के किनारे का क्षेत्र है और वहां ऊंची-नीची जमीन है । ज्यादातर गांवों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं । सरकारी ट्यूबवेल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि इस बजट में कुछ सरकारी ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र में दिये जायें जिससे सिंचाई की सुविधा हो सके । एक अन्य बड़ी अहम समस्या हमारे क्षेत्र में है । हमारा क्षेत्र कानपुर महानगर से लगा हुआ है, हमारे यहां 100 गांव ऐसे हैं, जहां विद्युत आपूर्ति में बड़ी बाधा होती है क्योंकि बहुत लम्बे फीडर बने हुए हैं और जो सब स्टेशन इन 100 -100 गांवों को बिजली सप्लाई करते हैं, वह सुचारु रूप से इन गांवों को

बिजली नहीं दे पाते । बहुत पहले 10 वर्ष पहले एक विद्युत सब स्टेशन 33 के० वी० का बनना तय हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं चाहूंगा कि इसको भी इस बजट में सम्मिलित किया जाय । कुछ और भी समस्यायें घाटमपुर क्षेत्र में हैं । कुछ सम्पर्क मार्ग अधूरे पड़े हुए हैं । एक घाटमपुर–कुरियां मार्ग है, जो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, एक महत्वपूर्ण मार्ग भीतरगांव–जहानाबाद है जिसके न बनने से लगभग 200 गांव प्रभावित होते हैं । मैं चाहूंगा कि इस बजट में इन मार्गों को भी शामिल किया जाय और बनवाया जाय ।

विभागीय बजट प्रस्तुत होने से पूर्व बजट साहित्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल विभागीय बजट प्रस्तुत होने जा रहा है और 4 दिन पहले उसका साहित्य मिल जाना चाहिए । लेकिन माननीय सदस्यों को अभी तक साहित्य मिल नहीं पाया है । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, साहित्य समय पर उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस ओर देख लिया जायेगा कि साहित्य समय से मिल जाय ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझ पर कृपा की और बोलने के लिये समय दिया। यह जो 94-95 का बजट भाषण है, जिसे माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, यह आद्योपरान्त पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति जिसके अन्दर सकारात्मक दृष्टि हो, आशावादी दृष्टिकोण होगा, वह इसकी प्रशंसा अवश्य करेगा और सराहना करेगा । मान्यवर, आशावादी दृष्टिकोण का आशय यही है कि मान लीजिये एक गिलास आधा भरा हुआ है । जब गिलास आधा भरा हुआ है तो एक आशावादी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उसे देखेगा और कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन जब एक निराशावादी व्यक्ति उसे देखेगा तो वह अपने दृष्टिकोण से उसे कहेगा कि आधा गिलास खाली है । आधा गिलास भरा देखने वाले व्यक्ति के हिसाब से यह बजट क्रान्तिकारी है, एक अच्छा बजट है ।

मान्यवर, संस्कृत के उद्भट विद्वान कालीदास जी ने अपने इस प्रसिद्ध श्लोक द्वारा आशावादी दृष्टिकोण की व्याख्या इस प्रकार की है –

"अनन्त रत्नप्रभवस्य यस्य,
हिमं न सौभाग्य विलोपिजातम् ।
एकोहि दोषो गुण सन्निपाते,
निमजन्तीन्दौः किरणेषुवांकः ॥"

अर्थात् वह हिमालय पर्वत जिसकी गोद में अनन्त रत्न भरे पड़े हैं, दोष ढूंढने वाले लोग उसमें भी दोष ढूंढते हैं और कहते हैं कि उसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं। यदि हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित न हों और गंगोत्री तथा जमुनोत्री से गंगा और यमुना की धारा बनकर जमीन पर न आयें तो हमारे जीवन की धारा ही सूख जाये।

एकोहि दोषो गुण सन्निपाते,

निमजज्तीन्दोः किरणेषुवांकः ॥

अर्थात्, वह आगे कहते हैं कि गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लुप्त हो जाता है। श्रीमन्, इसी दृष्टि से इस बजट को देखना चाहिए। यह समतामूलक बजट है मान्यवर, यह क्रान्तिकारी बजट है, सामाजिक परिवर्तन का बजट है। हमारी सरकार का नारा है—

"सामाजिक परिवर्तन की लहर,

चली हर गांव, हर शहर।"

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जो यह उद्घोष किया है, इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश में छोटे किसानों के हितों को पूरा संरक्षण देने के उद्देश्य से "खलिहान दुर्घटना बीमा" की अनूठी योजना दिसम्बर, 1993 से लागू किया है, यह खुशी की बात है। मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण को कि वर्ष 1974 से सुनता आ रहा हूं, बीस वर्ष व्यतीत हो गये हैं इस पर चर्चा तो होती रही पर इसके निदान के संबंध में ध्यान नहीं दिया गया कि इसका निदान क्या हो, कोई न विचार किया और न ही कोई निर्णय लिया। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया है वह बधाई के पात्र हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र है; साधुवाद के पात्र हैं। हमारी सरकार ने जो खलिहान दुर्घटना बीमा की अनूठी योजना को घोषित किया है उससे किसानों और गरीबों को राहत मिलेगी।

गर्मी के मौसम में मई-जून, में खलिहानों में आग लग जाती है, खलिहान साफ हो जाते हैं, एक दाना तक नहीं बचता है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। डंकल प्रस्ताव के संबंध में हमारी सरकार ने किसानों के हितों के प्रतिकूल डंकल प्रस्ताव का विरोध किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से विशेषकर अम्बेडकर गांवों में खड़न्जा व नालियों के निर्माण हेतु 1.39.32 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है, ऊर्जा पर कुल योजना परिव्यय का लगभग 33 प्रतिशत रखा गया है जो 1588.62 करोड़ रुपया है, 1993 तक 390 अम्बेडकर गांव जोड़े जा चुके हैं, 1993-94 में 61 गांव प्रस्तावित हैं तथा 1994-95 में 70 गांवों को जोड़े जाने का लक्ष्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु 54 नगर चुने गये हैं, शुष्क शौचालय बनाने पर पूर्णतया रोक लगायी गयी है। ऐसे विकास खण्डों में जहां एक भी बालिका माध्यमिक विद्यालय नहीं है,

(इस समय 4 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

प्राथमिकता के आधार पर बालिका विद्यालय की स्थापना की जायेगी। शान्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये 5000 कान्स्टेबिल की भर्ती की जायेगी। जिला मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिले के बाहर, प्रदेश के अन्दर समाचार-संकलन हेतु दो हजार किलोमीटर बस यात्रा की

सुविधा दी जायेगी । भारतरत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था— "एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए यदि समाज के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव अन्य भागों में भी पड़ सके इसके लिये साधन होने चाहिए । आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना से सम्पन्न होता है । इन सबका वितरण सबके द्वारा, सबके हित में होना चाहिए । मान्यवर, जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है वह इंसानियत का बजट है, मानवतावादी बजट है । इंसानियत की एक-एक भावना व जज्बात संकलित हैं, इसी के परिपेक्ष्य में मैं दो बातें कहते हुए इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं ।

"नूर बनके न चमके वह रोशनी क्या है,
अंधेरियां न मिटा दे वह फुलझड़ी क्या है ।
किसी के काम न आये वह जिंदगी क्या है,
किसी का दर्द न जाने वह आदमी क्या है ।।"

माननीय मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रशंसायुक्त बजट है ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सदन का, माननीय सभी सदस्यों का, नेताओं का और विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल का जो इस समय सदन में नहीं हैं । उत्तर प्रदेश के विकास के लिये वर्ष 1994-95 को जो बजट प्रस्तुत किया गया है उनकी दृष्टि से विकास के लिये क्या-क्या कमजोरियां रह गयी हैं, उसके संबंध में अपने-अपने सुझाव दिये, उन सभी का हम स्वागत करते हैं । अच्छा होता, यदि आज यहां पर माननीय नेता विरोधी दल रहते ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि जब नेता सदन भाषण हेतु खड़े होते हैं तो नेता विरोधी दल उपस्थित रहते हैं, यदि किसी कारणवश वह न रहें तो उप नेता विरोधी दल रहते हैं । वह भी उपस्थित नहीं हैं । इससे लगता है कि बी० जे० पी० की न रुचि विकास में है, न गति में है । इनकी रुचि तो केवल तोड़ने व मरोड़ने में ही रहती है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी की कितनी रुचि है, इसे सब जानते हैं । बी० जे० पी० की पूरी रुचि है और हमारे दल के पूरे सदस्य बैठे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बड़े जोर देकर कई सवालों का उत्तर हमसे चाहा था । परन्तु वह आज किसी वजह से यहां नहीं हैं । फिर कभी समय आयेगा, तो उनको उत्तर दे दिया जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी माननीय सदस्यों ने जो कुछ बजट के विरोध में कहा, उन्होंने कोई ठोस बात नहीं कही और न ही नेता विरोधी दल ने कही । माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । उन्होंने कहा कि विकास राजनैतिक मुद्दा नहीं है । अच्छी बात है, हम सभी इसको स्वीकार करते हैं । मान्यवर, विकास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है । विकास के लिये अच्छी योजनायें होनी चाहिए, अच्छा सुझाव है । हमने तो योजनायें बनायी हैं ।

योजनाओं की सफलता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की बात उन्होंने कही है, इसके लिये हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में किया है । संसाधनों को जुटाने के लिये सरकार पूरा प्रयास कर रही है । नॉन-प्लान पर खर्चे की बात कही गयी । हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फिजूलखर्ची रुके । योजना आयोग के समक्ष भी हमने इस बात को रखा है और संकल्प लिया है कि फिजूलखर्ची को रोकेंगे । जहां तक प्रदेश के विकास बैंकिंग क्रेडिट का अनुपात है, अभी रिजर्व बैंक के गर्वनर यहां आये थे, उनके सामने भी हमने इसे रखा है । रोजगार सृजन के लिये लघु कुटीर उद्योग धन्धों को हम प्रोत्साहन देंगे । हमें खुशी है कि नेता विरोधी दल ने हमारे बजट को पूरी तरह से पढ़ा है और मैं समझता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा है । हो सकता है अब उन पर श्री बदन सिंह जी का असर पड़ने लग गया है । वही सारी बातें इस बजट में हैं। हम यही चाहते हैं कि लघु उद्योग, छोटे उद्योग व मझोले उद्योग के आधार पर प्रदेश का विकास करते हुए इस प्रदेश की बेरोजगारी को मिटायें ।

जहां तक राजनैतिक सवाल है, प्रदेश का विकास बीच में रुका है । मत प्राप्त करने के लिये और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 6 दिसम्बर की घटना हुई । जिससे प्रदेश का विकास रुका । कितनी आगजनी हुई, हत्यायें हुई और पूरे देश का माहौल बिगड़ा । लगभग 2 अरब का नुकसान देश को हुआ है । उसकी चपेट में चाहे उत्तर प्रदेश में कानपुर हो चाहे बम्बई या कलकत्ता हो सब आये । उसका असर उत्तर प्रदेश के विकास में पड़ा । हम छद्म की राजनीति नहीं करते । हम चाहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल और उनके साथी यह समझें कि उत्तर प्रदेश का साम्प्रदायिकता से जो नुकसान हुआ है उसके लिये जिम्मेदार हम नहीं हैं । लेकिन जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश हमें मिला है उसमें पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति करके नहीं । आम जनता का दुखदर्द हमने देखा है, उस भावना को लेकर हमने उत्तर प्रदेश के 6 प्रतिशत के विकास की बात हमने कही है । हमारा पूरा प्रयास है कि 6 प्रतिशत की विकास दर पर हम पहुंचेंगे ।

जहां तक गांव और खेती के विकास का सवाल है उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत योजना नहीं है । मेरे पास नेता विरोधी दल के सामने आंकड़े रखने के लिये हैं लेकिन समय कम है मैं उनको पढ़ने में समय नहीं लूंगा । लेकिन मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं 70.8 प्रतिशत गांवों और खेती की योजनाओं में हमारा बजट जायेगा । उन्होंने 52 प्रतिशत कैसे कह दिया मुझे पता नहीं है । गांवों में सड़कों पर, बिजली पर, प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों पर जो खर्च होगा या अस्पतालों पर जो खर्च होगा वह कुल मिला कर योजना का 70.8 प्रतिशत खर्च करने का हमारे बजट में प्राविधान है । नेता विरोधी दल और उनके पार्टी के लोगों को इसमें कोई शकसुबहा नहीं होना चाहिए । इसी को लेकर हम 10वें वित्त आयोग के पास जा रहे हैं ।

जहां तक रोजगार की तरफ कार्यक्रमों की बात है बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाय यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हम हल करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा 47 सौ 62 करोड़ की योजना आयी है तो उसमें 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखें तो 42 सौ 62 करोड़ होती है। मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 में वार्षिक योजना 3892 करोड़ थी, 1992-93 में 4035 करोड़ थी यानी केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1993-94 में यह 4250 करोड़ की योजना थी जो 5 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1994-95 में 4762 करोड़ की योजना हमें बहुत प्रयास के बाद केन्द्र सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद दी है। तो इस प्रकार 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपके समय में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस समय 4762 करोड़ है जो 12 प्रतिशत बनता है। हम जानते हैं इसके लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने हैं, कई कदम हमने उठाये हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बैठी है संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में। व्यय बचत आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। तमाम संसाधन जुटाने के लिये टैक्स लगाये हैं जिससे हम 40 करोड़ से 50 करोड़ तक के संसाधन जुटायेंगे इस तरह से और भी संसाधन जुटाने का प्रयास सरकार कर रही है।

लोक लेखा से 1153 करोड़ रुपया निकाला गया और बैलेंस करेन्ट रेवेन्यू 334 करोड़ बताया। उन्होंने कहा यह पहली बार किया गया है। इस प्रकार 1702 करोड़ का घाटा बताया। तो यह पहली बार नहीं हुआ है। यह अनेकों बार हुआ है शायद उनकी जानकारी नहीं है। 1992-93 में बजट अनुमान में भी लोक लेखा की 868 करोड़ रु० की शुद्ध प्राप्ति को हिसाब में लेकर ही वर्ष के अन्त में शेष का आकलन किया गया।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी लोक लेखा को हिसाब में लेकर ही वर्ष का घाटा अथवा बचत का आंकलन किया जाता है। वर्ष 1989-90 में 1814 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति थी। इस प्रकार घाटे के आंकलन किये गये। तो पहली बार लोक लेखा से यह नहीं दिखाया गया है। यह हर बजट में और हर सरकार में प्राविधान किया है।

अब हमारी प्राथमिकतायें हैं, उन्होंने पूछा था, तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र और खेती की है और उसके साथ ही साथ हमारी प्राथमिकताएं जिनके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था सारे गांवों की सिंचाई, प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण स्वास्थ सेवाएं, स्वच्छ पेयजल आदि की हैं जिनके बारे में पूरे बजट में आंकड़े दिये गये हैं जिनको हम देख सकते हैं, और हम बता सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा। इस प्रकार 70.8 प्रतिशत बजट गांव के लिये प्राविधान किया है और यह निर्णय सदन की भावना को देख कर लिया है। मान्यवर, सड़क और सिंचाई के बारे में माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है उसको देखते हुए फैसला किया है, जो बजट में रखा है उसके अलावा, यदि जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी और मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन सहमत है और मुझे विश्वास है कि समय पर सिंचाई हो सकेगी।

मान्यवर, नेता विरोधी दल की तरफ से कहा गया कि चीनी मिलें प्रयास करके उन्होंने स्वीकृत कराया था लेकिन हमने देखा तो कहीं भी एक भी चीनी मिल उनकी सरकार में स्वीकृत नहीं हुई थी।

जैसे ही हम आये तो 11 चीनी मिलों को लगाने की स्वीकृति दे दिया है और इसकी स्वीकृति केन्द्र से मिल गयी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 16-25 और चीनी मिलें यहां लगें ।

मान्यवर, जहां तक गन्ना कीमत का सवाल है तो साढ़े चार रुपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ाया और इस प्रकार कुल मिलाकर 12 रुपये गन्ने की कीमत बढ़ी है । हमने कोशिश किया है गुड़ पर से नियंत्रण हटाकर 75-80 रुपये से अधिक कीमत गन्ने की किसानों को मिले । यह सब स्वीकार करते हैं लेकिन इसके बावजूद वह कहते हैं कि अलीगढ़ में गन्ना किसानों को कीमत नहीं मिली । बहरहाल इस सरकार ने गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा देने का प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, उत्तराखण्ड का सवाल है इनके लिये विशेष निधि का प्राविधान किया गया है, 48 करोड़ रुपये पूर्वांचल के लिये और 12 करोड़ रुपये बुन्देलखण्ड के लिये किया है, यदि संसाधन जुटाये तो और बढ़ाने के हम पक्ष में हैं ।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखण्ड के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि 2 मिनट के अन्दर उत्तरांचल का प्रस्ताव पास कर दें तो यह कैसे हो सकता है ? इसलिये इस संबंध में उत्तराखण्ड के जितने जन प्रतिनिधि हैं उनकी एक कमेटी बनायी है, इसके अलावा प्रदेश के जितने नेता है वे अपने नेताओं को सुझाव देते हैं जैसे उत्तराखंड के विधायक श्री प्रमोद तिवारी से मिलते हैं और वे हमसे मिल चुके हैं कि यदि उत्तराखण्ड की स्थापना हो तो कहां से रेवेन्यू आये और कहां राजधानी बने और कितना क्षेत्र हो, कितनी विधान सभा की सीट्स हों और कितनी पार्लियामेंट की सीटें हों । इस पर एक समिति बैठी है । माननीय रमाशंकर कौशिक जो हमारे नेता और और विधान परिषद् में नेता सदन, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी है और कई बार हमारी यह कमेटी मौके पर भी गयी है । इस कमेटी की पूरी रिपोर्ट आने वाली है और इसी सत्र में हम उत्तराखण्ड सूबा बनाने के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे ।

पर्यटन विकास के लिये 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है । 10 मिनी जल विद्युत परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, जिन पर कार्य चल रहा है और 21 पर कार्यवाही प्रारम्भ करने की तैयारी की जा रही है । उत्तराखण्ड में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये चालू वर्ष में 40 करोड़ रुपये की धनराशि के स्थान पर इस वर्ष 51 करोड़ के परिव्यय का प्राविधान किया गया है । इस तरह उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये हम कटिबद्ध हैं, लेकिन उसके साथ-साथ तब तक इसका विकास अवरुद्ध न हो, हमारा यह प्रयास है कि वहां का अधिक से अधिक विकास किया जाए ।

बिजली के बारे में जो कहा जाता है, 80 सैकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटा बिजली दी जाती है । आप लोग सामने हैं, जिनके क्षेत्र में न जा रही हो, वह लिखकर मुझे दे देंगे तो मैं उसे दिखवा लूंगा और पहुंचायेंगे । लेकिन यह है कि कहीं-कहीं 12 घंटा है, कहीं 13 घंटा है और कहीं ज्यादातर 16 घंटा और कहीं-कहीं 17 घंटा और 20 घंटा भी बिजली जाती है । लेकिन 80 सैकड़ा गांवों में 16 घंटा बिजली जा रही है । दिनांक 1-12-93 से 28-2-94 तक हमारे कार्यकाल में इस बार 4978 मिलियन यूनिट यानी 14 प्रतिशत अधिक का विद्युत उत्पादन हुआ है । आपकी सरकार के समय में इसी समय में दिनांक 1-12-91 से 28-2-92 तक 4375 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ था । यानी इस समय जो हो रहा है, उससे कम था । हमारे पूर्व शासनकाल में यह उसी समय में यानी 1-12-90 से 28-2-91 तक 5045 मि०

यूनिट्स का बिजली उत्पादन था, जो आपके समय में तब भी अच्छा था । जो पी० एल० एफ० है वह इस समय 1-12-93 से 28-2-94 तक का 54.4 है, जो आपके समय में 1-12-91 से 28-2-92 की समयावधि में 50.86 था । आपके समय से हमारा ज्यादा है । हम निरन्तर अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की हमारी नीति है । हम इसके लिये पूरा प्रयास करेंगे और हमारी सरकार का मानना है कि बिजली का संकट तभी दूर हो सकता है, जब विद्युत उत्पादन का निजी क्षेत्र को भी मौका दिया जाए ।

आपने कहा 'आपके संविधान', यह संविधान मेरा नहीं है, सबका है, हम सबका है । अब बदलाव आया है, यह आपका और मेरा नहीं, यह सबका संविधान है और इसी संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा है । उन्होंने भी शपथ ली है और हमने भी शपथ ली है । हम उसका, अपनी शपथ का पूरी तरह पालन कर रहे हैं । यह हम आप पर छोड़ते हैं कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं ? लेकिन संविधान में अल्पसंख्यकों को जो दिया गया है जो सुविधाएं दी गयी हैं, अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत यह जरूर घोषणा करना चाहता हूं । संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रबन्ध करने की पूरी आजादी दी गयी है और हमने अनेक बार कहा है, पुनः कहते हैं कि हम संविधान और न्यायालय का आदर करते हैं और हो सकता है कि आपका मत हमसे भिन्न हो । हमने अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिये अभी कुछ दिन पूर्व निर्णय लिये हैं और उसकी घोषणा आज हम इस सदन में करते हैं ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

दूसरा जैसा कि हमने चिकित्सा विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिलों में वर्तमान दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिये निर्णय लिया गया है । इस वर्ष से उत्तर प्रदेश के सभी राज्य मेडिकल कालेज तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार कॉलेजवार तथा विषयवार आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी । यह भी व्यवस्था की गयी है कि सामान्य व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अलग-अलग वरीयता सूची बनायी जायेगी तथा उसके आधार पर अलग-अलग वरीयता एवं विकल्प के अनुसार कालेज एवं विषय का आवंटन किया जायेगा । यह पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये प्राविधान किया गया है । उनको जो न्याय अभी तक नहीं मिल पाता था वह दिया गया है । इसी तरह से बिक्रीकर का सवाल है । मुझे पता नहीं है कि बी० जे० पी० के लोग क्यों घबरा रहे हैं ? बिक्रीकर के बारे में रोजाना सवाल करते हैं । हम पहले भी कह चुके हैं कि बिक्रीकर समाप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश के राजस्व में कमी नहीं आने देंगे । हमने पहले भी कहा है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी कह चुके हैं । उसके बाद भी आपको सन्तोष नहीं हुआ ।

हमने जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं । इस संबंध में प्रक्रिया शुरू हो गयी है । पहले दिन ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था 3/7 की धारा जो लागू न करने का । इसलिये अब हम पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 की कार्यवाही वास्तव में व्यापारी वर्ग के उत्पीड़न एवं अपमान की कार्यवाही बनकर रह गयी है तथा अन्य कोई उद्देश्य इससे प्राप्त नहीं होता । इसलिये हमने पहले ही दिन यह निर्णय ले लिया था कि इस अधिनियम में अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं

किया जायेगा । इसी क्रम में अब हम घोषणा करते हैं कि विभिन्न अदालतों में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के लम्बित मुकदमें वापस ले लिये जायेंगे ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

दूसरी बात जो आप सेल्स टैक्स के बारे में कह रहे थे । उस संबंध में यह बताना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स समाप्त करने की कार्यवाही शुरू हो गयी है । उद्योग व्यापार मण्डल की तीन मांगें स्वीकार कर चुके हैं और उनसे 6 महीने का वादा किया था 4 जून को समय पूरा हो जायेगा । उससे पहले सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जायेगा । आपने कभी भी उद्योग व्यापार मण्डल से बात की । हमने उनसे वादा किया। हम वोट की राजनीति नहीं करते । अभी माननीय किरन पाल सिंह जी कुछ कहना चाहते थे । बाद में कहूंगा पहले यह बात कह लूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं सहमत नहीं हूं कि धारा 3/7 समाप्त कर दिया गया है । इसमें लम्बित मामले वापस हो गये हैं, या और मामले नहीं लिये जा रहे है । आप की किसान, मजदूरों की सरकार नहीं हैं, व्यापारियों की ही सरकार है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

एक और घोषणा कर दूं उसके बाद बताऊंगा । छोटे-छोटे व्यापारी जिनका वार्षिक कर योग्य क्रय विक्रय 10 लाख रुपये तक है के विरुद्ध 1993-94 तक के सभी लम्बित कर निर्धारण के मामले (जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर) व्यापारियों द्वारा दाखिल नक्शे के अनुसार स्वीकार कर लिये जायेंगे । इससे 90 प्रतिशत व्यापारियों को अधिक लाभ होगा तथा अधिकांश पुराने मामलों का निस्तारण हो जायेगा । जहां तक माननीय किरन पाल जी चिन्तित हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि शायद आप भूल गये चौधरी साहब के भाषण टेप होंगे उन्होंने कहा था कि लोग गलत समझते हैं कि हम किसान के हिमायती नहीं हैं । हम किसान की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और उस पैदावार से शहरों को मालामाल बनाना चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि हम शहरों और गांवों के बीच दूरी रखना चाहते हैं और हम लोग व्यापारियों और शहर के हमदर्द लोग हैं । गांव और खेती की पैदावार बढ़ाकर क्रय शक्ति बढ़ायेंगे । गांव में क्रय शक्ति बढ़ायेंगे । गांव में 80 फीसदी रहने वाले लोग हैं उनकी पैदावार बढ़ायेंगे । गांव पिछड़े हैं तो कस्बे भी पिछड़े हुए दिखाई देंगे । गांव मालदार होंगे तो शहर भी मालदार होंगे । हम कटिबद्ध हैं 70 प्रतिशत गांव के लिये किसी ने नहीं रखा है । आज जो सरकार है किसानों की सरकार है यह सरकार व्यापारियों की सरकार है ।

श्री किरनपाल सिंह–

अपराध के मुकदमें वापस लिये, मैं इसके खिलाफ हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

99 सैकड़ा से कुछ प्रतिशत फर्जी मुकदमें लड़कर छोड़े हैं । हम लोग अदालत में विश्वास करते हैं । आपकी बगल में बैठे जो लोग हैं वह नहीं करते हैं । इन्होंने व्यापारियों को धोखा दिया है ।

(मेजें थपथपाई गई)

हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है । जहां हम किसानों को प्राथमिकता देंगे वहीं हम व्यापारियों को भी उपेक्षित नहीं करेंगे । सेल्स टैक्स खत्म करेंगे तो किसानों को लाभ होगा । आप देखेंगे 90 फी सैकड़ा जब व्यापारियों को लाभ होगा तो उसकी जगह किसान भाइयों से जो बिक्रीकर लेते थे वह दिया जाता था, गरीबों पर भार पड़ता था, वह नहीं पड़ेगा । हम व्यापारियों का ही लाभ नहीं कर रहे हैं पूरी जनता का लाभ करते हैं । राम मनोहर लोहिया जी पहले नेता थे जिन्होंने बिक्रीकर के लिये डी० एस० ओ० दफ्तर पर धरना दिया । आपने धोखा देकर व्यापारियों का वोट लिया है हमने वोट नहीं लिया है जब [illegible] में आये तब हमने कहा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे । यह सरकार इंसाफ करने वाली सरकार है ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मुझे विश्वास है आप लोग सदन में दलगत भावना से ऊपर उठकर सहयोग करेंगे और हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा । इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

(मेजें थपथपाई गई)

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं । जन-कल्याण की योजना इन्होंने लागू की है गांव के लिये धन दिया है मैं बोलता तो कुछ और सुझाव देता । कृषि पर योजना व्यय है वह गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कम है । वह गत वर्ष 29.4 करोड़ था अब 24.9 करोड़ है । मेरा कहना है कृषि पर निधि स्थापित की है अच्छा है । कृषि अनुसंधान महाविद्यालय बना है डंकल का विषय है शोध जरूरी है कृषि पर योजना व्यय गत वर्ष की उपेक्षा कम है । यह किस तरह से होगा, आप इसका जरा उत्तर देंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो बात श्री किरन पाल सिंह जी ने कही है और इसलिये मैंने आपकी अनुमति ले ली है । कृषि योजना पर अगर कम भी होगा तो सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है । इस संबंध में मैंने वायदा किया है कि तीन साल के अन्दर पूरी जमीन सिंचित की जाएगी । कृषि योजना व्यय को किसी तरह से कम नहीं होने देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने धारा 3/7 का उल्लेख करते हुए हमारी पार्टी के लिये कुछ टिप्पणी की है। हमारी तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने सम्बोधन में यह अपेक्षा की थी कि 3/7 के अन्तर्गत जितने मुकदमें चल रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या नीति होगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी मे घोषणा की कि सभी मुकदमें वापस लिये जा रहे हैं । मैं इस पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपने टिप्पणी यह कर दी हम व्यापारियों को धोखा देते रहे हैं यह

टिप्पणी उचित नहीं है । 3/7 का हमने और आपने मिलकर, जब यहां बैठते थे, तबसे विरोध किया । हमने कहा था कि यह काला कानून है । जिस समय भाजपा की सरकार थी 3/7 में से 14 आइटम को हमने उसमें निकाला । मुझे खुशी होगी कि जिस तरह से हमारे लोग दिल्ली में कर रहे हैं आप भी केन्द्र सरकार को राजी करें कि धारा 3/7 कानून की धारा से बिल्कुल निकाल दी जाए । हम इसके लिये आपका सहयोग करेंगे । कानून में बहुत सी धाराएं हैं, जिनसे व्यापारियों पर अंकुश लग सकता है । मा० किरन पाल जी का मैं आदर करता हूं परन्तु वह यह समझें कि धारा 3/7 का दुरुपयोग हुआ है । फर्जी मुकदमें लगाकर, तलवार गर्दन पर लटकाकर व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना श्री हृदय नारायण की है । इसका विषय है जनपद उन्नाव में अवैध बसों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी ।

दूसरी सूचना श्री रतन पाल पवार, श्री सुरेश संगल, श्री सुधीर कुमार बालियान, श्री सुरेश चन्द्र तितोरिया की है । विषय है जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे चकबंदी कार्य में किसानों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । यह सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत की गयी है ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री श्याम देव राय चौधरी, डा० राम बाबू हरित, श्री राजेश अग्रवाल की विषय है बरेली में पुलिस कर्मियों द्वारा अनुसूचित वर्ग के एक निरपराध व्यक्ति की थाने के भीतर पीट-पीट कर मार डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश की, विषय है जनपद मुरादाबाद के कस्बा सम्भल में समुचित विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । इसमें शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है । विषय है सहारनपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में स्थापित अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजकतत्वों द्वारा खण्डित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इसमें भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

छठीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है, जो जनपद हरदोई में निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को स्पेशल कम्पोनेंट योजना का ऋण स्वीकृत कर न वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस विषय पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

इसके बाद शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह सरकार जो चल रही है वह मुद्दों के समर्थन के आधार पर चल रही है। आज माननीय कल्याण सिंह और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त नहीं हैं इसलिये विकल जी ने मौके का पूरा लाभ उठाया है और उन्होंने अपना पूरा समर्थन मा० मुख्य मंत्री जी को दिया है।

श्री रंगनाथ–

बैशाखी बनना भा०ज०पा० का काम नहीं है, कांग्रेस का काम है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज माननीय कल्याण सिंह नहीं हैं और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नहीं हैं, उनकी जगह विकल जी नेतृत्व कर रहे हैं। विकल जी ने आज सरकार को पूरा समर्थन दे दिया। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुनने की क्षमता रखिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रमोद तिवारी जी को एक बात बताना चाहता हूं कि वह तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं और विरोध का केवल नाटक करते हैं। हम और हमारी पार्टी केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करते बल्कि सरकार यदि अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ भी करेंगे। हम कोई नाटक-नौटंकी नहीं करते हैं, जो काम ठीक होगा उसकी तारीफ करेंगे और जो काम गलत होगा उसका डटकर विरोध करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह साफ हो गया कि हम सब लोग नाटक करते हैं लेकिन यह पूर्ण रूप से सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अपनी कुर्सी बचाने के लिये प्रमोद तिवारी जी नाटक कर रहे हैं। "जनसत्ता" ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गांधी जी को प्रमोद तिवारी ने अपने कार्यों द्वारा बेच दिया है। यह "जनसत्ता" की टिप्पणी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बहराइच के थाना रामगांव के ग्राम बेहटा भया में अनुसूचित जाति के परिवारों के घर जलाकर उन्हें गांव से भगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

प्राप्त सूचनानुसार श्री अनन्तराम की माता.....

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो, तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

[श्रीमती लीलावती पत्नी श्री तुलसी हरिजन निवासी ग्राम बेहटाभया, थाना रामगांव, जनपद बहराइच ने दिनांक 6-1-94 को थाना रामगांव में लिखित सूचना इस आशय की दी थी कि कल दिनांक 5-1-94 की रात्रि में लगभग 7 बजे सर्वश्री मकबूल पुत्र मकसूद व अब्बास पुत्र मकबूल, कोईली पुत्र सफीउल्ला, बाबू पुत्र मुस्तफा निवासी बेहटाभया, थाना रामगांव ने उसका घर जला दिया । उक्त सूचना पर थाना रामगांव में मु० अ० सं० 2/94 धारा 436/504 भा० दं० वि०/3(2तीन)/एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । अभियुक्त अब्बास पुत्र मकबूल व बाबू पुत्र मुस्तफा निवासी बेहटाभया, थाना रामगांव दिनांक 11-2-94 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये और अभियुक्त मकबूल पुत्र मकसूद व कोईली पुत्र सफीउल्ला ने दिनांक 21-2-94 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जांच पूर्ण करके दिनांक 2-3-94 को आरोप-पत्र भेजे गये । जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

अनुसूचित जाति के परिवारों को गांव से भगाने तथा इधर-उधर निराश्रित होकर घूमने संबंधी आरोप जांच में असत्य पाये गये । परिवार के सभी सदस्य वर्तमान समय में गांव में ही मौजूद हैं ।]

जनपद देवरिया में अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान न होने के कारण विधान सभा के समक्ष आत्मदाह करने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

जनवरी, 1991 में निदेशक, समाज कल्याण.....

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो, तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डा० मसूद अहमद–

[उ० प्र०, लखनऊ से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ कि जनपद देवरिया में 36 प्राइमरी पाठशालायें, जो आवर्तक अनुदान पर संचालित हैं, की विस्तृत जांच कराई गयी । जांच में यह पाया गया कि पाठशालायें शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं । इन विद्यालयों में अनियमित रूप से नियुक्तियां की गयी हैं, प्रबन्धक के निकट संबंधी विद्यालय में कार्यरत हैं, कुछ अध्यापकों की जन्मतिथि/प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संदिग्ध हैं तथा कुछ विद्यालयों का पंजीकरण संदिग्ध पाया गया ।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने 17 मई, 1991 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को यह आदेश दिये कि प्रश्नगत 36 अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं के अनुदान के भुगतान किये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगा दी जाये तथा वांछित जांच आख्या संस्थावार शासन को उपलब्ध करायी जाये ताकि शासकीय धन का दुरुपयोग न हो ।

पुनः शासन द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1992 को टेलेक्स द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत अध्यापकों का वेतन नियमानुसार जांच करवाकर भुगतान करें ताकि इन अध्यापकों को कोई कठिनाई न हो सके । इसके पश्चात् जिलाधिकारी, देवरिया को निरन्तर अनुस्मारक भेजते हुए निर्देश दिये गये कि उक्त विद्यालयों की जांचोपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । अन्तिम निर्देश टेलेक्स/रेडियोग्राम द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1994 को भेजा गया जिसमें मण्डल आयुक्त, गोरखपुर को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर देय भुगतान सत्यापन उपरान्त सुनिश्चित करें ।]

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह अनुसूचित जाति के गरीब शिक्षकों का मामला है । उन्हें 18 महीने से वेतन नहीं मिला है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके रुके हुए वेतन का भुगतान करने हेतु यथाशीघ्र आदेश देने का कष्ट करें, जिससे उनका जीवन-यापन हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

यह केवल वक्तव्य है । इसमें आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ।

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24-25 पर)

संलग्न-सूची

उत्तराखण्ड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में एल० टी० वेतनक्रम (स्तानक) के 1979 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के 873 पद रिक्त हैं। इनमें से महिलाओं के एल० टी० वेतनक्रम के 96 तथा महिला प्रवक्ताओं के 111 पद रिक्त हैं। विषयवार रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :—

एल० टी० वेतनक्रम

क्र०सं०	विषय का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1	हिन्दी	232	03	235
2	सामान्य (इतिहास, भूगोल अर्थशास्त्र आदि)	463	30	493
3	अंग्रेजी	198	06	204
4	कला	90	08	98
5	व्यायाम	113	02	115
6	वाणिज्य	14	–	14
7	कृषि	11	–	11
8	सिलाई	01	–	01
9	कताई–बुनाई	01	–	01
10	विज्ञान/गणित	582	26	608
11	जीव-विज्ञान	171	07	178
12	गृह-विज्ञान	02	08	10
13	उर्दू	03	01	04
14	संगीत	01	04	05
15	संस्कृत	–	01	01
16	काष्ठकला	01	–	01
	योग ...	1883	96	1979

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रवक्ता वेतनक्रम

1	2	3	4	5
1	हिन्दी	82	16	98
2	संस्कृत	52	14	66
3	अंग्रेजी	64	05	69
4	नागरिक शास्त्र	81	10	91
5	अर्थशास्त्र	75	12	87
6	भूगोल	49	04	53
7	इतिहास	25	04	31
8	भौतिक शास्त्र	110	13	123
9	रसायन शास्त्र	90	13	103
10	जीव विज्ञान	59	06	65
11	गृह विज्ञान	–	07	07
12	समाज शास्त्र	06	02	08
13	गणित	66	03	69
14	शिक्षा शास्त्र	01	–	01
15	मनोविज्ञान	–	01	01
16	संगीत	–	01	01
	योग ...	762	111	873

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर के गन्ना किसानों का गन्ना समिति एवं चीनी मिलों पर वर्षवार बकाये की स्थिति

क्रमांक	वर्ष	कुल बकाया की धनराशि		
		चीनी मिलों पर		गन्ना समिति पर
		नाम चीनी मिल	चीनी मिल पर	
1	1977-78	आनन्दनगर	–	2,368.44
2	1978-79	..	–	8,352.72
3	1979-80	..	–	35,879.55
4	1980-81	..	–	27,155.01
5	1981-82	..	–	4,663.64
6	1982-83	..	–	16,578.95
7	1983-84	..	–	11,181.90
8	1984-85	..	–	1,29,878.77
9	1985-86	..	–	2,770.61
10	1990-91	..	–	4,651.41
11	1991-92	..	–	15,337.75
12	1992-93	..	3,19,776.09	5,31,176.81
13	1993-94	..	1,76,527.46	—
		योग ...	4,96,303.55	7,89,995.56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	वर्ष	नाम चीनी मिल	चीनी मिल पर	गन्ना समिति पर
1	1977-78	बस्ती	–	2,718.80
2	1978-79	,,	–	5,672.53
3	1979-80	,,	–	5,577.00
4	1980-81	,,	–	9,873.11
5	1981-82	,,	–	4,034.55
6	1982-83	,,	–	3,098.33
7	1983-84	,,	–	6,983.08
8	1986-87	,,	–	2,109.09
9	1987-88	,,	–	3,000.78
10	1988-89	,,	–	1,481.55
11	1989-90	,,	–	2,494.34
12	1992-93	,,	–	10,155.94
13	1993-94	,,	4,28,172.32	4,26,043.19
		योग ...	4,28,172.32	4,83,242.29

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	वर्ष	नाम चीनी मिल	चीनी मिल पर	गन्ना समिति पर
1	1977-78	खलीलाबाद	–	2,268.44
2	1978-79	..	–	3,830.80
3	1979-80	..	–	13,000.44
4	1980-81	..	–	19,259.48
5	1981-82	..	–	3,600.49
6	1982-83	..	–	7,364.40
7	1983-84	..	–	12,592.82
8	1984-85	..	–	2,550.14
9	1987-88	..	–	7,715.96
10	1990-91	..	28,462.60	1,72,045.57
		योग ...	28,462.60	2,44,228.54
		कुल योग ...	9,52,938.47	15,17,466.39

नोट :– सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर के गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि चीनी मिल, आनन्दनगर से वर्ष 92-93 का अंकन रु० 1,00,000.00 दिनांक 11-3-94 को तथा चीनी मिल, बस्ती से वर्ष 1993-94 का अंकन रु० 3.45 लाख दिनांक 15-3-94 को गन्ना समिति में प्राप्त हो गया है जिसके शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31पर)

संख्या–1321/सत्रह–सं–1–93–66सं/88

प्रेषक,

श्री एन० के० नारंग,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3–पुलिस महानिदेशक एवं समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 23 अगस्त, 1993

विषय :–प्रशासन तथा संसद और विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी संव्यवहर के सम्बन्ध में समुचित कार्यविधि का अनुपालन ।

महोदय,

मा० सांसदों और विधायकों के प्रति शासन के अधिकारियों द्वारा यथोचित शिष्टाचार बरतने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं । पिछले दिनों भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अपने पत्र संख्या 11013/2/92–स्था (क) दिनांक 21 दिसम्बर, 1992 द्वारा प्रशासन तथा संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों बीच सरकारी काम काज में उचित कार्यविधि के अनुपालन के विषय पर अपने पूर्व कार्यालय–ज्ञाप संख्या 25/19/64–स्था० (क) दिनांक 8 नवम्बर, 1974 में उल्लिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किये जाने पर पुनः बल दिया गया था । भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1992 की प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 166/सत्रह–सं–1–93–66सं/88, दिनांक 2 अप्रैल, 1993 के साथ आपके सूचनार्थ एवं उसमें उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भेजी गयी थी ।

2–उपर्युक्त सम्बन्ध में अभी हाल में ही भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 27 मई, 1993 में उनके पूर्व पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1992 में उल्लिखित अनुदेशों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उक्त दिशा-निर्देशों में दिए गये मुद्दों का सांराश दिया गया है । दिनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 2 अप्रैल, 1993 के क्रम में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 11013/2/92–स्था० (क) दिनांक 27 मई, 1993 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि

आप कृपया उक्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार

भवदीय,
ह०/–एन० के० नारंग
सचिव।

संख्या–1321(1)/सत्रह–सं–1–93–तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिवों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०/–एन० के० नारंग
सचिव।

संख्या–11013/2/92-स्था०(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27-5-1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय :–प्रशासन तथा संसद और विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी संव्यवहार-समुचित कार्यविधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21-12-92 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इन अनुदेशों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दिशा निर्देशों में दिये गये मुद्दों का सारांश नीचे दिया जाता है।

(1) संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्ताव किया जाय। यद्यपि सांसदों तथा विधायकों की बातों को धैर्यपूर्वक सुना जाय परन्तु

सरकारी कर्मचारी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, सदा ही अपने उत्कृष्ट निजी निर्णय के अनुसार कार्य करें।

(2) अधिकारीगण सांसदों तथा विधायकों को संविधान के तहत उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निपटान में हर सम्भव सहायता प्रदान करें। यदि कोई अधिकारी किसी सदस्य के अनुरोध को मानने में असमर्थ हो तो उसे अपनी असमर्थता के कारण सदस्य महोदय को विनम्रता के साथ स्पष्ट कर दिये जायं।

(3) सदस्य को दिये गये समय में फेर-बदल किये जाने की संबंधित सदस्य को तत्परता के साथ स्पष्ट कर दिये जाय जिससे कि उन्हें कम से कम असुविधा उठानी पड़े। उनसे परामर्श करके उन्हें अन्य समय नियत कर दिया जाय।

(4) अधिकारी द्वारा अपने व्यवहार में अत्यधिक सावधान तथा शिष्टाचारपूर्ण रवैया अपनाया जाय तथा जो सदस्य उनसे मिलने आये उनका स्वागत एवं विदाई खड़े होकर की जाय।

(5) सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों/विधान मण्डल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय। संसद सदस्यों के लिए सार्वजनिक समारोह में समुचित आरामदेह सीटों की व्यवस्था की जाय जो भारत सरकार के सचिव के रैंक से ऊपर रखी जाय जैसा कि पूर्वता अधिपत्र (वारण्ट आफ प्रेसीडेण्स) में दिया गया है।

(6) संसद तथा विधान मण्डलों के सदस्यों के पत्रों की पावती शीघ्र भेजी जाय तथा उनके उत्तर समुचित स्तर के अधिकारियों द्वारा यथाशीघ्र दिये जाय। कार्यालय पद्धति मैनुअल के संगत उपबन्धों का पालन किया जाय।

(7) संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को स्थानीय महत्व की सूचना अथवा सांख्यिकी ब्यौरे, जब वे चाहें दिये जाय। यदि उनका अनुरोध स्वीकार्य न हो तो इस संबंध में उच्च प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त किये जाय।

(8) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के पास न जाय, तथा

(9) संसदीय समितियों से प्राप्त सन्दर्भों पर तत्काल कार्यवाही की जाय संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाय।

मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का पुनः अनुरोध किया जाता है कि इन आदेशों का सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पूरी ईमानदारी से पालन किया जाय।

ह०/वी० नटराजन

उप सचिव,

भारत सरकार।

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :–

1–नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक,

2–संघ लोक सेवा आयोग,

3–सभी राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव,

4–लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

निर्माणाधीन अधूरे प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय का नाम
1	खण्डासा	शून्य
2	मिल्कीपुर	शून्य
3	हरिग्टनगंज	1–मलेथू बुजुर्ग
		2–जोहन नवीन
		3–रमऊपुर
		4–मलेथू खुर्द
		5–चिखड़ी
		6–सिधरा
		7–गणेशपुर
		8–गिधरामऊ
		9–जमुआ
		10–पाराताजपुर
		11–स्वर्णवर्षा
		12–सोहवल सलोनी
		13–रूरुखास
		14–शाहाबाद ग्रण्ट
		15–पण्डरी तारा
		16–रमऊपुर
		17–कल्याणपुर
		18–सेंधूतारा
		19–देवनपारा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूलों का ब्लाकवार पृथक-पृथक विवरण

क्रमांक	ब्लाक का नाम	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	जिनके भवन नहीं हैं (संख्या)	क्षतिग्रस्त व मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या		वर्ष 1993 में निर्माणाधीन (जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत) स्कूलों की संख्या	अन्य विवरण
				पुनर्निर्माण योग्य स्कूलों की संख्या	मरम्मत योग्य स्कूलों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बंकी	97	1	5	11	3	
2	मसौली	77	—	1	6	2	
3	देवां	80	2	12	—	3	
4	हरख	84	—	1	—	3	
5	फतेहपुर	114	1	2	10	—	
6	सूरतगंज	103	—	1	2	—	
7	निन्दूरा	80	2	—	1	2	
8	रामनगर	106	2	2	—	2	
9	दरियाबाद	129	—	6	5	2	
10	बनीकोडर	90	1	8	14	—	
11	रुदौली	91	4	5	4	2	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
12	पूरेडलई	94	7	1	1	13	
13	मवई	77	1	2	—	4	
14	हैदरगढ़	93	1	2	5	3	
15	त्रिवेदीगंज	86	—	4	8	—	
16	सिद्धौर	89	—	4	—	3	
	योग ...	1490	21	56	67	42	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 89 के पृष्ठ 67 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या–3455/16-प्रा०शि०–2–150(ई)/89

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय पालीटेक्निकों में दिनांक 1 जनवरी, 1985 से पूर्व तदर्थ पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त/प्रोन्नत एवं निरन्तर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को व्याख्याता पद पर इस आदेश के जारी होने की तिथि से नियमित नियुक्ति किये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

व्याख्याता यांत्रिक अभियन्त्रण

सर्वश्री

x x x

3–सुरेश नारायण

x x x

9–देवेन्द्र पाल सिंह सिरोही

10–जी० एस० वैश्य

11–अनिरुद्ध सिंह

x x x

14–अशोक

x x x

व्याख्याता विद्युत अभियन्त्रण

सर्वश्री

1–वासुदेव पाण्डेय

x x x

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5–शिव रतन सिंह

व्याख्याता सिविल अभियन्त्रण

सर्वश्री

x x x

2–बी० जे० सिंह

3–सत्य प्रकाश शर्मा

x x x

2–उपर्युक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता यथा समय बाद में निर्धारित की जायेगी ।

ह०/–

(प्रेम नारायण)

विशेष सचिव ।

संख्या–3455 (1)/16–प्रा० शि०–2–150 (ई)/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक/राजकीय महिला पालीटेक्निक ।
5. संबंधित अधिकारी ।
6. कार्मिक अनुभाग–1
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली ।

आज्ञा से,

ह०/- (आर० एस० सक्सेना)

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या–3240/16-प्रा०शि०–2–67(ई)/91

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त, 1991

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन तदर्थ रूप से प्रोन्नत श्री एस० पी० गौतम, व्याख्याता यांत्रिक को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से राज्यपाल महोदय व्याख्याता यांत्रिक के पद पर विनियमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2–इनकी ज्येष्ठता यथा-समय बाद में निर्धारित की जायेगी ।

प्रेम नारायण,

विशेष सचिव ।

संख्या–3240 (1)/16–प्रा० शि०–2–67 (ई)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2–निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर ।

3–संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० ।

4–संबंधित अधिकारी (निदेशक प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से) ।

5–कार्मिक अनुभाग–1

6–अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली ।

आज्ञा से,

ह०/– (आर० एस० सक्सेना)

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या–3244/16-प्रा०शि०–2–67(ई)/91

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त, 1991

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन तदर्थ रूप से प्रोन्नत श्री ए० एस० तिवारी, व्याख्याता यांत्रिक को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से राज्यपाल महोदय व्याख्याता यांत्रिक के पद पर विनियमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2–इनकी ज्येष्ठता यथा-समय बाद में निर्धारित की जायेगी ।

प्रेम नारायण,

विशेष सचिव ।

संख्या–3244 (1)/16–प्रा० शि०–2–67 (ई)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2–निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर ।

3–संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० ।

4–संबंधित अधिकारी (निदेशक प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से) ।

5–कार्मिक अनुभाग–1

6–अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली ।

आज्ञा से,

ह०/–(आर० एस० सक्सेना)

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं० 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री गजाधर सिंह द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–143 का संलग्नक

विवरण

क्र० सं०	प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम सभा का नाम
1	2
	(क) विकास खण्ड जगतपुर
	1–टांघन
	2–बेनीकोपा
	3–रोझइया भीखमशाह
	4–रोझइया गोकुलपुर
	5–धीरनपुर
	6–तीरकपुरचरुहार
	7–छीछेंमऊ
	8–इब्राहीमपुर जढ़इया
	9–जिगना
	10–कोडिया
	11–साके कुआ
	12–जोगमगढ़ीपुर
	13–खोदपुर
	14–चरुहारधीर
	15–रामपुर गौरी
	16–तितली
	17–सरजेपुर बनापार
	18–रायपुर कितूली
	19–चली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
20–कैतपुर बिछौरा	
21–टिकरिया	
22–मनोहरगंज	
23–विछियादी	
24–कोला बढ़नपुर	
25–बहादुरगंज	
26–अलीपुर चकराई	

(ख) विकास खण्ड ऊंचाहार

1–लालचन्दपुर एकछनियां
2–सराय बरस
3–सराय तुलाराम
4–रामचन्द्रपुर
5–सराय भान
6–जब्बारीपुर
7–सरकपुर
8–मरारमऊ
9–सराय अख्तियार
10–दौलतपुर
11–बहरपुर
12–पुरवारा
13–आमांजहनियां
14–ऐहारी बुर्जुग
15–भागीपुर
16–सवैयाहसन
17–खुरमपुर
18–निरंजनपुर
19–वभनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2

(ग) विकास क्षेत्र–डलमऊ

1–अमरहा

2–सराय दिलावर

3–आफताफ नगर

4–कढ़ाचक सगुनपुर

5–खोंदायपुर

6–गंगापुर बरस

7–गफरपुर जलालाबाद

8–गौरा अरनी

9–जगतपुर कोटहा

10–जोतियामऊ

11–दरिगापुर

12–देंगली

13–परौली

14–बासी परान

15–विझलामऊ

16–भगवानपुर तपेतेरूखा

17–भनवा

18–मददपुर

19–मलपरा

20–मशिदाबाद

21–रसूलपुर महवारी

22–रिसालपुर लोहनहां

23–दाउदपुर रामनगर

24–सराय लखनी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
25–सलेमपुर	
26–नगरूमऊ	
27–सुल्तानपुर जाला	
28–सदुरामऊ	
29–सेमौरी	
30–टिकरान	
31–उबरनी	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 104 विधान सभा (157)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।